महानगर नई दिल्ली शनिवार 19 अक्तूबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

370 हटाने से कांग्रेस के पेट में दर्द : मोदी

गोहाना/ हिसार , 18 अक्तूबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस के रुख के लिए उसकी आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान विपक्षी दल के बयानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। उन्होंने पूछा कि आखिर पड़ोसी देश के साथ उसकी (कांग्रेस की) किस तरह की 'केमिस्ट्री' है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से कांग्रेस के पेट में दर्द है।

प्रधानमंत्री ने कहा, अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए वे ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं जो पाकिस्तान को पसंद आते हैं।

भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस जैसे दल न तो लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं, न ही बहादुर जवानों की शहादत के प्रति सम्मान करते हैं।

यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने उपस्थित लोगों से पूछा, 'क्या मुझे राष्ट्रहित में फैसले लेने चाहिए या नहीं, क्या राष्ट्रहित राजनीति से ऊपर होने चाहिए या नहीं? लेकिन कांग्रेस हरियाणा के लोगों की, सोनीपत के लोगों की यह भावना समझने में नाकाम है।' कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा पांच बाकी पेज 8 पर

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

शाह का निर्देश, दफ्तरों में पटेल की तस्वीर लगाएं सुरक्षा बल

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ और बीएसएफ समेत केंद्रीय सुरक्षा बलों को अपने कार्यालयों में सरदार पटेल की तस्वीर लगाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी। यह निर्देश 31 अक्तूबर को पटेल की जयंती से पहले दिया गया।

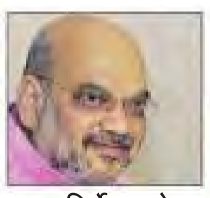

यह निर्देश पटेल जयंती से पहले दिया गया।

गृह मंत्री ने सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों को 'भारत की सुरक्षा और एकता को हम अक्षुण्ण रखेंगे' संदेश के साथ पटेल की तस्वीर लगाने का निर्देश दिया है।

अगले प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं एसए बोबडे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने शुक्रवार को केंद्र को एक पत्र भेजकर वरिष्ठतम न्यायाधीश एसए बोबडे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की। न्यायमूर्ति गोगोई ने विधि एवं न्याय मंत्रालय को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति बोबडे को अगला प्रधान न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने केंद्र को पत्र भेजकर न्यायमूर्ति बोबडे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की।

न्यायमूर्ति गोगोई ने तीन अक्तूबर 2018 को देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। वे 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। प्रधान न्यायाधीश ने परंपरा के मुताबिक अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बाद अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति बोबडे का कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 तक होगा।

नागपुर में जन्मे न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे की पढ़ाई भी वहीं हुई। उन्होंने 1978 में बंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में वकालत शुरू की और वर्ष 2000 में वहीं हाई कोर्ट जज बने। वे अक्तूबर 2012 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 12 बाकी पेज 8 पर

आइएनएक्स मीडिया मामला

चिदंबरम व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत में शुक्रवार को एक आरोपपत्र दायर किया। यह आरोपपत्र विशेष न्यायाधीश लाल सिंह के समक्ष दायर किया गया। इसमें पीटर मुखर्जी, कार्ति चिदंबरम, चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमण, नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में पूर्व सचिव अनूप के पुजारी, प्रबोध सक्सेना, रबिंद्र प्रसाद, आइएनएक्स मीडिया, एएससीएल और चेस मैनेजमेंट सर्विसेज को भी आरोपी बनाया गया है। अंतिम रिपोर्ट में आरोपी से सरकारी गवाह बनी इंद्राणी मुखर्जी का भी नाम है। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ इस मामले पर 21 अक्तूबर को विचार करेंगे।

सीबीआइ ने अदालत में यह भी कहा है कि आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले की जांच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जारी है। सिंगापुर एवं मॉरीशस को भेजे गए आग्रह पत्र (लैटर्स रोगेटरी) पर जवाब का इंतजार है।

फिलहाल चिदंबरम 24 अक्तूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने प्रवर्तन निदेशालय को चिदंबरम से सात दिन तक पूछताछ करने की अनुमति दी है। ईडी की तरफ से पेश हुए महान्यायवादी तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि छह सितंबर से एजंसी ने 12 गवाहों से पूछताछ की और अंतिम पूछताछ नौ अक्तूबर को हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान ईडी ने कुछ अतिरिक्त सबूत भी जमा किए।

आरोपी से सरकारी गवाह बनी इंद्राणी मुखर्जी का नाम भी आरोपपत्र में शामिल
अदालत आरोपपत्र पर 21 अक्तूबर को लेगी संज्ञान

यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके चिदंबरम को 21 अगस्त को जोर बाग स्थित उनके निवास से सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। सीबीआइ ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज कर आइएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपए की विदेशी निधि प्राप्त करने के लिए दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाया था। उस समय चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

जांच एजंसियों का दावा है कि आइएनएक्स मीडिया समूह में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआइपीबी) की अनुमति दिलाने के लिए चिदंबरम ने अपने पद का दुरुपयोग किया था और अपने बेटे कार्ति के जरिए 300 करोड़ से ज्यादा की घूस ली थी। पूछताछ में इंद्राणी बता चुकी हैं कि एफआइपीबी की मंजूरी के सिलसिले में वे कार्ति चिदंबरम से मिली थीं। इस मामले में कार्ति चिदंबरम पर प्रमुख आरोप ये है कि पिता के वित्तमंत्री रहते हुए उन्होंने इसका फायदा उठाकर कई कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया।

'जेल में 43 दिन में पांच किलो वजन कम हुआ'

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (भाषा)।

जेल में दो बार बीमार रहने की बात भी बताई सुप्रीम कोर्ट को

आइएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जेल में पिछले 43 दिन में उनका पांच किलो वजन कम हो चुका है और वह दो बार बीमार पड़ चुके हैं। चिदंबरम ने मामले में शीर्ष अदालत से जमानत की मांग की और कहा कि दो बार बीमार पड़ने के बाद उन्हें एंटीबायोटिक दिए गए।

न्यायमूर्ति आर भानुमति, बाकी पेज 8 पर

आतंक के लिए वित्तपोषण : पर्याप्त कार्रवाई में इस्लामाबाद रहा नाकाम

पाक को चार महीने की मोहलत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

आतंकवाद को मुहैया कराए जाने वाले धन की निगरानी करने वाली अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने शुक्रवार को पाकिस्तान को अगले साल फरवरी तक की मोहलत दी है और उसे अपनी 'ग्रे सूची' में बरकरार रखा है। धन शोधन (मनी लांड्रिंग) और आतंकवाद को धन मुहैया कराए जाने के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई करने में इस्लामाबाद के नाकाम रहने को लेकर यह कदम उठाया गया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की पेरिस में पांच दिनों तक चली पूर्ण बैठक में पाकिस्तान को एक और मोहलत दिए जाने का फैसला लिया गया। बैठक में इस बात बाकी पेज 8 पर

एफएटीएफ ने सभी सदस्य देशों से पाकिस्तान के कारोबारी और वित्तीय लेन-देन पर नजर रखने का निर्देश दिया

काली सूची से बचाया चीन, मलेशिया और तुर्की ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

चीन, मलेशिया और तुर्की के समर्थन के कारण पाकिस्तान काली सूची में जाने से बच गया। अधिकारियों के बाकी पेज 8 पर

हिंदू महासभा के पूर्व नेता कमलेश तिवारी की हत्या

लखनऊ, 18 अक्तूबर (जनसत्ता)।

लखनऊ में शुक्रवार को घनी आबादी वाले नाका हिंडोला इलाके में शुक्रवार को हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। तिवारी पूर्व में हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए थे। कमलेश की पत्नी किरण की शिकायत पर इस मामले में मुफ्ती नईम काजमी और अनवारुल हक तथा एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किरण का आरोप है कि काजमी और हक ने 2016 में कमलेश का सिर कलम करने पर क्रम से 51 लाख और डेढ़ करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। इन्हीं लोगों ने साजिश कर उनके पति की हत्या कराई है।

हत्यारों ने गला रेतने के बाद मारी गोली, आइएस के निशाने पर भी थे कमलेश

बताते चलें कि कमलेश ने पूर्व में हजरत मोहम्मद के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। कमलेश के बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता
रविवारी
20 अक्तूबर, 2019

सितारों पर करोड़ों का दांव
पिछले कुछ सालों से हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता का पैमाना सौ करोड़ से ऊपर की कमाई का हो गया है। इसके चलते सितारों के मेहनताने में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सितारों पर करोड़ों का दांव लगाने की इस परिपाटी का विश्लेषण कर रहे हैं श्रीशचंद्र मिश्र।

• कहानी/ शंकर • ललित प्रसंग/ सुरेश सेठ • योग दर्शन/ डॉ. वरुण वीर • शख्सियत/ आरके नारायण • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

दिवाली की सफाई • रवि डे
• कहानी/ अखिलेश श्रीवास्तव चमन
• कविता/ दिविक रमेश

दमघोंटू — औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 306 पर, पराली जलाने से समस्या बढ़ी

दिल्ली की आबोहवा हुई और खराब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

राजधानी दिल्ली व आसपास के इलाकों में शुक्रवार की सुबह से हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' दर्जे की हो गई। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (आइक्यू) 306 तक पहुंच गई। आगे इसमें और गिरावट की आशंका है। हवा में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ने की वजह से दिन भर धुंध की चादर छाई रही जिससे बादल जैसा नजारा रहा। यहां तक कि दृश्यता में भी गिरावट देखने को मिली।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में शुक्रवार को समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 306 रहा। यह गुरुवार को 270 था। शनिवार व रविवार सहित अगले हफ्ते में इसके और खराब होने की आशंका है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली टेक्नोलॉजिकल बाकी पेज 8 पर

औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शून्य से 50 के बीच होने पर 'अच्छा' माना जाता है जबकि 51 से 100 के बीच होने पर 'संतोषजनक' 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 के बीच होने पर उसे 'गंभीर' दर्जे का समझा जाता है।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for General information that I, Hemant kumar S/o Ved Prakash , R/o-H.No-118-C, Madan Pur Dabas, Delhi-110081, informs that name of my Father Has Been wrongly-written as Ved Parkash Chauhan in my 12th-class marksheet, certificate and my birth-certificate no-124518.The actual name of my father is VED PRAKASH which may be amended accordingly. 0040516545-7

I, Virender Mann S/o Jai Singh Mann R/o H.No.1443, Housing Board Colony, Sector-31, Gurgaon, have changed my name to Virender Singh Mann for all purposes. 0040516524-1

I, Vinay Kumar Baliyan S/o Abhai Singh R/o-F-210, Beta-2nd Greater-Noida, Gautam budh-Nagar, U.P-201306, changed my minor daughter name Paridhi Singh Baliyan to Paridhi Baliyan. 0040516534-6

I, Vidhi Sagar W/o Amit Kumar Mukhi R/O-R-72, Greater-Kailash Part-1, N.Delhi-110048, have changed my name Vidhi Sagar to Vidhi Sagar Mukhi. 0040516583-5

I, Ummed Singh Bisht S/o Mohan Singh Bisht R/o SF-1, M-91, Sector-12, Pratap Vihar, Ghaziabad, inform that Ummed Singh and Ummed Singh Bisht are one and same person. 0040516489-1

I, Taj. Mohd Khan. S/o Mihi Lal Khan. R/o-A-58 Gali.No.3 Chand-Bagh Delhi-110094 have changed my name to Taj Mohamad Khan. 0040516583-1

I, Sunita Sharma W/o Chandra Shekhar Azad, R/o I-674, Govindpuram, Ghaziabad, inform that name of mine has been wrongly written as Suneeti Sharma/Suniti Sharma in some of documents belonging to my husband, Daughter (Pragati Swapnil) and son (Utkarsh). Actual name of mine is Sunita Sharma. 0040516517-1

I, Sumit Kumar Sethia R/o B-176, Ground Floor, Gali No. 02, West Vinod Nagar, Delhi - 110092 have changed my name to Sumit Sethia. 0070679408-1

I, Shashank S/o Shri. Raghunandan Singh R/o.B-506,Airhant Arden, Sector-1,Noida Extension, Bisrakh, Uttar Pradesh-201306 have changed my name to SHASHANK SINGH. 0040516504-3

I, Sanjiv Gupta S/O Subhash Chand Gupta., R/O-41, Tower-1, G.C. Emerald Heights, Sector-7,Vaishali, Ghaziabad, U.P.201010. Changed My Name To Sanjiv Kumar Gupta. 0040516545-6

I, Saksham Singh Baliyan S/o Vinay Kumar Baliyan R/o-F-210, Beta-2nd Greater Noida, Gautambudh-Nagar, U.P-201306. changed my name to Saksham Baliyan. 0040516534-4

I, Roshan Ara,W/o Jamil Akhtar Arfi, R/o-R-209, Street No.4,Sirsyed Road, Jogabai. Extension, Jamia-Nagar, New Delhi-110025,have changed my name,from Roushan Ara to Roshan Ara,for all purpose. 0040516554-4

I, Roopa Singh Baliyan W/o Vinay Kumar Baliyan R/o-F-210, Beta-2nd Greater Noida, Gautambudh-Nagar, U.P-201306. changed my name to Roopa Singh. 0040516534-5

I, Riddhima Bisht D/o Shree Amit Bisht, R/o-Flat.No-115, Pocket-16, Sec-3, Adarsh App-Dwarka. New Delhi-110078, That my name Wrongly Mentioned in birth-Certificate as Ishika Bisht,My correct name is Riddhima Bisht. Ishika bisht and Riddhima Bisht is same person. 0040516498-1

I, Rakshit@ Rakshit Soni s/o Rakesh Soni,r/o B-508, Nanda Devi Apartment, plot no.19, sector -10, Dwarka, New Delhi-110075 have changed my name to Rakshit Bhatnagar for all purpose 0040516589-3

I, Rakesh Kumar S/o Late Shri.Ram Sharma R/o B-14, Cosy-Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Rakesh Kumar Sharma. 0040516534-1

I, Priya D/O Rakesh Goyal R/O 5/187, First-Floor, Sunder-Vihar, Paschim-Vihar, Delhi-87 Have Changed My Name To Priya Goyal. 0040516583-6

I, Pradeep Kumar Chouhan S/o Nand Kumar R/o-F-56 GaliNo.6, Near-Geetanjali Public School, Khajoori Khas, Karawal Nagar Delhi-110094,have changed my name to Pradeep Kumar Chauhan for all purposes. 0040516534-10

I Anand Kumar S/O Madan Lal Goel R/O-A-172 Phase-1 Vivek-Vihar Delhi-110095., CHANGED MY NAME TO Anand Kumar Goel. 0040516534-9

I Ajay Pal Singh S/O Balwant Singh R/O Wz-85, Third-Floor, Gali No.7a, Virender-Nagar, Janakpuri B-1, West Delhi-110058 Have Changed My Name From Ajay Pal Singh Sulach To Ajay Pal Singh In Future For All Purposes. 0040516606-3

व्यक्तिगत

I, Pooja Bhalla D/O Rajesh R/O H. No. S-21, Parampuri, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed my name to Avni Bhalla for all purposes. 0040516535-1

I, Pardeep Kumar S/o Ramkhelawan Thakur R/o-B-74, Vikas Vihar,Vikas Nagar, Gali.No-3,Pardhan Chowk, Uttam Nagar,New Delhi-110059,Have Changed my Name Pardeep Kumar Thakur for all purposes. 0040516504-5

I, Pardeep Dabas S/o Mahaender Singh R/o Govt Boys School, H.No-118, Ladpur, North-West Delhi, have changed my name to Pardeep Kumar permanently. 0040516493-1

I, Nupur D/O Kamlesh Kumar Agrawal R/O-C-84, Airport-Apartment, F-Block, near Galaxi-Market, Vikaspuri, New Delhi-110018,have changed name Nupur Agrawal for future. 0040516606-1

I, Naveen Kumar Nayak S/o,Rakesh Kumar Nayak R/o-C-79, 2ndFloor, Anoopnagar, Jeewan-Park, Delhi-110059, have changed my name to Naveen Kumar S/o Rakesh Kumar. 0040516583-2

I, Monish Budania W/o Pankaj Kumar R/o A-182, Third Floor, Jhilmil Colony, Delhi-110095, have changed my name to Monish Pankaj for all purposes. 0040516501-1

I, Mohd Akram Siddiqi S/o,Mohd Ahmed R/o-F-12, Top-Floor, Jogabai-Extn., Jamianagar, Delhi-110025, have changed my name to Mohd Akram. 0040516583-4

I, Mohammed Fahd Siddiqi S/O Mohammad Yousuf Siddqui R/O-659, Mtkota-Chowk, Sikandra-Rao, Hathras, U.P-204215, have changed my name Mohammed Fahd Siddiqi to Mohammad Fahd Siddiqui. 0040516606-2

I, Ishwar Dass S/O Bindraban Jain R/O-103 Tarun-Enclave Pitampura Delhi-110034 Have Changed My Name To Ishwar Dass Jain. 0040516545-2

I, Megha Gulati alias Sonia Gulati,W/o Sh.Rakesh Gulati,R/o-H.No.A-2, Pratap-Vihar, Part-2, Gali No.1, Kirari-Suleman-Nagar, Delhi-110086, changed my name,from Megha Gulati to Sonia Gulati,for all purposes. 0040516554-3

I, Manisha Kumari Prasad daughter of Prem Kumar Prasad,C-107 lajpat-nagar part-2 Block-C Delhi-110024, have changed my name to Manisha Prasad,for all future purposes. 0040516545-1

I, Mahesh Chandra Arya S/o-Late Sh.Nand Lal Arya R/o-A-23,Sector-P-3,Greater Noida,G.B. Nagar,U.P.,have changed my name to Mahesh Arya for all future purposes. 0040516504-4

I, Madanveer S/o Veer Singh R/o-Gaon Ator, Tehsil-Ghaziabad,UP-201009 have changed my minor son name from Ankur Kumar to Ankur Chaudhary. 0040516504-1

I, Khan Razia Sultana W/o Arif Khan R/o G-201, Betech park View, SPA Next, Sec-67, Gurugram, have changed my name from Razia Sultana Khan Mohammad Abdullaia to Khan Razia Sultana for all purposes. 0040516525-1

I, Kalpana Singh, R/O-Gf-2, Plot.No.93, Moti-Apartment, GyanKhand-1, Indirapuram, Ghaziabad, U.P-201014, Changed My Minor Daughter Name Anshika To Anshika Singh. 0040516545-5

I, Ivan Asim S/o Imtiaz Barkat Masih R/o-1079/A, Ward.No.1, Mehrauli, N.Delhi-110030. changed my minor daughter name Ekta to Ekta Masih. 0040516534-3

I, Dilip Jeswani S/O Late Shyamlal Jeswani R/O 3276B, Aryapura, Old-Subzi Mandi, Delhi-110007. Changed My Name To Dilip Kumar Batra. 0040516545-4

I, Dharmendra Kumar Singh S/o-Ramnath Singh, R/O-RZ-994-A, Gali-23, F/F, R/S Flat.No-4, Tughlkabad-Extn., Delhi-110019.have changed my name to Dharmendra Singh. 6583-3

I, Deepak Goel S/O, Ravi Shankar R/o B-1/134, Ekta Gardens Apartment, Ip Extension, Patparganj, Delhi-92. have changed my name to Deepak Aggarwal. 0040516519-1

I, Davinder Singh S/o Suriender Singh Bindra R/o.D-228,Sector-47, Noida,G.B. Nagar,U.P. have changed my name Davinder Singh Bindra for all purpose. 0040516504-2

I, Binita D/o Sh. Om Prakash R/o Mohalla Ganj Shahida, Near Ganesh Cold Storage, Ujhani, Budaun,Uttar Pradesh-243639 have changed my name to Binita Priyadarshi for all purposes. 0040516435-1

I, Akansha Sethi W/O Hitesh Sethi H.No.8/160, Ground-Floor, Block-8, Ramesh-Nagar, Delhi-110015.Have Changed My Name To Akanksha Sethi. 0040516545-3

I, Ajay Kumar S/O Krishnan Kesavan Nair R/O-F-128/1a, Flat No-8 Mohammadpur, RK.Puram New Delhi-110066 Changed My Name To Ajaya Kumar Kesavan Nair. 0040516534-8

I, Amarjeet Kaur W/O Harbans Singh, R/O-135/1, Gautam nagar, New Delhi-110049 .Changed My Name To Amarjit Kaur. 0040516583-7

I, Ashima Rani W/o Avinash Manav R/o RZ-A/2B, Gali No.1, Durga Park, Nasir Pur, New Delhi-110045 have changed my name after marriage as Ashima Manav for future purposes. 0040516495-1

I, Amarjit Kaur w/o Gurcharan Singh d/o Gurcharan Singh r/o 288-B, Model Town Extn., Ludhiana, Punjab-141002, have changed my name to AMANDEEP KAUR. 0040516499-1

I, Amar Nath Kaim S/o Kundan Lal, R/o H.No.14, Jangpura Road, Jangpura Bhogal, South Delhi-110014, have changed my name to Amar Nath for all purposes. 0040516496-1

I Santosh Kumar S/o Keshav Chandra Kotnala R/o.B-47, flat no-B2, 1st-floor, Ph-2, Ayanagar, New Delhi-110047, have changed my name to Santosh Kotnala. 0040516534-7

I Ruchi Sehgal W/o Arun Sehgal R/o EA 364 Maya Enclave, New Delhi 110064 have changed the name of my son Hitansh to Hitansh Sehgal for all purposes. His date of birth is 3 July 2011. 0070679407-1

I Nishat Parveen Siddiki, W/o-Mohammad Asrar, R/o-3191, Phatak Teliyan, Turkman-Gate, Delhi,have changed my name to Nishat Parveen Siddiqui,for all purposes. 0040516554-2

I Narendra Kaur W/o Sh.Hardev Singh R/o H-10, Radheypuri Delhi-110051, have changed my name to Narender Kaur for all purpose. 0040516534-2

CLASSIFIED

Change of Name

I, Jai Prakash, Residing at CK-152, Salt Lake City Sector 2, Kolkata-91 have changed My daughter's name from VEDIKA SINGH to KAVYA SINGH vide affidavit Dtd: 16.10.2019 Sworn before Notary S. CHAUDHURY, Bidhannagar, Kolkata-91.

50156712

खोया+पाया

It is notified that I Karthik Kher S/o of Mr. Neil Kher R/o H.No B-104 Street, Kenwood Towers Colony, Charmwood Village District, Faridabad, have lost my 10th original CBSE Mark sheet Roll no. 2123536 year 2014. If found contact-9650030625. 0040516408-1

Lost entire original papers of property No.205, Gupta Arcade Shopping Center, Pocket-D, Indra Enclave, Rohtak Road, G-17, Paschim Puri, New Delhi-110087, in the name of N.Venkatesan. Finder Contact N.Venkatesan #9313126263. 0040516527-1

I, lost my Original 10th-Class Cirtificate & marksheet Roll No-8244561, of the year-2017, School No.is-75905.issued by CBSE-Board finder plz contact-Vibhuti Saini S/o Vijay Pal Saini R/o-681, Nangloi, Delhi-110041 0040516500-1

It is notified for the information that my original Qualifying Examination-Certificate of main Secondary-Examination ofYear-2014 and Roll-No.8161886 issued by CBSE has been actually lost. Harshit Sethi. A-3, Baba Banda BahadurApartment, Sector-14, Rohini, Delhi-110085. 0040516531-1

It is notified that I Karthik Kher S/o of Mr. Neil Kher R/o H. No B-104 Street, Kenwood Towers Colony, Charmwood Village District, Faridabad have lost my 12th original CBSE Mark sheet Roll no. 261997 year 2016. If found contact-9650030625. 0040516416-1

I, Karan Mehta S/o Sh.Jethmal Mehta R/o-6B/1, 1st Floor, N.E.A, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060,Have lost my original Certificate & Marksheet of Class-10th Roll No-8178484(year-2012) & Class-12th Roll No-9172245 (year-2014)issued by GD Goenka Public School & pass out from-CBSE. Please finder contact above address 0040516498-2

Lost my original 12th class certificate Roll.No.6667693, Year 2008, from CBSE Delhi.Finder pls contact: Poonam D/o-Ram Chander Saini R/o-R.K.Puri, J-93, Azad Basti,Mohammad Pur,New Delhi-110066. 0040516261-4

रिक्त स्थान

Urgent Requirement: CWSN Teacher, Salary: As per rules. Rajindra Public School, Main 50Feet Road, Nihal Vihar, Nangloi, Delhi-11004. 8505838662, rajindrapublic-school@gmail.com 0040516606-4

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN TO PUBLIC AT LARGE THAT a Sale deed registered as document no. [illegible] ... Sanjay Bhalla [illegible]

P.K. MEHTA (Advocate) KG-I/93, Vikas Puri, New Delhi-110018

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री रामवीर सिंह पुत्र श्री टीका राम निवासी NC/47, कैनाल कॉलोनी, ओखला, नई दिल्ली-110025 ने अपने पुत्र श्री विकास चौधरी और उसकी पत्नी रेनु कुमारी को इनके दुर्व्यवहार और घर के प्रति गैरजिम्मेदाराना हरकतों के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और उनके बच्चे माधवी चौधरी को भी अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और इनसे संबंध विच्छेद कर लिए हैं। उनके व्यक्तिगत/व्यापारिक लेन-देन या अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हेतु मेरा मुवक्किल या उनकी पत्नी फूलवती जिम्मेदार नहीं होंगे।

दिनांकः 19.10.2019 हस्ता./- नरेश कुमार एडवोकेट पंजीकरण नं. D-327/96

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलगण सीमा देवी व इनके पति अमर जीत पुत्र श्रीखेम सिंह निवासीगण 14/143, कल्याणपुरी, दिल्ली-91 ने (अन्य परिवार की तरफ से भी) अपने पुत्र विनय गौतम उर्फ सन्नी उर्फ चेटा को उसके दुर्व्यवहार व बदनेक चलनी के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करके समस्त सम्बन्धविच्छेद कर लिए हैं। यदि कोई व्यक्ति, फर्म, निगम, संस्था बैंक इत्यादि विनय गौतम से कोई भी संव्यवहार करता है या विनय गौतम कोई भी विधिक या अविधिक कार्य करता है तो उसके लिए मुवक्किलगण जिम्मेदार नहीं होंगे।

ध्रुव चरित्र एडवोकेट Enrl. No. D/1394/2000

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को विदित हो कि मेरे मुवक्किलों श्याम बाबू पुत्र श्री फूल चन्द, एवं श्रीमती माधुरी पत्नी श्री श्याम बाबू निवासीगण 61, शांति नगर, पार्ट-2, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009 ने अपने पुत्र अमित शुक्ला एवं इसकी पत्नी श्रीमती निशा एवं इनके होने वाले बच्चों को अपनी हर चल व अचल संपत्तियों से बेदखल कर दिया है और अपने समस्त रिश्ते नाते समाप्त कर लिए हैं क्योंकि वह मेरे मुवक्किलों का आज्ञाकारी नहीं रहे हैं और उनका व्यवहार मेरे मुवक्किलों एवं अन्य परिवार के प्रति ठीक नहीं है। मेरे मुवक्किलों को उनसे खतरा है। अतः भविष्य में वह अपने समस्त कार्यों व लेन-देन के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा, मेरे मुवक्किलों व उसके अन्य परिवारजनों का कोई लेना-देना नहीं होगा।

हस्ता./- जी.एल. गोस्वामी (अधिवक्ता) 3530, कुतुब रोड, दिल्ली-06

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Santosh Kumar Tiwari S/o Sh. Ganga Prasad Tiwari R/o Near P.N. Bank, H. No. D-65, Gali No. 2/A Mukund Vihar, Karawal Nagar, North East, Delhi 110094 declare that name of mine has been wrongly written as Santosh Ku. Tiwari in 10th Class certificate & marksheet of my minor son namely Harsh Tiwari, aged about 17 years. The actual name of mine is Santosh Kumar Tiwari, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

This is to inform to the General Public that my client Sh. Dev Raj S/o Sh. Lakshmi Chand R/o F-403, Budh Nagar, Inder Puri, Delhi-12, have severed all their relations with their son and daughter in law i.e. Dinesh Kumar S/o Sh. Dev Raj & Smt. Meenakshi W/o Sh. Dinesh Kumar alongwith their grandchildren namely Kashish & Naksh due to their bad behaviour with my client, they further disowned, disinherited and debarred them from all their movable and immovable properties. Anybody dealing with them, shall do so at his/her own cost, risk and consequences My clients are not be responsible for their any act, or conduct in any manner whatsoever.

CHANDRA GUPTA MAURYA (Advocate) Ch. No. K-120, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to general public at large that my client Surinder Singh Kapoor S/o Arjun Singh Kapoor and Smt. Harpreet Kapoor both Husband – Wife R/o J-6/142, Second Floor, Rajouri Garden, New Delhi-110027 had disowned and debarred their son Jaspal Singh Kapoor from dated 5-8-2017 from all their movable and immovable properties with immediate effect because he is out of control of my clients. Anybody dealing with him shall be doing so at his/her/their own risk cost and responsibility.

Sd/- B.B.N. DEO, ADVOCATE S.R.IInd, B Coumpus,Janakpuri, N.Delhi-58

PUBLIC NOTICE

My client Rashid Khan S/o Kaptan Khan R/o D-1157, Gali No. 1F, Ratia Marg, Sangam Vihar, New Delhi has disowned his son namely Yunus Khan & his wife Yasmeen and grand childrens Aliya, Alina & Abeer from their all movable, immovable properties and I have no relation with them in future.

Sd/- **SHEKHAR CHAND JAIN (Advocate)** Ch. No. 580, Saket Courts, New Delhi

PUBLIC NOTICE

Its notified for the information of general public that my clients (1) **Sh. Ram Vilas Mehto** S/o Late Sukhi Mehto & (2) **Smt. Jagmaya Devi** W/o Ram Vilas Mehto both R/o C-28, Vikas Nagar, Shiv Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-59 have severed all their relations & connections with their son **Rajinder Mehto**, his wife **Smt. Sarita Devi** and their legal heirs, because they are out of control of my clients and have debarred them from their all moveable and immoveable properties. Any body deals with them at his/her/their own risk, cost and expenses. my clients shall neither liable and responsible for their acts, deeds & things under my circumstances.

G.S. Singh (Advocate) A-103-A, Bhagwati Garden Extn. Uttam Nagar, Delhi-110059.

PUBLIC NOTICE

My Client Smt. Santosh W/o Late Sh. Datbir Singh R/o H. No. 141, Sarai Sohal, Nasirpur, South West Delhi-110045, have debarred, disowned their Son Sh. Surjeet S/o Late Sh. Datbir Singh & daughter in law Shilpa W/o Surjeet & grandson Sachpreet S/o Sh. Surjeet from all moveable, immovable properties of my clients and severed their all relations with them. My clients shall not be responsible for their acts, conduct & deeds in future whatsoever. Anybody dealing with above said persons are doing so at their own risk.

Naveen Sharma (Advocate) H. No. 656, Khera Khurd, Delhi-110082

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Sh. Vijay Kumar S/o Late Sh. Rajpal Singh, R/o D-58/5, Near Kasana Complex, Tajpur Road, Badarpur Border, New Delhi-110044, Also at: Village Nagla Jar Singh, PO:- Lohai, Tehsil Maath, Block Nauhjheel, PS Surear, Distt. Mathura, Uttar Pradesh, has disowned and debarred his sons namely **Sh. Sonpal Singh**, and **Sh. Ishwar Singh** Both S/o Sh. Vijay Kumar, Both R/o D-58/5, Near Kasana Complex, Tajpur Road, Badarpur Border, New Delhi-110044, and their families from all of his movable and immovable properties and has severed all his relations from them. As such from today onwards, my client and his family shall have no relations with his aforesaid sons and their families nor shall he be responsible for any of their actions.

SANJIV SHARMA (Advocate) Ch. No. 463, Saket Courts, New Delhi-17.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री कृष्ण कुमार खत्री पुत्र श्री नाम चन्द निवासी मकान नम्बर 71, पाना उद्यान, नरेला, दिल्ली-110040 ने अपने पुत्र महावीर सिंह उर्फ मोनू एवं उसकी पत्नी श्रीमती गीता को उनके गलत आचरण व दुर्व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है तथा समस्त सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं भविष्य में कोई भी व्यक्ति इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई लेन देन करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा इसमें मेरे मुवक्किल व उसके परिवार के किसी भी सदस्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

H.S. RAUTELA - ADVOCATE Ch. No. M-12, Near SBI, Tis Hazari Court, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

This is inform general public that our clients Dalip Kumar S/o Shish Ram and Smt Sandhya Rani W/o Dalip Kumar R/o H.No. 288, Gali No-4, Shiv Mandir, Dhirpur Village, Delhi-10009, have disowned their daughter Bharti & her husband Vimal from all their movable immovable properties and severed all their relations both legal & Social with them due to disrespectful behavior. Any person dealing with them shall be doing so at his/her own risk, and my clients shall not be responsible for the same.

Yogesh K. Chandna (Advocate) Ch. 346, Western Wings, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Ajay Gola S/o Vinod Gola, residing at C-19, NEW MULTAN NAGAR, NEW DELHI-110056 declare that name of mine and my father has been wrongly written as AJAY KUMAR GOLA and VINOD KUMAR GOLA in my OBC Certificate No.-0705 dated 27-06-1995. The actual name of mine and my father are AJAY GOLA and VINOD GOLA respectively,which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I GADDALA NATASHA CHERI D/O GADDALA RAVI CHANDRA PRADEEP, residing at H. No-97, 3rd Floor, Shakti Vihar Pitampura, Delhi-110034 declare that name of mine and my father has been wrongly written as G NATASHA CHERI and G R C PRADEEP in my Educational Documents. The actual name of mine and my father are GADDALA NATASHA CHERI and GADDALA RAVI CHANDRA PRADEEP respectively, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO PUBLIC AT LARGE THAT MY CLIENT SH. RAJINDER SINGH S/O LATE PRITAM SINGH R/O A-26A, A BLOCK, OLD MAHARANI ENCLAVE, HASTSAL, D.K. MOHAN GARDEN, DELHI-110059, HAS DISOWNED HIS SON MR. SIMARDEEP SINGH FROM HIS ENTIRE MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES. MY CLIENT ABOVE NAMED HAS ALSO SEVERED HIS ALL RELATIONS WITH HIS ABOVE NAMED SON BECAUSE OF HIS IMPERTINENT, DISRESPECTFUL, INDISCIPLINED, AND THREATFUL BEHAVIOUR. MY CLIENT SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR HIS ANY ACT/DEED/THING ETC.

Sd/- **NAND LAL YODHA (Advocate)** Enrl. No. D-751/98

PUBLIC NOTICE

Be it known to General Public that my clients Smt. Manjoo Devi Wife of Shri Vinod and Shri Vinod S/o Shri Girdhari Lal Both R/o 151, Village Bhalaswa, Banjare Wali Gali, Adarsh Nagar, New Delhi, have disowned and severed all their relations from their son Mr. Jugesh and his wife Smt. Mohini and debarred from their movable and immovable properties due to their misbehavior, disobedient, rude and not under the control of my clients aforesaid. If any person, organization, institution does any transaction/keep relations with them does so at their own risk, for that my clients shall not be responsible in any manner whatsoever.

Sd/- **SACHIN KUMAR (Advocate)** Enrl. No. D-2092/08

सार्वजनिक सूचना

मेरा मुक्किला श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी श्री चेतराम म.-न. 4/130, गली नं.-4, पंजाबी बस्ती, आनंद पर्वत, नई दिल्ली-110005 में अपने बच्चों के साथ रहती हैं। जब से हमारी क्लाइंट की शादी हुई है आए दिन पति देव के व्यवहार से परेशान रहती है क्योंकि पति द्वारा मारपीट करना, घरेलू सामान चोरी कर बेचकर नशा करना एवं बाहर वालों से उधार लेकर जुआ खेलना नई सी बाते हो गया है। इन सारे व्यवहार से परेशान होकर मेरे मुक्किल ने अपने चारों बच्चों के साथ काफी विचार विमर्श कर यह कदम उठाया है कि मेरे मुक्किल अपने पति एवं चारों बच्चों ने अपने पिता से सारे सम्बन्ध विच्छेद कर रहे हैं। अगर किसी का कोई नई या पुरानी लेन देन श्री चेतराम जी के साथ रखते हैं तो वह स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे। बच्चों एवं मेरे मुक्किल का कोई कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारी नहीं होगी।

हस्ता./- ARBIND KUMAR JHA ADVOCATE

PUBLIC NOTICE

Be it known to public at large that My client, Smt. Ramwati W/O late Sh.Sohan Lal, is absolute owner of A Freehold Residential property No. 1/10126, out of Khasra no.375, West Gorakh Park, Village Babarpur, Shahdara, Delhi. Original GPA, Agreement to Sell, etc; executed by Sh. Kadam Singh in favour of Sh.Sohan Lal for area 56 Sq.Yds dated 15/07/1976, have been lost /Misplaced. Which is chain of document of the said whole property (i.e.200 Sq.Yds) and My client had also Report for missing the said documents at Police Station, Crime Branch Delhi, vide LR No.1693873/2019 dated 07/10/2019. The general public is hereby cautioned not to deal with the above mentioned property with any person(s) on the basis of said GPA, Agreement to Sell etc, If any person(s) or Authority having any claim against into or upon the said property by virtue of Sale,Agreement,Contract, Mortgage, lien, Charge or otherwise howsoever and of whatsoever nature is hereby required to notify the same within seven days, from the date of publication of this notice for any claim and/or objection, Otherwise shall be considered as waived and abandoned and shall not be binding upon my client.

Sanjeev Gupta, Advocate

PUBLIC NOTICE

"Be it known to all that my client, Dr Virender singh S/o Sh. Kishan Chand R/O F-91, Gali No-17, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi-41, Cut all types of relations with his younger brother Devender Singh S/o Sh. Kishan Chand, R/o-91, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi-41 and persons related to him including married and professional life,etc (except my clients father Sh. Kishan chand), due to rude behavior and threats etc to my client by many ways and tricks, and neglect and abuse of my client and his old sick father by Mr. Devender Singh and his Associated persons and highly suspicious behavior, activities, and modus operandi with ulterior motives inside and outside the house after 12.05.2018.

My client Dr Virender Singh and his father and persons related to my client, including socially, professionally life etc will not be responsible from now onwards, in any way for any type of illegal, criminal activities, and conspiracies etc. done in past and if indulges in future, toward any individual and society by Mr. Devendra singh and his associated persons related to him in any way. Anyone dealing with them shall be doing at his own risks."

Sd/- **VICHITRA KUMAR (Advocate)** Ch. No. 1309, Rohini Court, Delhi-85

रविदास मंदिर निर्माण के लिए भूमि मुहैया कराएगा केंद्र

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को बताया कि वह दक्षिण दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धालुओं की एक समिति को 200 वर्ग मीटर इलाका सौंपने का इच्छुक है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल के प्रस्ताव को दर्ज किया और मंदिर के निर्माण की मांग कर रहे पक्षकारों से कहा कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो वे सोमवार तक इसे दर्ज कराएं।

वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने श्रद्धालुओं और सरकारी अधिकारियों समेत सभी पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श किया है। केंद्र श्रद्धालुओं की आस्था और संवेदनशीलता को देखते हुए भूमि का वही टुकड़ा देने के लिए सहमत हो गया है। वेणुगोपाल ने कहा कि मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धालुओं की एक समिति को स्थल का वही 200 वर्ग मीटर का क्षेत्र सौंपा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मंदिर को ध्वस्त किए जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले सात में से पांच याचिकाकर्ताओं ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली के तुगलकाबाद वन क्षेत्र में गुरु रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति का अनुरोध करने संबंधी याचिका के संबंधित पक्षकारों से चार अक्तूबर को कहा था कि वे मंदिर के लिए एक बेहतर जगह के सर्वमान्य समाधान के साथ उनके पास वापस आएं। अदालत ने कहा था कि वह सभी की भावनाओं का सम्मान करती है लेकिन कानून का पालन तो करना ही होगा। अदालत के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट का पीएमसी खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी बैंक से धन निकासी पर आरबीआइ द्वारा निर्धारित की गई सीमा खत्म करने के लिए बैंक खाताधारकों की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वे अनुच्छेद 32 (रिट अधिकार क्षेत्र) के तहत याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते। याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित हाईकोर्ट जा सकते हैं।

पंजाब एंड महाराष्ट्र सरकारी बैंक में 4,355 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद रिजर्व बैंक ने इसके वित्तीय लेनदेन पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंधों के तहत बैंक के ग्राहक छह महीने की अवधि में इससे 40,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं। इससे बैंक के ग्राहकों में घबराहट फैल गई है। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस स्थिति की गंभीरता से परिचित है और प्रवर्तन निदेशालय दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा की ओर से वकील शशांक सुधी ने कहा कि उन्होंने पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक के 500 खाताधारकों की ओर से याचिका दायर की है। जिसमें नकदी निकालने पर लगाई रोक को हटाने का अनुरोध किया गया है।

पीएमसी बैंक घोटाले के बाद इसके एक खाताधारक ने मंगलवार को मुंबई में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी।

जांच में 41 फीसद दूध के नमूने गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

दूध में मिलावट की रोकथाम के लिए देश में पहली बार बड़े पैमाने पर किए नमूनों की जांच में खुलासा हुआ है कि 41 फीसद दूध के नमूने गुणवत्ता के लिहाज से खरे नहीं पाए गए। सात फीसद नमूने मानव उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ)की ओर से हुए देशव्यापी सर्वेक्षण में पाया गया है कि बड़े ब्रांड के प्रसंस्कृत दूध में भी एंटीबायोटिक्स है। मिलावट के लिहाज से तो छह हजार से अधिक नमूनों की जांच में केवल 12 नमूने ही मिलावटी पाए गए लेकिन इस पर भी उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ ने सवाल उठाया है। प्राधिकरण ने त्योहारों के इस मौसम में मिलावट के खतरे के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय दूध सुरक्षा व गुणवत्ता सर्वेक्षण 2018 के तहत देश भर में दूध के कुल 6432 नमूनों की जांच की। इस जांच रपट को जारी करते हुए प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी पवन अग्रवाल ने कहा कि इनमें से मिलावट तो केवल 12 नमूनों में ही पाया गया।

लेकिन दूध की गुणवत्ता के लिहाज से 41 फीसद नमूने फेल पाए गए। उन्होने बताया कि दूध में मिलावट पाए गए 12 नमूनों में से छह नमूनों में हाइड्रोजन परआक्साइड की मिलावट पाई गई। तीन नमूनों में डिटरजेंट की मिलावट पाई गई जबकि यूरिया की मिलावट रायपुर से उठाए गए 32 में से दो नमूनों में पाई गई। कच्चे दूध के और प्रसंस्कृत दूध के नमूने भी लिए गए थे। जिनमें से ब्रांडेड दूध के नमूनों में एंटीबायोटिक व कीटनाशक भी सुरक्षित मात्रा से अधिक पाए गए। दूध के कुल 368 (5.7 फीसद) नमूनों में एफ्लाक्सिन एम वन व 1.2 फीसद नमूनों में एंटीबायोटिक्स व दशमलव एक फीसद से अधिक नमूनों में कीटनाशक पाए गए। एफ्लॉक्सिन-एम एक एक तरह का फफूंद है, जो मानव सेहत के लिए नुकसानदेह है। दिल्ली, तमिलनाडु और केरल के नमूनों में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। दूध में पानी की मिलावट भी अधिक है। दिल्ली में प्रसंस्कृत दूध के 194 नमूने उठाए गए जिनमें से 36 नमूने फफूंद होने से ठीक नहीं पाए गए। वहीं कच्चे दूध के 68 नमूने जांचे गए जिनमें से दे नमूने गुणवत्ता के लिहाज से ठीक नहीं थे।

PUBLIC NOTICE

This is for the information of general public that my client(s)(1) Sh.Dinesh S/o Sh. Hukam Singh and (2) Smt. Rajesh Kumar W/o Sh. Dinesh both R/o Plot No. 398-A,G/F, Block-B, Vikas Vihar, Vikas Nagar, New Delhi-110059 have disowned and debarred their sons namely (1) Pawan, his wife namely Deepika Kasana, grandson Daksh and (2) Pradeep Bansal, his wife Sweta, grandson Yash from all their movable and immovable properties with immediate effect because their constant fighting at home and outside and loss of my clients mental peace, harassment, torture, cruelty, atrocities committed by them against my clients. Anybody dealing with them shall do so at his/her/their own risk cost and responsibilities thereto. My clients shall not be responsible in any manner for the same.

Sd/-H.K.BABBAR, ADVOCATE, DG-3/409, Vikaspuri, ND-58

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः पटेल नगर, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **30/05/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः मैसर्स बालाजी ऑयल कैरियर, करण शर्मा, मालिक- मैसर्स बालाजी ऑयल कैरियर एवं गारंटरः श्रीमती रमा शर्मा पत्नी करण शर्मा,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.52,01,819/- (बावन लाख एक हजार आठ सौ उन्नीस रूपये मात्र)** और उस पर ब्याज एवं अन्य शुल्क उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर को चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 17 अक्तूबर, 2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.52,01,819/- (बावन लाख एक हजार आठ सौ उन्नीस रूपये मात्र) और उस पर ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध मे अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती रमा शर्मा पत्नी करण शर्मा के नाम में सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो सम्पूर्ण भवन निर्माण तीसरा तल छत अधिकार के साथ, सामान्य मार्ग के साथ, आम सीढ़ियाँ, भूतल पर सामान्य पार्किंग स्थान के साथ सम्पत्ति असर सं.डब्ल्यूजेड-164 का निर्माण, परिमाप 133.50 वर्ग यार्ड भूमि पर बनाया गया, ब्लॉक नं.ई/प्लॉट सं.98, रेक्ट. सं.40 का भाग, किल्ला नं.18, गाँव शकूर पुर, दिल्ली के क्षेत्र में स्थित, अब आबादी को श्रीनगर, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 के नाम से जाना जाता है। जो घिरा हैः

उत्तरः अन्य की सम्पत्ति — दक्षिणः अन्य की सम्पत्ति
पूर्वः गली — पश्चिमः गली

स्थानः दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 17.10.2019 — **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

हजेला को अधिकतम समय के लिए मध्य प्रदेश स्थानांतरित करें : सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को शुक्रवार को आदेश दिया है कि वह असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के समन्वयक प्रतीक हजेला को अधिकतम समय के लिए मध्य प्रदेश स्थानांतरित करें। यह आदेश स्पष्ट रूप से हजेला पर खतरे की आशंका के मद्देनजर दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की विशेष पीठ ने हजेला का प्रतिनियुक्ति पर अंतरकाडर स्थानांतरण करने का आदेश दिया।

> ***हजेला*** ने असम एनआरसी को अंतिम रूप देने और उसके प्रकाशन की प्रक्रिया की निगरानी की थी।

हजेला ने असम एनआरसी को अंतिम रूप देने और उसके प्रकाशन की प्रक्रिया की निगरानी की थी। एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। जिसमें 3,30,27,661 आवेदकों में से 19,06,657 लोगों को बाहर रखा गया था।

मौसम

तापमान	नई दिल्ली	
अधिकतम–33.6 डि.से.		सूर्योदय– 6:24
न्यूनतम– 21.2 डि.से.		सूर्यास्त– 17:49

थकाऊ और पकाऊ

फिल्म समीक्षा
रवींद्र त्रिपाठी

लाल कप्तान

रेटिंग– ★★

निर्देशक– नवदीप सिंह

कलाकार– सैफ अली खान, दीपक डोब्रियाल, मानव विज, जोया हसन

क्या सैफ अली खान का करिअॅर अब ढलान पर है? लगता तो यही है क्योंकि 'सेक्रेड गेम्स' के दूसरे सीजन में वे जम नहीं पाए और पिछले बरसों में उनकी फिल्में भी पिटीं ही हैं। उनकी नई फिल्म 'लाल कप्तान' भी पकाऊ और थकाऊ है। इसमें सैफ गोसाईं नाम के (हालांकि गोसाईं कोई नाम नहीं है, हर साधु को गोसाईं कह सकते हैं) नागा साधु बने हैं, जो प्रतिशोध लेने निकला है। रहमत खान (मानव विज) नाम के शख्स से। फिल्म की कहानी अठारहवीं सदी के भारत पर केंद्रित है। बक्सर के युद्ध के समय की। इसलिए कह सकते हैं कि ये एक पीरियड फिल्म है। जिस क्षेत्र की कहानी है, वह है भारत का बुंदेलखड। क्या गोसाईं बदला ले पाएगा? लेकिन बदला किस बात का? गोसाईं रहमत खान को खोजने निकला है। ये खोज आसान नहीं है। कई तरह की पेचीदगियां हैं। क्या गोसाईं अपने मकसद में कामयाब होगा।

रहमत खान और गोसाईं– दोनों खूंखार हैं। इसलिए कई जगहों पर अच्छे और बुरे का फर्क मिट जाता है। यह भी कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि फिल्म में सैफ या दूसरे कलाकारों से ज्यादा असफलता इसके निर्देशक नवदीप सिंह की है जो कहानी को ठीक से समेट नहीं पाते। सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में आइटम सांग किया है। वह भी बेमतलब का है।

सुस्त और बोरियत भरी

यारम

रेटिंग– ★

निर्देशक– ओवेस खान

कलाकार– प्रतीक बब्बर, इशिता राज शर्मा, सिद्धांत कपूर, अनीता राज, दिलीप ताहिल

फिल्म का मूल आइडिया तो यह है कि दर्शकों को बताया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के बीच प्रचलित रहे तीन तलाक को जो कानूनन खत्म किया है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसका दूसरा मकसद यह है कि प्रतीक बब्बर को बतौर हीरो पेश किया जाए। प्रतीक ने इसमें रोहित नाम के एक शख्स का किरदार निभाया है। रोहित का दोस्त है साहिल (सिद्धांत कपूर)। साहिल की बीवी है जोया (इशिता राज शर्मा)। साहिल और जोया में अनबन हो जाती है और फिर तलाक तलाक तलाक। फिर साहिल का मन बदलता है और जोया से फिर शादी करना चाहता है। इसके लिए इस्लाम के मुताबिक हलाला जरूरी है यानी जोया को पहले किसी और से शादी करनी होगी। क्या ऐसे में उसका दोस्त रोहित काम आएगा? पर रोहित को अपना मजहब बदलना होगा। लेकिन क्या होगा अगर रोहित और जोया में प्यार हो जाए तो?

ऐसे ही उलझनों से गुजरने वाली यह फिल्म बेहद सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ती है और दर्शकों को लगातार बोर करती हुई जब अंत तक पहुंचती है तब पता चलता है कि निर्देशक यह बताना चाहता है कि तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं गलत हैं। पर फिल्म यह नहीं बताती है कि अगर पत्नी और पति में रिश्ते खराब हो जाएं तो क्या निदान हो।

नीति आयोग की रिपोर्ट में दिल्ली का अव्वल दर्जा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

नीति आयोग की रिपोर्ट में दिल्ली नंबर वन बनी है। इस रिपोर्ट पर आम आम आदमी पार्टी के नेता अजॉय कुमार ने कहा कि दिल्ली के बेहतरीन गर्वनेंस मॉडल की बदौलत यह संभव हुआ है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के इस मॉडल को खुद केंद्र सरकार ने एक सबसे बेहतर मॉडल बताया है। देशभर के सभी राज्यों में दिल्ली सबसे आगे रही है। यहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और आम जनता के स्तर में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से ही बिजली बिल हाफ व पानी बिल माफ की योजना को लागू किया था।

इस सफल प्रयास के बाद से ही जनता को जोड़ने के लिए पार्टी ने एक के बाद एक योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि सरकार की इन योजनाओं से भाजपा भी परेशान है। भाजपा नेता विजय गोयल ने खुद जनता को दी जा रही इन मुफ्त योजनाओं पर सवाल खड़ा किया है।

जामिया में उर्दू भाषा के एक साल के पाठ्यक्रम की शुरुआत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से उर्दू भाषा में एक साल के पाठ्यक्रम में दाखिले की पेशकश की है। इस पाठ्यक्रम का मकसद उर्दू सीखने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अवसर प्रदान करना है। दूरस्थ माध्यम वाले इस पाठ्यक्रम में प्रवेश पूरे वर्ष किसी भी समय लिया जा सकता है। यह कोर्स छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार उर्दू सीखने की सुविधा प्रदान करती है। भारत में इस कोर्स के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपए है जबकि दक्षेस (सार्क) देशों के लोगों के लिए 20 अमेरिकी डॉलर और अन्य देशों के लिए 50 अमेरिकी डॉलर है। यह कोर्स करने वालों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी।

कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल
(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान भवन–I, पूसा, नई दिल्ली 110 012

मिसिल सं. 1(8)/2019–परीक्षा.II दिनांक 14 अक्टूबर, 2019

सूचना

भा.कृ.अनु.प. – राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) – 2019

कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (ए.एस.आर.बी.), राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एस.ए.यू.)/ कृषि विश्वविद्यालय (ए.यू.) में व्याख्याता / सहायक प्रोफेसर के पद के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए सम्पूर्ण भारत में 34 केन्द्रों पर ऑनलाइन माध्यम से (कंप्यूटर–आधारित परीक्षा) योग्यता परीक्षा, भा.कृ.अनु.प. – राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) –2019 परीक्षा आयोजित करेगा।

अधिक विवरण वेबसाइट **www.asrb.org.in** और **www.icar.org.in** पर प्राप्त किया जा सकता है।

हस्ता./–
(वेद प्रकाश)
परीक्षा नियंत्रक

davp 01307/11/0005/1920

फार्म ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 14 के अंतर्गत]
स्वयं सेल्स एजेंसियां प्राईवेट लिमिटेड के हितधारको के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	स्वयं सेल्स एजेंसियां प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के गठन की तिथि	11/01/2010
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट व्यक्ति पंजीकृत है,	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, के कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित देयता पहचान कॉर्पोरेट व्यक्ति की संख्या	U52100DL2010PTC354826
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और कॉर्पोरेट व्यक्ति का प्रधान कार्यालय (यदि काइ हो)	501, प्लॉट नं. 17, सधदेया कॉर्पोरेशन टॉवर,कम्यूनिटी सेन्टर, करकरडूमा, दिल्ली ईस्ट दिल्ली, 110092
6.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के संबंध में दिवाला प्रारंभ तिथि	18 अक्टूबर, 2019
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई–मेल पता और टेलीफोन नंबर पंजीकरण संख्या	करुणा शर्मा जी–13, फर्स्ट फ्लोर, साउथ सिटी–2, सेक्टर–50 गुडगांव हरियाणा –122018 ईमेल आई डी : sharma.karuna@gmail.com संपर्क विवरण : 9871145777 पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00340/2017-18/10944
8.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	17 नम्बर, 2019

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि स्वयं सेल्स एजेंसियां प्राईवेट लिमिटेड ने 18 अक्टूबर 2019 को स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

स्वयं सेल्स एजेंसियां प्राईवेट लिमिटेड के सभी हितधारको को उपरोक्त मद सं. 7 में वर्णित कार्यालय पते पर अपने दावों के प्रमाण परिसमापक के पास 17 नम्बर, 2019 तक या उससे पूर्व जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय लेनदार अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अपना दावा जमा करना होगा।

दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

हस्ताक्षर / –
करुणा शर्मा
इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल
पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00340/2017-18/10944
sharma.karuna@gmail.com, मोबईल–9871145777
जी–13, फर्स्ट फ्लोर, साउथ सिटी–2, सेक्टर–50
गुडगांव हरियाणा –122018

दिनांक : 18 अक्टूबर 2019
स्थान : नई दिल्ली

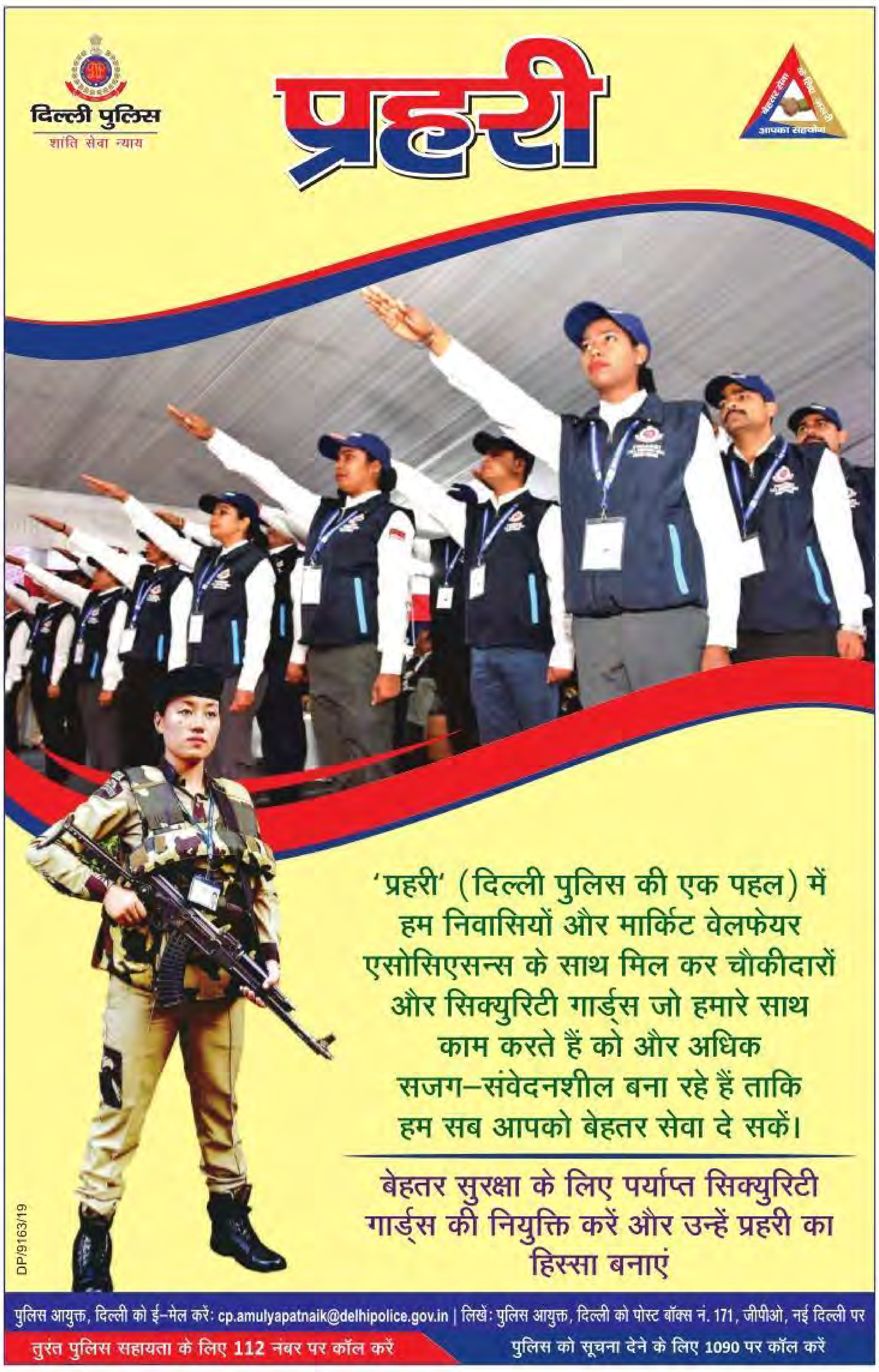

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक
punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सर्किल कार्यालय : बुलन्दशहर
पता : यमुनापुरम, बुलन्दशहर, उ.प्र.–203001
मोबाइल : 9897912444, फोन : 05732–281724, ई–मेल : cobsrsamd@pnb.co.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम ८ एवं ९ के तहत जनसामान्य को ई–नीलामी विक्रय की सूचना, अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम ८(६) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों), गिरवीकर्ता(ओं) तथा जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यों), जिस पर पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी ने कब्जा किया है, का विक्रय निम्नलिखित नामधारी कर्जदार(रों), गिरवीकर्ता(ओं) तथा जमानती(यों) से पंजाब नेशनल बैंक प्रतिभूत लेनदार की ओर नीचे वर्णित बकाये की राशि की वसूली के लिए "जहाँ है वहाँ है", "जो कुछ है यही है" तथा "जो भी है वहीं है" के आधार पर 28.11.2019 को किया जायेगा। ज्ञात ऋणभारों, यदि कोई हो, सहित अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया (1) https://www.pnbindia.in, (2) https://www.pnbindia.biz, (3) https://eprocure.gov.in/epublish/app में प्रावधानित लिंक देखें।

ई–नीलामी का कार्यक्रम

निरीक्षण की तिथि एवं समय	ज.ध.रा. जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय
25.11.2019 (सोमवार) 12:00 बजे प्रातः से 16:00 बजे अपराह्न तक	26.11.2019 (मंगलवार) 16:00 बजे अपराह्न तक	28.11.2019 (वृहस्पतिवार) 12:00 बजे दोपहर से 14:00 बजे अपराह्न तक

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की अनुसूची

क्रम सं.	कर्जदार का नाम तथा शाखा	स्वामी(यों)/सम्पत्ति(यों) के गिरवीकर्ताओ का नाम	प्रतिभूत ऋण का विवरण	गिरवीकृत सम्पत्ति(यों) का विवरण	आरक्षित मूल्य	ज.ध.रा.	सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि	सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि
1.	मैसर्स भारत बायोक्लीन शाखा : सिविल लाइन बुलन्दशहर	श्री सुनील सिंह	रु. 94,41,141.92/– + 01.01.2019 से ब्याज	ग्राम अशरफपुर, खानपुर रोड, खसरा नं. 13, 27, 29एम, 33, 34 तथा 38, तहसील–सियाना, बुलन्दशहर, क्षेत्रफल 1.922 हेक्टे.	रु. 1,65,00,000/– (रु. एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र)	रु. 16,50000 (रुपये सोलह लाख पचास हजार मात्र)	02.02.2019	13.05.2019 (सांकेतिक कब्जा)

ई–नीलामी विक्रय के नियम एवं शर्तें :

विक्रय प्रक्रिया प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा पुनः निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सम्पन्न होगी :

i. सम्पत्तियों का विक्रय "जहाँ है वहाँ है", "जो कुछ है यही है" तथा "जो भी है वहीं है" के आधार पर किया जा रहा है।
ii. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना पर लिखे गये हैं किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
iii. प्रतिभूत आस्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जायेगा।
iv. नीलामी विक्रय "ऑनलाइन ई–नीलामी के माध्यम से" पोर्टल https://etender.pnbnet.in ; www.pnbindia.in ; www.eprocure.gov.in/epublish/app के माध्यम से किया जायेगा।
v. संविदाकारों को अपनी संविदा जमा करने तथा ई–नीलामी विक्रय कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://etender.pnbnet.in; www.pnbindia.in; www.eprocure.gov.in/epublish/app को ध्यानपूर्वक देखने की सलाह दी जाती है तथा/अथवा सम्पर्क करें : श्री कमल किशोर ठाकुर, मुख्य प्रबन्धक, अधिकृत प्राधिकारी (मोबाइल नं. 8171113715)
vi. इच्छुक संविदाकार ज.ध.रा. उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित तिथि तक डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से "अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक" के पक्ष में अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित खाते-पंजाब नेशनल बैंक, यमुनापुरम, बुलन्दशहर, खाता सं. 4568002100002378, (आईएफएससी कोड ढ्वट्ठ0456800) में जमा करनी होगी। ड्राफ्ट किसी सहकारी बैंक का नहीं होना चाहिए।
vii. इसके पश्चात ज.ध.रा. जमा करने के उपरान्त संविदाकार अग्रलिखित दस्तावेज जमा करेगा–1. ज.ध.रा. जमा होने का प्रमाण (जब एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से हो) अथवा मूल रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट (जहाँ भुगतान ड्राफ्ट के माध्यम से निर्धारित हो), 2. पहचान प्रमाण–पत्र अर्थात पैन कार्ड आदि की स्कैन की गयी प्रति 3. आवासीय पते का प्रमाण, 4. (अ) संविदाकार का नाम, (ब) मोबाइल नं./सम्पर्क नं. (स) पता, (द) ई–मेल पता (य) ज.ध.रा. की ऑनलाइन वापसी, यदि कोई हो, हेतु संविदाकार के खाते का विवरण। (5) ईएमडी के भुगतान के बाद बोलीदाता को अधोलिखित जमा करना होगाः 1. ईएमडी के भुगतान का प्रमाण (यदि एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा भेजा गया हो) अथवा मूल डिमांड ड्राफ्ट (* यदि भुगतान ड्राफ्ट के द्वारा किया गया हो) 2. आईडी प्रुफ अर्थात् पैन कार्ड आदि की स्कैन की गई कॉपी, 3. आवासीय पते का प्रमाण, 4. क) बोलीदाता का नाम, ख) मोबाईल नं./सम्पर्क नं. ग) पता, घ) ई–मेल का पता, ङ) ईएमडी के ऑन लाइन रिफंड, यदि कोई हो, के लिये बोलीदाता के खाता का विवरण, 5. व्यक्तियों को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं को ई–बोली के लिये उपयुक्त मैंडेट भी जमा करना होगा। बोलीदाता को ई–मेल cobsrsamd@pnb.co.in के पते पर प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी के पास ईमेल द्वारा इन दस्तावेजों को जमा करना होगा तथा साथ हीं "खाता क्रम सं. आईपी में बोली" के रूप में शीर्षांकित मुहरबंद लिफाफे में ऊपर वर्णित पते पर शाखा में प्राधिकृत अधिकारी के पास इन दस्तावेजों (मूल डिमांड ड्राफ्ट) के स्व–सत्यापित हार्ड कॉपी भी जमा करना होगा।
viii. इच्छुक बोलीदाता को मुख्य प्रबंधक, श्री राजवीर सिंह (मो.नं. 8800305533, सर्किल कार्यालय, बुलन्दशहर, यमुनापुरम बुलन्दशहर, उ.प्र.–203001) से अग्रिम में लागिन आईडी तथा पास्वर्ड भी प्राप्त करना होगा जो ई–बोली के लिये अनिवार्य है। यह लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये ई–मेल के पते पर भेजा जायेगा। यदि वह बोलीदाता को प्राप्त नहीं हो तो वे उपरोक्त अधिकारी से सम्पर्क करें।
ix. केवल वैध यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (जहाँ भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो) के भुगतान की संतुष्ट प्रमाण रखने वाले बोलीदाता ही ऑन लाइन ई–नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे।
x. प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने यदि स्वीकार्य नहीं हो, अथवा नीलामी को निलम्बित/रद्द/स्थगित करने/अवरुद्ध करने अथवा किसी भी समय नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
xi. बोलीदाता रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। यदि बोली नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो समापन का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा।
xii. नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी तथा बोलीदाता उपरोक्त रूप में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। 'ऑन लाइन नीलामी' की समाप्ति के बाद उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा वह बिक्री प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
xiii. सफल बोलीदाता को तत्काल अर्थात् उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस, जैसा भी मामला हो, को ऊपर क्रम सं. ५ में वर्णित खाता में नीलामी का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 25% बोली/बिक्री राशि (जिसमें धरोहर राशि शामिल नहीं है) का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में शेष 25% बोली राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
xiv. सफल बोलीदाता द्वारा 75% शेष राशि का भुगतान बैंक द्वारा बोली की स्वीकृति की तिथि से 15 दिनों के भीतर की जायेगी निर्धारित अवधि में शेष 75% राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता सम्पत्ति अथवा उस राशि जिसके लिये बाद में सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी के किसी भाग के प्रति अपने दावे के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।
xv. यदि बिक्री के लिये निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व किसी भी समय ऋणधारक या गारन्टर/रों के द्वारा/उनकी ओर से सभी लागतों, चार्जेज तथा उनके द्वारा वहन किये गये खर्चे अथवा बैंक को यथा–स्वीकार्य उसके भाग के साथ बैंक के बकाये का भुगतान कर दिया जाता है तो सम्पत्ति की बिक्री रद्द कर दी जायेगी।
xvi. पंजीकरण चार्जेज, स्टाम्प ड्यूटी, करों आदि सहित सभी सांविधिक बकायों/एटैन्डेन्ट चार्जेज/अन्य बकायों का वहन क्रेता को ही करना होगा।
xvii. बिक्री प्रमाण पत्र बिक्री का रशीद उसी नाम में जारी किया जायेगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
xviii. जिन बोलीदाता के पास इन्टरनेट की सुविधा नहीं हो, लेकिन वे ई–नीलामी में भाग लेने के इच्छुक हों, वे श्री राजवीर सिंह मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मो. नं. 8800305533, सर्किल कार्यालय, बुलन्दशहर, यमुनापुरम से सम्पर्क कर सकते हैं।
xix. बैंक को ज्ञात अन्य कोई अधिकार–ज्ञात नहीं। ई–नीलामी की गई सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभार अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी भी प्रकार के बकाये के लिये प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति पर अधिभारों के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
xx. बोलीदाता उपयुक्त इन्टरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक–अप आदि सुनिश्चित कर लें। यह इन्टरनेट फैल्योर, पावर फैल्योर अथवा ई–नीलामी के प्रभावित करने वाले तकनीकी कारणों/आकस्मिक कारणों से किसी भी व्यवधान के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
xxi. यदि नीलामी की तिथि को अवकाश दिवस घोषित होता है तो नीलामी अगले कार्यदिवस को आयोजित की जायेगी।

"बैंक ने सरफाएशी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत डीएम, बुलन्दशहर के पास भौतिक कब्जे के लिये आवेदन दाखिल कर दिया है।

तिथिः 18.10.2019
स्थानः बुलन्दशहर

अधिकृत प्राधिकारी,
पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर

मौसम				
तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	34.7 डि.से.	34.7 डि.से.	33.6 डि.से.	34.6 डि.से.
न्यूनतम	21.2 डि.से.	21.2 डि.से.	19.7 डि.से.	21.5 डि.से.

दिल्ली विस अध्यक्ष सहित पांच लोगों को छह महीने की सजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

दिल्ली की निचली अदालत ने घर में जबरन घुसने के जुर्म में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को छह महीने की सजा सुनाई है। गोयल के साथ-साथ उनके बेटे सुमित गोयल समेत पांच लोगों को छह-छह महीने की सजा सुनाई है। सुमित को मारपीट करने का भी दोषी पाया है। उन सभी पर एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है। पिता-पुत्र के अलावा जिन तीन लोगों को सजा हुई उनमें अध्यक्ष के सहयोगी हितेश खन्ना,अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह के नाम शामिल हैं। हालांकि कानूनी प्रावधानों के तहत सभी दोषियों को हाथोंहाथ जमानत भी मिल गई ताकि वे उपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकें। उन्हें एक-एक लाख रुपए के मुचलके पर अदालत ने जमानत दी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत ने गोयल और चार अन्य आरोपियों को यह कहते हुए दोषी करार दिया। जज ने कहा कि उनके खिलाफ यह मामला संदेह के परे है। लिहाजा इन्हें सजा मिलनी चाहिए। भाजपा नेता मनीष घई ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले अदालत ने गोयल को भारतीय दंड संहिता की धारा 448 के तहत दोषी ठहराया। रामनिवास गोयल के बेटे सुमित गोयल को धारा 323 यानी मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया गया। मनीष घई ने जब रामनिवास गोयल के खिलाफ विवेक विहार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी उस वक्त गोयल शाहदरा इलाके से विधायक थे। यह मामला

करीब पांच साल पहले घर में जबरन प्रवेश करने और मारपीट करने का मामला

छह फरवरी, 2015 का है। ये सभी लोग पीड़ित के घर मे घुस गए थे और उनमें से कुछ ने उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि रामनिवास गोयल ने अदालत में दलील दी थी कि उन्हें जानकारी मिली थी कि भाजपा नेता ने अपने घर में कंबल और शराब छिपा रखी है, जो चुनाव से पहले वोट के लिए बांटी जानी थी। उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी और पुलिस के साथ पीड़ित के घर मे दाखिल हुए थे। लेकिन अदालत ने गोयल और अन्य की दलीलों की जगह शिकायती पक्ष की दलीलों से सहमति जताई और उन्हें दोषी करार देते हुए सजा और जुर्माना किया। शिकायतकर्ता के अनुसार उनके घर में काम चल रहा था और कुछ मजदूर वहां रह रहे थे। छह फरवरी, 2015 की रात करीब साढ़े नौ बजे गोयल व उनके साथियों ने घर में जबरन प्रवेश किया। मजदूरों ने उन्हें फोन पर इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को भी सूचित किया गया। आरोपपत्र के मुताबिक आरोपियों ने वहां संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। मजदूरों ने जब विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट की गई।

भाजपा ने घेरा

'दागदारों को मुख्यमंत्री का संरक्षण'

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दागदार नेताओं को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है। अदालत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का सही चेहरा सामने आ गया है। यह मामला चार साल पुराना है और आज अदालत ने इस पर फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि रामनिवास गोयल ने अपने बेटे सुमित गोयल के साथ भाजपा कार्यकर्ता मनीष घई के घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में अदालत के फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है।

इस्तीफा दें गोयल : गुप्ता

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल का इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी प्रकार नैतिकता के आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में विधायक का लिप्त होना यह मुख्यमंत्री की नरमी का प्रतीक है। उन्हें अपने पद की गरिमा के लिए पद से इस्तीफा देना चाहिए।

पूर्व क्रिकेटर प्रभाकर और उनकी पत्नी पर मकान कब्जाने का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर, उनकी पत्नी और बेटे समेत दो अन्य सहयोगी पर एक बुजुर्ग महिला ने उनके फ्लैट पर गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मालवीय नगर थाने में शिकायत दी है। शिकायत करने वाली बुजुर्ग महिला विदेश में रहती हैं। उनका आरोप है कि भारत में नहीं होने का फायदा उठाते हुए उनके फ्लैट पर कब्जा किया गया है। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक आरोप लगाने वाली संध्या शर्मा इन दिनों लंदन में रहती हैं। उन्होंने बुधवार को मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर समेत पांच लोगों के खिलाफ उनके फ्लैट पर अवैध कब्जा करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि उनका सर्वप्रिया विहार इलाके में एक फ्लैट है। उसी अपार्टमेंट में मनोज प्रभाकर भी पहली मंजिल पर रहते हैं। महिला का दावा है कि उनकी गैरमौजूदगी में उनके फ्लैट के फर्जी कागजात बनवाकर उन्होंने फ्लैट पर कब्जा कर लिया। उनके फ्लैट का ताला भी तोड़ दिया और उसमें अपने एक जानकार को रहने के लिए जगह भी दे दी। महिला ने विरोध किया तो उन्हें धमकी दी गई और फ्लैट के बदले डेढ़ करोड़ की मांग की गई।

टूटी और खराब सड़कों के लिए एजंसियों पर लगेगा जुर्माना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार अब सख्ती बढ़ाएगी। धूल कण व प्रदूषण की एक बड़ी वजह टूटी हुई सड़कें भी हैं। इन सड़क मार्गों की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली के सभी एसडीएम को आदेश दिए हैं कि वे ऐसे मार्गों की जांच करें और खराब पड़े मार्गों के लिए संबंधित एंजसियों पर जुर्माना लगाए।

हाल ही में दिल्ली सरकार ने मार्गों का सर्वे किया था। इस सर्वे के बाद शुक्रवार तक सभी मार्गों को ठीक करने के आदेश दिए थे। इस प्रक्रिया के बाद ही एसडीएम को ये आदेश जारी किए गए हैं। सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों के धूल भरे मार्गों की पहचान करेंगे और इस मामले में उन एंजसियों पर जुर्माना लगाएंगे। दिल्ली में 1260 किलोमीटर लंबे प्रमुख मार्ग दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के पास हैं। प्रदूषण की स्थिति का अध्ययन करने के लिए शुक्रवार को मंत्री कैलाश गहलोत ने द्वारका के केंद्र का भी मुआयना किया। प्रदूषण के आकलन के लिए सरकार ने यह केंद्र तैयार किया है।

वहीं प्रदूषण के मामले में आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण जांच एंजसियों को घेरा है। शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि देश की जांच एंजसियां हरियाणा व पंजाब को बचाने में लगी हैं। इसलिए बार-बार ऐसे आकलन पेश किए जा रहे हैं जिसमें यह बताने की कोशिश हो रही है कि पराली की वजह से प्रदूषण नहीं है। उनका इशारा शुक्रवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की तरफ था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है। इसके बाद से ही एंजसियों में होड़ लगी हुई है कि दिल्ली के लोग प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं।

एनजीटी ने दिया द्वारका में ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई का आदेश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को द्वारका के एक आवासीय क्षेत्र के आस पास ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने ये आदेश द्वारका के सेक्टर-3 में ध्वनि प्रदूषण का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) से दो महीने के अंदर विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा है। पीठ ने कहा कि डीपीसीसी मामले को देखे और कानून के अनुरूप उचित कार्रवाई करके मामले में दो महीने के भीतर तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दे।

नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं : एनजीटी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक बिजली वितरण कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की एक याचिका गुरुवार को खारिज करते हुए कहा कि नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं। याचिका के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए डीजल जेनरेटरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) के आदेश से राहत मांगी गई थी।

विधानसभा अध्यक्ष के सचिव से पश्चिम विहार में झपटमारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

पश्चिम विहार थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के सचिव का मोबाइल झपट लिया। घटना के समय पीड़ित अधिकारी अपनी पत्नी के साथ घर के पास स्थित बाजार में जा रहे थे। पुलिस को शाम करीब 7 बजकर 15 मिनट पर सूचना मिली थी। फिलहाल पुलिस ने सचिव अजय रावल के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर तलाश में जुटी है। बीते दिनों स्कूटी सवार बदमाशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी का बैग झपट लिया था, जिसमें नकदी, मोबाइल फोन समेत अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेज थे।

अजय रावल अपने परिवार के साथ पश्चिम विहार में रहते हैं। गुरुवार को अपनी पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए जा रहे थे, तभी अंबिका विहार में केंद्रीय विद्यालय के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश आए और उनका मोबाइल झपट लिया।

कनॉट प्लेस में वायुसेना के अधिकारी का बैग झपटा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

राजधानी के कनॉट प्लेस (सीपी) में एक वायुसेना के अधिकारी से बैग झपटमारी का मामला सामने आया है। पीड़ित अधिकारी जार्ज थॉमस (50) ने बैग को साइकिल के हैंडल पर टांगा हुआ था। वारदात के समय वह साइकिल चला रहे थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब छह बजे वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित जॉर्ज थॉमस सेना भवन में ठहरे हुए हैं। उन्होंने पुलिस को अपने घर की बजाए दफ्तर का ही पता बताया है। वह गुरुवार सुबह साइकिल चलाते हुए कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से बाबा खड़क सिंह मार्ग से होते हुए बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ जा रहे थे। उन्होंने साइकिल के आगे हैंडल पर एक छोटे सा बैग लटकाया हुआ था, जिसमें उनका मोबाइल फोन और पर्स था।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "सेन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्तियों के लिए)
[(विशिष्ट-IV)देखें नियम 8(1)]

शाखा कार्यालयः एमएमएच कॉलेज, गाजियाबाद, उ0प्र0

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्ती परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को माँग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि तालिका में नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यसवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा उस पर ब्याज के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार हैः-

अचल सम्पत्ती का विवरण

क्र. सं.	ऋणधारकों/गारंटरों के नाम	गिरवी रखी गई/चार्ज्ड सम्पत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	कर्जदार : श्री लाजवन्त सिंह पुत्र करतार सिंह एवं श्रीमती अल्पना सिंह पत्नी लाजवन्त सिंह	प्राथमिक सुरक्षाः श्री लाजवन्त सिंह पुत्र करतार सिंह के नाम में ईएम आवासीय सम्पत्ति दूसरा तल एरिया 50 वर्ग मीटर, गाँव दरगल के खसरा नं.1025 में सम्बन्धित प्लॉट नं.35ए पर निर्मित, अब गुलधर-2, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी गाजियाबाद के नाम से जाना जाता है। सम्पत्ति जो घिरा हैः पूर्वः रास्ता 24 फीट पश्चिमः प्लॉट नं.58 उत्तरः प्लॉट नं.35 दक्षिणः प्लॉट नं.36	03.06.2019	14.10.2019	रू. 14,17,425/- और उस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार/व्यय।
2.	कर्जदार : श्री कृष्ण कुमार पुत्र धर्म दत्त एवं श्रीमती ऊषा शर्मा पत्नी कृष्ण कुमार	प्राथमिक सुरक्षाः ईएम निर्मित वृंदावन गार्डन में स्थित आवासीय सम्पत्ति (एरिया 75 वर्ग यार्ड, खसरा नं.35) हदबस्त गाँव शाहबेरी, परगना एवं तहसील दादरी, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 जो श्रीमती ऊषा शर्मा पत्नी कृष्ण कुमार के नाम में सम्पत्ति जो घिरा हैः पूर्वः 22 फीट चौड़ी रोड पश्चिमः अन्य सम्पत्ति उत्तरः रमेश्वरी का प्लॉट दक्षिणः अन्य सम्पत्ति	03.06.2019	14.10.2019	रू. 20,56,117/- और उस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार/व्यय।

कर्जदारों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः गाजियाबाद / गौतमबुद्ध नगर
दिनांकः 14.10.2019

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

राहुल को है प्रधानमंत्री से 'एलर्जी' : राजनाथ

फरीदाबाद, 18 अक्तूबर (जनसत्ता)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 'एलर्जी' है। देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए राफेल खरीदने की चर्चा 10-12 सालों से चल रही थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाकर फैसला कर दिया। अब वह प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते है। सिंह शुक्रवार को पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव छांयसा में भाजपा उम्मीदवार सोहनपाल छोकर के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली में लोगों को संबोधित कर रहे थे।

रक्षामंत्री ने कहा कि जो राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर बाहर हैं, वह प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष किसी नेता के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रधांनमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश की गरिमा व प्रतिष्ठा किसी भी सूरत में नहीं गिरनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि अगर उन्हें राजनीति नहीं करनी आती तो वह रामायण ही पढ़ लें, कैसे भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम की परंपरा को निभाया।

रक्षामंत्री ने कहा कि राफेल खरीद में राहुल गांधी चोरी का आरोप लगाते हैं, यह एक गाली है, जो गलत है। उन्होंने कहा

नागर को पायलट समझकर वोट दें : सचिन

फरीदाबाद। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ का पिटारा लेकर घूमने वाले भाजपाइयों के दिन अब लद चुके हैं। क्योंकि इनके झूठ की कलई अब जनता के सामने खुल चुकी है। भाजपा के 75 पार का नारा भी लोगों ने नकार दिया है। इसलिए अब वक्त आ गया है इन जुमलेबाजों को प्रदेश से चलता करने के लिए कांग्रेस के हाथ मजबूत करें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि तिगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी ललित नागर को सचिन पायलट समझकर विधानसभा में भेजने का काम करें। उन्हें हरियाणा में बनने वाली कांग्रेस सरकार में बड़े पद का मंत्री बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। सचिन पायलट शुक्रवार को तिगांव अनाज मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी ललित नागर की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हुए कहा कि पांच साल पूर्व 2014 के विधानसभा चुनावों में मैं भी इसी तिगांव की अनाज मंडी में आप लोगों के बीच आया था और आपने मुझे मान देते हुए ललित नागर के रूप में विजयी ताज पहनाया था। इसलिए आज फिर मैं आपके बीच में आया हूं क्योंकि न्याय और अन्याय की इस लड़ाई में अन्याय रूपी भाजपा को सबक सिखाना जरूरी है। **(जनसत्ता)**

'ज्यादातर स्कूली बच्चे नहीं हैं खुश'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

दिल्ली के ज्यादातर स्कूली बच्चे खुश नहीं हैं, जो खुश हैं, वे भी असली खुशी का मतलब नहीं जानते। यह तथ्य स्वास्थ्य मेले में हुए सर्वेक्षण में सामने आए। यह बच्चों में बढ़ रहे अवसाद की अहम वजह बताई गई है।

अवसाद तमाम बीमारियों के मूल में है। हार्ट केयर फांउडेशन व सरकार के तमाम विभागों के सहयोग से होने वाले 26वें परफेक्ट हेल्थ मेले का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। इस साल मेले की थीम फिट दिल्ली, फिट इंडिया है। मेले में लोगों के मधुमेह की जांच की गई। संस्था के अध्यक्ष डॉ केके अग्रवाल ने कहा कि देश को स्वस्थ और बीमारी मुक्त बनाने के मकसद से हर साल मेला लगाते हैं। मेला 20 अक्तूबर तक चलेगा। मेले में प्रवेश मुफ्त है। इस अवसर पर बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ बिजोन मिश्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मीडिया और कम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट रिचा भारती, संगठन की निदेशक डॉ वीना अग्रवाल व विज्ञान व तकनीकी विभाग की निशा मेंदीरत्ता ने भी विचार रखे। डॉ अग्रवाल ने कहा कि मेले में हुए सर्वेक्षण में पता चला कि ज्यादातर स्कूली बच्चे खुश नहीं हैं। जो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। वे बताते है कि मेले में बड़े पैमाने पर स्कूली बच्चों को शामिल किया जाता है।

आज के कार्यक्रम

सभा-संगोष्ठी

भारतीय नीति प्रतिष्ठान : पाक पर चर्चा, कमेटी रूम-3, जेएनयू, शाम साढ़े तीन बजे।
इंडिया हैबीटाट सेंटर : 'हैबिटाट-चर्चा', लाईब्रेरी लॉज, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम छह बजे।

लेडी श्रीराम कॉलेज के पास पुलिस से मुठभेड़

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने लेडी श्रीराम कॉलेज के पास से शुक्रवार सुबह मुठभेड़ के बाद एक लाख रुपए के इनामी बदमाश इकबाल को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पैर में गोली लगी। इसी बीच तीन पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी। इकबाल के खिलाफ विभिन्न थानों में डकैती, लूटपाट, चोरी, पुलिस पर हमला करने समेत कई मामले दर्ज हैं। **(ज.सं.)**

सूटकेस में बंद मिला महिला का शव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

बवाना थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब लोगों एक लावारिस बैग को देखा। बैग से बदबू आ रही थी। आनन-फानन में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई।

मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बैग खोल कर देखा तो अंदर एक महिला का शव सड़ी-गली अवस्था में था। पुलिस ने बताया कि महिला के पास से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। शुरुआती छानबीन के आधार पर पुलिस मानकर चल रही है कि महिला का शव तीन-चार दिन पुराना हो चुका है।

फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यहां पर बैग कौन फेंक कर गया होगा। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर महिला के बारे में जानकारी जुटा रही है।

दिल्ली का रण

केजरीवाल चुनाव जीतने की रणनीति पर कर रहे काम

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रहे आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव में दिल्ली में तीसरे नंबर पर जाने के बाद उन्होंने अभियान की कमान अपने हाथ में ले ली है और करीब तीन महीने से हर रोज कोई न कोई घोषणा कर रहे हैं।

दूसरी ओर लोगों का मिजाज भांप कर हर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाना भी बंद कर दिया है। इसी का असर रहा कि उन्होंने अपने पहले के बयान को पलटते हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का समर्थन किया। हर बात पर नौकरशाही और उपराज्यपाल से भिड़ते रहने वाले केजरीवाल मई के लोकसभा चुनाव के बाद एक भी बयान नौकरशाही के खिलाफ नहीं दिया।

उनकी बड़ी मुफ्त घोषणाओं में महिलाओं के लिए दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) में मुफ्त यात्रा की सुविधा देना है। डीटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा तो शुरू भी होने वाली है लेकिन मेट्रो पर विवाद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एतराज करते हुए कहा कि वह जनता के पैसे का दुरुपयोग होने पर दर्शक बना नहीं रह सकता है। बावजूद इसके केजरीवाल ने घोषणा से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। पिछली घोषणाओं से आगे जाकर केजरीवाल ने बिजली-पानी में पहले से ज्यादा मुफ्त करने, अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के साथ-साथ उनमें रजिस्ट्री शुरू करवाने, पूर्वांचल (बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि के मूल निवासियों) के प्रवासियों को अपने पक्ष में स्थायी करने के लिए दिल्ली के स्कूलों में मैथिली की पढ़ाई शुरू करवाने और भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूचि में शामिल करवाने के प्रयास आदि अनेक घोषणाओं की शृंखला खड़ी कर दी है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषाओं-गढ़वाली और कुमाऊंनी अकादमी बनाने की घोषणा कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक घोषणाओं के साथ साथ उन्हें मुफ्त तीर्थ यात्रा का अभियान सरकार काफी दिनों से चला रही है। युवाओं के लिए पहले से ही उच्च शिक्षा के लिए आसान शर्तों पर कर्ज के अलावा 10वीं और 12वीं के छात्रों की फीस सरकार से भरवाने की घोषणा हो चुकी है।

इसके अलावा चार नवंबर से 15 नवंबर तक प्रदूषण रोकने के नाम पर कारों के लिए सम-विषम योजना लागू करेगी। उसमें पर्यावरण अनुकूल सीएनजी से चलने वाली कारों को तो छूट नहीं है। महिला के चलाने वाली कारों को 12 साल के बच्चे के साथ छूट दी गई है। कारों से कई गुणा ज्यादा संख्या वाली दो पहिया वाहनों को छूट इसलिए दी गई है कि जो वर्ग दो पहिया चलाता है, उसी को आप अपना बनाना चाहती है। सड़कों पर सार्वजनिक वाहन न होने से सम-विषम में कार चालकों को परेशानी होगी लेकिन माना जा रहा है कि इससे 'आप' का मतदाता कम प्रभावित होगा। केजरीवाल ने चुनाव जीतने के लिए अपना लक्ष्य तय रखा है, उन्हें पता है कि सार्वजनिक कामों का असर कम होता है इसलिए उनकी सरकार ने सीधे लोगों को लाभ देना शुरू किया है। जो वे घोषणा करते हैं उसके बड़े-बड़े विज्ञापन प्रभावशाली मीडिया में दिए जाते हैं। तभी तो एक हजार बसों की घोषणा के बाद महज 25 क्लस्टर बसें सड़कों पर आईं और कहीं उसकी चर्चा नहीं हुई। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और डीटीसी आदि में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने से लेकर पांच साल के लिए की गई घोषणाओं पर कोई बहस नहीं चलाई गई।

बुद्धा सर्किट के यात्रियों के खानपान का रखा जाएगा विशेष ध्यान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

रेलवे भारत और नेपाल में भगवान बुद्ध के धार्मिक स्थलों पर जाने वाले यात्रियों की छोटी-छोटी खानपान की जरूरतों का ध्यान रखेगा। इसके लिए ट्रेन में विशेषतौर पर विशेष पेंट्रीकार और दो डायनिंग टेबल का इंतजाम किया गया है। आइआरसीटी के मुताबिक यात्रा के लिए 50 फीसद सीट भर चुकी है। इन यात्रियों के साथ ट्रेन आज रवाना होगी। शुक्रवार को रेलवे ने खास सुविधाओं के साथ तैयार की गई इस ट्रेन का मीडिया ट्रायल किया।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक सफर में खानपान लोगों की पहली पसंद होती है। इसका विशेष ध्यान ट्रेन में रखा जाएगा। धार्मिक यात्रा पर जाने वाले यात्री प्याज-लहसुन जैसी सब्जियों से भी परहेज करते हैं। यात्री अगर रेलवे अधिकारियों से खानपान में इन चीजों का प्रयोग नहीं करने का आग्रह करेंगे तो उनके लिए स्वादानुसार ही भोजन परोसा जाएगा। आज देर शाम यह ट्रेन रवाना होगी और 26 अक्तूबर तक भ्रमण चलेगा। यह टूर पैकेज इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आइआरसीटीसी) ने तैयार किया है। इस सफर के लिए एक दंपती को प्रथम श्रेणी के लिए 1,23,900 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि एसी 2 में प्रति दंपती भुगतान 1,01,430 रुपए होगा।

पैकेज में यात्रियों को भगवान बुद्ध के जन्मस्थली से लेकर उनके जीवनकाल से जुड़े हर स्थल तक ले जाया जाएगा।

चिन्मयानंद प्रकरण : पीड़िता को बरेली में एलएलएम में दाखिला मिला

शाहजहांपुर, 18 अक्तूबर (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद पीड़िता को अदालत के आदेश पर शुक्रवार को सुबह बरेली कॉलेज में एलएलएम में दाखिले के लिए ले जाया गया। इस युवती ने ही चिन्मयानंद पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। बाद में मिली जानकारी के अनुसार, बरेली के विश्वविद्यालय परिसर में एलएलएम में पीड़िता के दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो गई।

महात्मा ज्योति फुले विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ अमित सिंह ने फोन पर बताया कि शाहजहांपुर से पुलिस सुरक्षा में लाई गई पीड़िता के परीक्षा फार्म, लाइब्रेरी फार्म सहित दाखिले की प्रक्रिया सुबह करीब नौ बजे पूरी की गई और दाखिला शुल्क भी जमा कर लिया गया है।

पीड़िता स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में एलएलएम की छात्रा है। उसने एक वीडियो के जरिए स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय में एलएलएम में पीड़िता के दाखिले का आदेश दिया था। परंतु दाखिले से पहले ही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पीड़िता को जेल भेज दिया था।

पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

महात्मा ज्योति फुले विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ अमित सिंह ने फोन पर बताया कि शाहजहांपुर से पुलिस सुरक्षा में लाई गई पीड़िता के परीक्षा फार्म, लाइब्रेरी फार्म सहित दाखिले की प्रक्रिया सुबह करीब नौ बजे पूरी की गई और दाखिला शुल्क भी जमा कर लिया गया है।

(सीजेएम) ओमवीर सिंह की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर अदालत ने 18 अक्तूबर को पीड़िता का बरेली कॉलेज में एलएलएम में दाखिला कराने का आदेश दिया था।

पुलिस अधीक्षक डॉ एस चिनप्पा ने शुकवार को बताया कि सीजेएम के आदेश पर जेल प्रशासन ने पीड़िता को बरेली ले जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी। इसके बाद पुलिस का एक दल पीड़िता को अपनी सुरक्षा में लेकर बरेली कालेज गया।

जेलर राजेश कुमार राय ने बताया कि शुक्रवार सुबह लगभग सात बजे पीड़िता को दाखिले के लिए बरेली कॉलेज भेजा गया। स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल कर पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके बाद चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओमवीर सिंह ने यहां शहर कोतवाली में पीड़िता के खिलाफ रंगदारी मांगने का एक मुकदमा दर्ज कराया था।

वहीं दूसरी ओर पीड़िता के आरोपों और चिन्मयानंद का मालिश कराते हुए वीडियो वायरल होने के बाद विशेष जांच दल ने चिन्मयानंद को आरोपी बनाते हुए धारा 376 सी के तहत उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में चिन्मयानंद समेत पांच आरोपी जेल में बंद है। मामले की जांच एसआइटी कर रही है। एसआइटी को अपनी जांच रिपोर्ट 22 अक्तूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक विशेष पीठ को सौंपनी है।

अमिताभ बच्चन को जल्द मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी

मुंबई, 18 अक्तूबर (भाषा)।

अमिताभ बच्चन को नियमित जांच के लिए भर्ती कराए गए मुंबई के नानावती अस्पताल से एक या दो दिन में छुट्टी मिल जाएगी। अस्पताल के सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बच्चन के लीवर की समस्या से पीड़ित होने की खबरें चल रही हैं लेकिन सूत्रों ने दावा किया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बच्चन 11 अक्तूबर को 77 वर्ष के हुए हैं।

अस्पताल के एक सूत्र ने बताया, 'बच्चन नियमित जांच के लिए मंगलवार को अस्पताल आए थे। लीवर समस्या और इस संबंध में चल रही अन्य खबरें सच नहीं हैं। वह तंदुरुस्त और जोश में हैं। उन्हें एक या दो दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। परिवार ने निजता बरतने का अनुरोध किया है।

फेडरल बैंक
आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार

एलसीआरडी/नई दिल्ली डिविजन
फेडरल टॉवर, ऊपरी भूमि तल,
2/2, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
फोन नं. 011-40733980, 40733978

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में सदर्भित) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना।

(1) श्री ब्रिज मोहन बिन्दल पुत्र श्री जसवंत बिन्दल (2) श्रीमती अंजलि बिन्दल पत्नी श्री ब्रिज मोहन बिन्दल (3) श्री कुनाल बिन्दल पुत्र श्री ब्रिज मोहन बिन्दल सभी निवासी मकान नं. 151, ब्लॉक-सी, मधुबन, विकास मार्ग, गांव मंडावली, फाजलपुर, नई दिल्ली-110092 **इसके साथ: मैसर्स मैटेक्स इंडिया प्रा. लि.**, 207-208, चोपड़ा कॉम्प्लेक्स, दूसरा तल, 8, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092

आप प्रथम ने प्रधान कर्जदार और द्वितीय एवं तृतीय ने सह-कर्जदार/गारंटर के रूप में बैंक के पक्ष में आवश्यक सुरक्षा समझौतों/ऋण दस्तावेजों के निष्पादन के बाद हमारे बैंक की निर्माण विहार शाखा से क्रेडिट सुविधा के तौर पर ऋण लिया।
बैंक से उपरोक्त क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने के एवज में सुरक्षा के तौर पर **श्री ब्रिज मोहन बिन्दल** ने 31.03.2015 को सुरक्षा जमा के तौर पर निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों को बैंक के पास बंधक रखकर बैंक के पक्ष में सुरक्षा ब्याज का सृजन किया।

बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण
दिल्ली ऑफिसर्स को-ऑप. हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लि., कॉलोनी को मधुबन के रूप में जाना जाता है, गांव मंडावली का एरिया, फाजलपुर इलाका शाहदरा, दिल्ली-110092 के लेआउट प्लान में प्लॉट नं. 151, परिमाप 330 वर्ग यार्ड के सभी भाग एवं हिस्सों के साथ उस पर वर्तमान और/या निर्मित किये गये सभी भवन जो घिरा है: पूर्व में: प्लॉट नं. 150, पश्चिम में: प्लॉट नं. 152, उत्तर में: रोड 45 फीट चौड़ी एवं दक्षिण में: 50 फीट चौड़ा डिस्ट्रिक्ट पार्क।

उपरोक्त वर्णित रेहनकर्ता/बंधककर्ता सम्पत्तियों को यहां के बाद "प्रतिभूत परिसम्पत्तियां" कहा गया है। अधोहस्ताक्षरी, फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर एतद्द्वारा सूचित करते है कि हमारे बैंक की निर्माण विहार शाखा में 30.09.2019 को आपके प्रॉपर्टी पावर लोन 14515600000948 में रु. 1,29,68,229/- (एक करोड़ उन्नीस लाख अड़सठ हजार दो सौ उन्नीस रुपए) और प्रॉपर्टी पावर लोन 14515600001128 में रु.27,45,347/- (सताइस लाख पैंतालीस हजार तीन सौ सैंतालीस रुपए) अर्थात कुल रु.1,57,13,576/- की राशि आपके पास संयुक्त या अलग-अलग रूप से बकाया है। पुनर्भुगतान में चूक को देखते हुए आपके ऋण खाते को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार नॉन परफार्मिंग एसेट्स के रूप में वर्गीकृत है। एतद्द्वारा आपको इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रॉपर्टी पावर लोन 14515600000948 कथित राशि और 01.10.2019 से उस पर मासिक रूप से शेष के साथ 12.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्लस भुगतान एवं लागत की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से पैनल ब्याज और प्रॉपर्टी पावर लोन 14515600001128कथित राशि और उस पर मासिक रूप से शेष के साथ 12.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्लस भुगतान एवं लागत की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से पैनल ब्याज का भुगतान करने के लिए सूचना दी जाती है और ऐसा नहीं करने पर बैंक अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपको आगे कोई और सूचना दिये अपने बकाये की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को लीज पर देने या अनुबंध पर देने या बिक्री या इनका प्रबंधन अपने हाथ में लेने सहित उपरोक्त वर्णित प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लेगा। आगे आपको सूचित किया जाता है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति के उपरोक्त वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को लीज पर देने या बिक्री या कोई अन्य लेनदेन नहीं करेंगे और कोई भी गैरकानूनी कार्य करने पर बैंक की तरफ से उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी और इस संबंध में बैंक की सभी लागत, प्रभार एवं व्यय का भुगतान भी आपको करना होगा। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री पर भी पूरी बिक्री राशि प्राप्त नहीं होती है तो बैंक बिना कोई सूचना दिए शेष राशि की वसूली के लिए आपके विरुद्ध व्यक्तिगत तौर पर कार्यवाही करेगा। प्रतिभूत परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों) के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। यह सूचना बिना किसी पूर्वाग्रह के बैंक के बकायों की वसूली के लिए उपलब्ध अन्य अधिकार एवं उपाय के अंतर्गत जारी की जाती है।
यह सूचना 3 अक्टूबर, 2019 को जारी की गई थी और इसे आपके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया इसलिए एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अनुसार इसे अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता है।

आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2019

कृते फेडरल बैंक लिमिटेड, सहायक उपाध्यक्ष
(सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी)

चार वायुसेना कर्मियों की हत्या मामले में जेकेएलएफ का पूर्व आतंकी गिरफ्तार

जम्मू, 18 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के पूर्व आतंकवादी जावेद अहमद मीर उर्फ जावेद नलका को 1990 में एक स्क्वॉड्रन लीडर सहित वायुसेना के चार कर्मियों की हत्या करने के मामले में सीबीआइ ने गिरफ्तार किया। हालांकि, बाद में अदालत ने उसे जमानत दे दी। यह जानकारी शुक्रवार को अधिकारियों ने दी।

अधिकारी ने बताया कि बुधवार को मीर की गिरफ्तारी की गई और उसी दिन उसे सीबीआइ की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। मीर 1980 के दशक में आतंकवाद से जुड़ने से पहले कश्मीर में जलकल विभाग में कार्य करता था और वहीं से उसके नाम के साथ 'नलका' जुड़ा। अधिकारी के मुताबिक 25 जनवरी, 1990 को श्रीनगर के रावलपोरा में हुए आतंकी हमले में स्क्वॉड्रन लीडर रवि खन्ना सहित वायुसेना के चार कर्मी शहीद हो गए थे और एक महिला सहित करीब 40 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मीर का नाम जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक सहित अन्य के साथ आरोपी के रूप में दर्ज है।

मलिक अभी न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने मलिक, मीर और चार अन्य के खिलाफ मामले में जम्मू की आतंकवाद निरोधी अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मलिक के खिलाफ मुकदमा चलाने पर 1995 में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने रोक लगा दी थी। 2008 में मलिक ने सुरक्षा का हवाला देते हुए मुकदमे को श्रीनगर स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दिया।

अनूप कुमार सिंह एनएसजी के नए प्रमुख

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (भाषा)।

गुजरात कैडर के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी अनूप कुमार सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

शुक्रवार को आए एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 1985 बैच के आइपीएस अधिकारी सिंह की 'ब्लैक कैट्स कमांडो' बल के डीजी के तौर पर नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है।

यह पद तेलंगाना कैडर के 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारी सुदीप लखटकिया की सेवानिवृत्ति के बाद पिछले दो महीने से खाली पड़ा था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 'यह नियुक्ति पद संभालने की तारीख से 30 सितंबर 2020 तक या अगले आदेश तक होगी।'

तलाक के खिलाफ बच्चों के साथ धरने पर बैठी महिला

कोझिकोड (केरल), 18 अक्तूबर (भाषा)।

पत्नी को तलाक देने वाले 35 वर्षीय मुसलिम व्यक्ति पर यहां मामला दर्ज किया गया। तलाक के बाद महिला पिछले पांच दिनों से अपने दो बच्चों के साथ पति के घर के बाहर विरोधस्वरूप बैठी हुई थी। उसका मामला तब प्रकाश में आया, जब खबरों में दिखाया गया कि वनीमेल के नजदीक गांव के घर के बाहर बुर्का पहनी हुई महिला अपनी पांच वर्ष की बेटी और दो वर्ष के बेटे के साथ बैठी हुई है।

अपनी दशा की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए फातिमा जुवेरिया (24) घर के बाहर विरोध कर रही थी। उसने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे तलाक देकर दूसरी महिला से शादी कर ली। उसकी शिकायत के आधार पर वलयम पुलिस ने उसके पति एके समीर पर मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून, 2019 की धारा तीन और चार के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि वनीमेल निवासी समीर (35) खाड़ी देश में काम करता है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उसकी शिकायत के मुताबिक आरोपी ने स्थानीय अदालत परिसर में 24 सितंबर को उसे तीन बार तलाक बोला।

अधिकारी ने बताया कि फातिमा समीर और उसके परिवार के खिलाफ विभिन्न आरोपों में चार दीवानी मामले दर्ज कराई हुई है।

करतार सिंह भड़ाना भाजपा में शामिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

हरियाणा के रहने वाले गुर्जर नेता और पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया।

बार-बार दल बदलने वाले भड़ाना बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। वे पहले भी भाजपा में रह चुके हैं। वे कांग्रेस नेता अवतार सिंह भड़ाना के भाई हैं और उनके परिवार का खासतौर से गुर्जर समुदाय में काफी प्रभाव है।

करतार सिंह भड़ाना दो बार हरियाणा से और एक बार उत्तर प्रदेश से विधायक रहे हैं।हरियाणा में 21 अक्तूबर को चुनाव होने हैं और मतों की गिनती 24 अक्तूबर को होगी।

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक
punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सर्किल कार्यालयः बुलन्दशहर
पताः यमुनापुरम, बुलन्दशहर, उ.प्र.-203001
मो.: 9897912444, फोनः 05732-281724, ईमेलः cobsrsamd@pnb.co.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत आम जनता के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना, अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ई-नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा पंजाब नेशनल बैंक प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, को नीचे वर्णित ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मार्टगैजरों से पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाया नीचे वर्णित ऋणों की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर 13.11.2019 को बिक्री की जायेगी। ज्ञात अधिभारों के साथ अचल सम्पत्ति का संबंधित विवरण नीचे वर्णित है।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया 1) https://www.pnbindia.in, 2) https://www.pnbindia.biz, 3) https://eprocure.gov.in/epublish/app देखें।

ई-नीलामी की अनुसूची

निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय
08.11.2019 (शुक्रवार) 12.00 बजे अप. से 16.00 बजे अप.	11.11.2019 (सोमवार) 16.00 बजे अप. तक	13.11.2019 (बुधवार) 12 बजे दोप. से 14.00 बजे अप.

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की अनुसूची

क्रम सं.	ऋणधारक का नाम एवं बैंक शाखा	सम्पत्ति के स्वामी/ मार्टगैजरों का नाम	प्रतिभूत ऋण का विवरण	गिरवी सम्पत्ति(यों) का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना की तिथि	सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि
1.	मै. श्री कॉरूगेटर्स-प्रॉप. श्रीमती सीमा सोलंकी शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्री संकोच चौहान, श्री उत्कोच चौहान	रु. 7950872/- के साथ 1.7.2018 से आगे का ब्याज	गली नं. 2, गूलर रोड, अलीगढ़ में स्थित आवासीय मकान सं. 5/117, माप 200.00 वर्ग यार्ड्स, चौहद्दीः उत्तर पुष्पा देवी का मकान, दक्षिणः जय नारायण का मकान, पूर्वः बाम्बे वाला पेच, पश्चिमः 8 फीट चौड़ा रास्ता	रु. 5000000/- (रु. पचास लाख मात्र)	रु. 500000/- (रु. पांच लाख मात्र)	1.8.2018	10.01.2019 (सांकेतिक कब्जा)
2.	मै. यूटुक पैकेजिंग, प्रॉप. श्रीमती प्रत्यूश प्रभा, पत्नी श्री संकोच चौहान शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	प्रत्यूश प्रभा एवं सीमा सोलंकी	रु. 5092342/- के साथ 1.7.2018 से आगे का ब्याज एवं लागत	''प्लॉट नं. 79ए, 79 बी, 80, 81, ब्लॉक सी, बसंत विहार कॉलोनी, खसरा नं. 49, अलापुर गडिया, खैर बाईपास रोड, पी एंड टी कोइल, अलीगढ़, उ.प्र.-202001, एरिया माप 340.71/ वर्ग मीटर, चौहद्दीः उत्तरः संकोच चौहान की सम्पत्ति, दक्षिणः रोड 14 फीट चौड़ा, पूर्वः सोसायटी के सदस्य का प्लॉट, पश्चिमः रोड 23'0'' चौड़ा टिप्पणीः ईएम, बिक्री प्रलेख की प्रमाणित प्रति के आधार पर की गई, मूल टाइटल डीड बैंक के पास उपलब्ध नहीं है।	रु. 180000/- (रु. अठारह लाख मात्र)	रु. 180000/- (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)	14.09.18	10.01.2019 (सांकेतिक कब्जा)
3.	मै. गगन बुक डिपो-प्रॉप. श्री उमा शंकर, पुत्र श्री राम चन्द्र शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्रीमती सुधा शर्मा, पत्नी श्री उमाशंकर शर्मा	रु. 1371706.33/- के साथ 1.1.18 से आगे का ब्याज एवं लागत	एच नं. 19/196, गगन बुक डिपो, बापू नगर, खेवत नं. 303, गम्भीरपुरा, गली नं. 2, मनोई डिश के निकट, परगणा एवं तहसील कोइल, जिला अलीगढ़, उ.प्र.-202001, में स्थित आवासीय मकान, माप 62.70 वर्ग मीटर। चौहद्दीः पूर्वः प्रेमपाल का मकान, पश्चिमः 12 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः संतोष कुमार का मकान तथा दक्षिणः राजेन्द्र का मकान	रु. 1600000/- (रुपये सोलह लाख मात्र)	रु. 160000/- (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)	29.01.2018	27.8.2018 (सांकेतिक कब्जा)* अब, बैंक के पास भौतिक कब्जा है
4.	मै. तनिष्क स्टील शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्री संकोच चौहान	रु. 38,03,128/- के साथ 1.4.18 से आगे का ब्याज एवं लागत	मिनी इंडस्ट्रियल इस्टेट, खैर, अलीगढ़, उ.प्र. में स्थित औद्योगिक प्लॉट एन. 29 से 32, माप 512 वर्ग मी. चौहद्दीः पूर्वः इंडस्ट्रियल इस्टेट रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 35, 36, 37 एवं 38, उत्तरः प्लॉट नं. 3, दक्षिणः प्लॉट नं. 38	रु. 1400000/- (रु. चौदह लाख मात्र)	रु. 140000/- (रु. एक लाख चालीस हजार मात्र)	3.5.2018	24.7.2018 (सांकेतिक कब्जा)
				मिनी इंडस्ट्रियल इस्टेट, खैर, अलीगढ़, उ.प्र. में स्थित औद्योगिक प्लॉट न. 34 से 36, माप 384 वर्ग मी. चौहद्दीः यू.: प्लॉट नं. 31, 32 एवं 33, प.- इंडस्ट्रियल इस्टेट रोड, उ.- इंडस्ट्रियल इस्टेट रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 37	रु. 900000/- (रु. नौ लाख मात्र)	रु. 90000/- (रु. नब्बे हजार मात्र)	3.5.2018	24.7.2018 (सांकेतिक कब्जा)
5.	श्री कमलेश चन्द गुप्ता शाखाः विक्रम कॉलोनी, अलीगढ़	श्री कमलेश चन्द गुप्ता एवं श्रीमती रश्मि गुप्ता	रु. 8079399/- के साथ 1.5.18 से आगे का ब्याज	10.9.2015 को क्रम सं. 8966 पर बही नं. 1, जिल्दनं. 12130, पेज 303/348 पर सब-रजिस्ट्रार कोईल के पास पंजीकृत आवासीय फ्लैट नं. 4, प्रथम तल, स्क्वॉयर टावर, जापान हाउस, मैरिस रोड, अलीगढ़ उ.प्र.-202001, माप 153.28 वर्ग मीटर, चौहद्दीः पूर्व- खुला स्थान बाउण्ड्री वाल कॉम्प्लेक्स, पश्चिमः प्रवेश लॉबी, सीढ़ियां, उत्तरः खुला स्थान बाउण्ड्री वाल कॉम्प्लेक्स, दक्षिणः अमित कुमार अगरवाल का फ्लैट नं. 5	रु. 38,90,000/- (रु. अड़तीस लाख नब्बे हजार मात्र)	रु. 3,89,000/- (रु. तीन लाख नवासी हजार मात्र)	7.6.2018	10.10.2018 (सांकेतिक कब्जा)
6.	मै. मा वैष्णो कॉरूगैटर्स- प्रॉप. श्री संकोच चौहान, शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्री संकोच चौहान	रु. 9425423/- के साथ 1.4.18 से आगे का ब्याज	खसरा नं. 49, प्लॉट नं. 93, 94, 92, ब्लॉक सी, अलापुर गडिया, परगणा एवं तहसील कोइल, अलीगढ़, उ.प्र.-202138, माप 310.81 वर्ग मी. में स्थित फैक्ट्री भूमि एवं भवन	रु. 27,00,000/- (रु. सत्ताईस लाख मात्र)	रु. 270000/- (रु. दो लाख सत्तर हजार मात्र)	21.4.2018	12.7.2018 (सांकेतिक कब्जा)
7.	श्री उत्कोच चौहान शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्री उत्कोच चौहान	रु. 7553005/- के साथ 1.4.18 से आगे का ब्याज	बुक नं. 1, वॉल नं. 7702, पेज 345/3676, एसएन 7624 तिथि 31.7.15 में सब-रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत पूरण भवन, दिल्ली गेट, गूलर रोड, अलीगढ़, उ.प्र.-202001 में स्थित आवासीय मकान, माप 108.50 वर्ग यार्ड्स। चौहद्दीः पूर्वः राजेश कुमार की सम्पत्ति, पश्चिमः शैलेन्द्र कुमार की सम्पत्ति, उत्तरः 19 फीट चौड़ा पैसेज, दक्षिणः अन्य का मकान।	रु. 50,00,000/- (रु. पचास लाख मात्र)	रु. 500000/- (रु. पांच लाख मात्र)	18.4.2018	3.7.2019 (भौतिक कब्जा)
8.	श्री संकोच चौहान शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्री संकोच चौहान	रु. 7347878.14 के साथ 1.4.18 से आगे का ब्याज	10/1 डी, पूरण भवन, दिल्ली गेट, गूलर रोड, अलीगढ़, उ.प्र.- 202001 में स्थित आवासीय मकान, माप 99.66 वर्ग यार्ड्स, चौहद्दीः पू.: विक्रेता की भूमि, अब उत्कोच चौहान का मकान, प.-योगेश जोहरी की सम्पत्ति, उ.- 19 फीट चौड़ा पैसेज, द.-चेतराम का मकान	रु. 45,00,000/- (रु. पैंतालिस लाख मात्र)	रु. 450000/- (रु. चार लाख पचास हजार मात्र)	18.4.2018	3.7.2019 (भौतिक कब्जा)

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः

i. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहाँ है आधार'' तथा जो भी वहाँ है आधार'' पर की जायेगी।
ii. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी भी गलती, गलत-विवरण अथवा खामियों के लिये प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
iii. प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
iv. नीलामी बिक्री पोर्टल https://etender.pnbnet.in; www.pnbindia.in; www.eprocure.gov.in/app पर ''ई-नीलामी के द्वारा ऑन लाइन'' होगी।
v. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये पोर्टल https://etender.pnbnet.in; www.pnbindia.in; www.eprocure.gov.in/app देखें एवं/अथवा श्री सुशील कुमार मुख्य प्रबंधक प्राधिकृत अधिकारी (मोबाईल नं. 8171113784) से सम्पर्क करें।
vi. इच्छुक बोलीदाता को उपरोक्त तालिका में वर्णित तिथि तक ''प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक'' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा अधोलिखित खाता पंजाब नेशनल बैंक, यमुनापुरम, बुलन्दशहर, खाता नं. 4568002100002378 (आईएफएससी कोड PUNB0456800) के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा। यह ड्राफ्ट किसी को-ऑपरेटिव बैंक का नहीं होना चाहिये।
vii. ईएमडी के भुगतान के बाद बोलीदाता को अधोलिखित जमा करना होगाः 1. ईएमडी के भुगतान का प्रमाण (यदि एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा भेजा गया हो) अथवा मूल डिमांड ड्राफ्ट (* यदि भुगतान ड्राफ्ट के द्वारा किया गया हो) 2. आईडी प्रुफ अर्थात् पैन कार्ड आदि की स्कैन की गई कॉपी, 3. आवासीय पते का प्रमाण, 4. क) बोलीदाता का नाम, ख) मोबाईल नं./सम्पर्क नं. ग) पता, घ) ई-मेल का पता, ङ) ईएमडी के ऑन लाइन रिफंड, यदि कोई हो, के लिये बोलीदाता के खाता का विवरण, 5. व्यक्तियों को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं को ई-बोली के लिये उपयुक्त मैंडेट भी जमा करना होगा। बोलीदाता को ई-मेल cobsrsamd@pnb.co.in के पते पर प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी के पास ईमेल द्वारा इन दस्तावेजों को जमा करना होगा तथा साथ हीं ''खाता क्रम सं. आईपी में बोली'' के रूप में शीर्षकिंत मुहरबंद लिफाफे में ऊपर वर्णित पते पर शाखा में प्राधिकृत अधिकारी के पास इन दस्तावेजों (मूल डिमांड ड्राफ्ट) के स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी भी जमा करना होगा।
viii. इच्छुक बोलीदाता को मुख्य प्रबंधक, श्री राजवीर सिंह (मो.नं. 8800305533, सर्किल कार्यालय, बुलन्दशहर, यमुनापुरम बुलन्दशहर, उ.प्र.-203001 से अग्रिम में लागिन आईडी तथा पासवर्ड भी प्राप्त करना होगा जो ई-बोली के लिये अनिवार्य है। यह लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल के पते पर भेजा जायेगा। यदि वह बोलीदाता को प्राप्त नहीं हो तो वे उपरोक्त अधिकारी से सम्पर्क करें।
ix. केवल वैध यूजर आईडी एवं पासवर्ड तथा एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (जहाँ भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो) के भुगतान की संतुष्ट प्रमाण रखने वाले बोलीदाता ही ऑन लाइन ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे।
x. प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने यदि स्वीकार्य नहीं हो, अथवा नीलामी को निलम्बित/रद्द/स्थगित करने/अवरुद्ध करने अथवा किसी भी समय नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
xi. बोलीदाता रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। यदि बोली नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो समापन का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा।
xii. नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी तथा बोलीदाता उपरोक्त रूप में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। ऑन लाइन नीलामी की समाप्ति के बाद उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा वह बिक्री प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
xiii. सफल बोलीदाता को तत्काल अर्थात् उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस, जैसा भी मामला हो, को ऊपर क्रम सं. vi में वर्णित खाता में नीलामी का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 25% बोली/बिक्री राशि (जिसमें धरोहर राशि शामिल नहीं है) का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में शेष 25% बोली राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
xiv. सफल बोलीदाता द्वारा 75% शेष राशि का भुगतान बैंक द्वारा बोली की स्वीकृति की तिथि से 15 दिनों के भीतर की जायेगी निर्धारित अवधि में शेष 75% राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता सम्पत्ति अथवा उस राशि जिसके लिये बाद में सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी के किसी भाग के प्रति अपने दावे के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।
xv. यदि बिक्री के लिये निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व किसी भी समय ऋणधारक या गारन्टर/रों के द्वारा/उनकी ओर से सभी लागतों, चार्जेज तथा उनके द्वारा वहन किये गये खर्चे अथवा बैंक को यथा-स्वीकार्य उसके भाग के साथ बैंक के बकाये का भुगतान कर दिया जाता है तो सम्पत्ति की बिक्री रद्द कर दी जायेगी।
xvi. पंजीकरण चार्जेज, स्टाम्प ड्यूटी, करों आदि सहित सभी सांविधिक बकायों/एटैन्डेन्ट चार्जेज/अन्य बकायों का वहन क्रेता को ही करना होगा।
xvii. बिक्री प्रमाण पत्र बिक्री का रशीद उसी नाम में जारी किया जायेगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
xviii. जिन बोलीदाता के पास इन्टरनेट की सुविधा नहीं हो, लेकिन वे ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक हों, वे श्री राजवीर सिंह मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मो. नं. 8800305533, सर्किल कार्यालय, बुलन्दशहर, यमुनापुरम से सम्पर्क कर सकते हैं।
xix. बैंक को ज्ञात अन्य कोई अधिकार-ज्ञात नहीं। ई-नीलामी की गई सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभार अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी भी प्रकार के बकाये के लिये प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति पर अधिभारों के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
xx. बोलीदाता उपयुक्त इन्टरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक-अप आदि सुनिश्चित कर लें। यह इन्टरनेट फैल्योर, पावर फैल्योर अथवा ई-नीलामी के प्रभावित करने वाले तकनीकी कारणों/आकष्मिक कारणों से किसी भी व्यवधान के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। यदि नीलामी की तिथि को अवकाश दिवस घोषित होता है तो नीलामी अगले कार्यदिवस को आयोजित की जायेगी।
xxi. यदि नीलामी की तिथि को अवकाश दिवस घोषित होता है तो नीलामी अगले कार्य दिवस को आयोजित की जायेगी।

''बैंक ने सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत डीएम, बुलन्दशहर के पास भौतिक कब्जे के लिये आवेदन दाखिल कर दिया है।

तिथिः 18.10.2019
स्थानः बुलन्दशहर

प्राधिकृत अधिकारी,
प्रतिभूत क्रेडीटर, पंजाब नेशनल बैंक सर्किल कार्यालय, बुलन्दशहर

जनसत्ता

अमीरी का आंकड़ा

भारत में बड़े अमीरों की संपत्ति बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है, यह सुन कर गरीबों को थोड़ी देर के लिए सुकून मिल सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत में अमीर जिस तेजी से और अमीर हुए हैं और गरीबों की गरीबी और ज्यादा बढ़ी है, यह हैरान करने वाला तथ्य है। जाहिर है, असमानता कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अमीर-गरीब के बीच खाई और चौड़ी हुई है, यह एक प्रामाणिक सच्चाई है। ऐसे में समतामूलक समाज की कल्पना तो नहीं की जा सकती! देश में गरीब और मध्यम वर्ग का तबका सबसे बड़ा है और यही असल गरीब भी है। अरबपतियों की तादाद तो सिर्फ कुछ लाख ही है। इसलिए ऐसे में जब अरबपतियों की संख्या बढ़ने-घटने या उनकी संपत्ति में कमी-बेशी होने की खबरें आती हैं, तभी गरीब को इनकी भनक लगती है। हाल में धन प्रबंधन का आकलन करने वाली एक संस्था कार्वी वेल्थ मैनेजमेंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले साल अमीरों की संपत्ति वृद्धि की दर घट कर 9.62 फीसद रह गई है जो पूर्ववर्ती वर्ष (2017) में साढ़े तेरह फीसद थी। अमीरों की संख्या भी घटी है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में अरबपतियों की संख्या दो लाख तिरसठ हजार से घट कर दो लाख छप्पन हजार रह गई, यानी सात हजार लोग अरबपति से करोड़पति की श्रेणी में आ गए। इसलिए एक सवाल यह भी उठता ही है कि अमीर के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि उसकी संपत्ति में गिरावट आ रही है और अरबपति की श्रेणी से बाहर हो रहा है।

सवाल है कि अमीर या बड़ा अमीर है कौन। मोटे तौर पर अमीर वही है जो हर तरह के आर्थिक संसाधनों से संपन्न है, जिसके पास खासी संपत्ति हो, उद्योग-धंधों, निवेश, विदेश व्यापार जैसी गतिविधियों में उसकी भागीदारी हो। करोड़पति भी अमीर ही हैं, लेकिन इनकी संख्या कुछ करोड़ों में ही होगी। मध्यवर्ग और निम्न वर्ग ही हैं जिन्हें रोजगार की समस्या से सबसे ज्यादा रूबरू होना पड़ रहा है। लोगों के पास काम के अवसर सीमित होते जा रहे हैं और इसलिए इनमें भी एक बड़ा तबका ऐसा बनता जा रहा है जो आज पंद्रह-बीस हजार की नौकरी करने के लिए मजबूर है। जाहिर है, ऐसे में निम्न आय वर्ग का तबका और बड़ा होता जाएगा। पर अमीरों पर कोई असर इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि यह वर्ग करोड़पति और अरबपति के बीच ही बना रहेगा।

अगर बड़े अमीरों की तादाद घट रही है तो यह इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं सरकार की आर्थिक नीतियां ऐसी हैं जिनसे अमीरों पर असर पड़ रहा है। पर आमजन तो यही सोचता है कि अगर अमीर के पास से पैसा निकल रहा है तो वह गरीब को क्यों नहीं मिल रहा! संपत्ति के लिहाज से देखें तो भारत के अमीरों के पास मौजूद कुल संपत्तियों में दो सौ बासठ लाख करोड़ रुपए की वित्तीय संपत्ति है। इनकी चल-अचल संपत्ति का अनुपात साठ-चालीस का है। इस तरह की खबरें हैरान इसलिए करती हैं कि ये अमीरी के आंकड़े और इनकी गाथा उस देश में है जो भुखमरी से निपट पाने के मामले में वैश्विक पैमाने पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी नीचे है। जहां आज भी करोड़ों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, आबादी का बड़ा हिस्सा बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है, बच्चों को शिक्षा के अवसर वैसे नहीं हैं जो मिलने चाहिए। ग्रामीण भारत की हालत तो आज भी चिंताजनक है। ऐसे में भारत पांच लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है। अमीर अपनी घटती दौलत से परेशान हैं। ऐसे में गरीब की चिंता करने वाला कौन है?

संवेदनहीनता की हद

मध्यप्रदेश में ग्वालियर जिले के समूदन गांव में आवारा घूम रही आठ गायों सहित सत्रह गोवंश की मौत जिस तरह हुई, हो सकता है उसे कुछ पशुओं की मौत मान कर लोग बाकी का काम बिना किसी परेशानी के करने लगें। लेकिन इंसानी समाज अपने विकास के साथ आज जिस मुकाम तक पहुंच सका है, वहां यह उम्मीद होगी कि लोगों के भीतर किसी भी जीव के प्रति संवेदना के तत्त्व जिंदा रहें। सवाल है कि जो पशु न केवल आम जीवन, बल्कि उपयोगिता के लिहाज से भी मानव समाज के साथी रहे हैं, लोग उनकी देखरेख के लिए तन-मन-धन से समर्पित रहे हैं, आज उनके आवारा घूमने की नौबत कैसे आ गई है! गौरतलब है कि ये पशु आमतौर पर निजी स्वामित्व से लेकर गोशालाओं के संरक्षण में पलते रहे हैं और उनकी देखभाल का एक समूचा सामाजिक तंत्र बना रहा है। लेकिन समूदन गांव के आसपास ये पशु आवारा घूम रहे थे और कुछ लोगों ने स्थानीय सरकारी स्कूल के एक कमरे में उन्हें ठूंस कर बंद कर दिया। उस कमरे में वे पशु पिछले सात दिन से बिना चारा-पानी के बंद थे और आखिर उनमें से सत्रह की जान चली गई।

इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब दोषियों की खोज की जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां गाय एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में बेहद संवेदनशील पशु के तौर पर देखी जाने लगी है, वहीं इतनी सारी गायें बिना किसी संरक्षण के आवारा घूमने की हालत में हैं और कुछ लोगों की ऐसी क्रूरता की शिकार बन रही हैं। हाल में ऐसी खबरें जरूर आई हैं कि आवारा पशुओं की वजह से कई इलाकों में खेतों में लगी फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। गाय या बैल जैसे पशु अब तक सामाजिक जिम्मेदारी रहे हैं, उनके पालन-पोषण से लेकर अंतिम समय तक के लिए एक समूचा चक्र बना हुआ है और पशुपालन के काम में लगे लोग अपने पालतू पशुओं को लेकर कई बार बेहद भावुक भी रहे हैं। लेकिन आज यह देखना विचित्र है कि कुछ लोग पशुओं के खिलाफ इस हद तक बेरहम हो जा रहे हैं।

हमारे समाज में सभी जीवों के प्रति संवेदनशील होने की सीख दी जाती रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) के तहत भी यह कहा गया है कि हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ कई कानून भी मौजूद हैं। लेकिन इन पहलुओं की अनदेखी करके आज पशुओं के प्रति ऐसे बर्ताव करते हुए लोग नहीं हिचक रहे हैं। अक्सर सड़कों पर गुजर रहे वाहनों में गाय-भैंस या दूसरे पशुओं को बेहद तकलीफदेह हालात में ले जाते देखा जा सकता है। कई बार आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या की शिकायतों के बाद संबंधित प्रशासनिक महकमे के लोग जिस तरह उन्हें वाहनों में भर कर ले जाते हैं, वह मनुष्य की संवेदना पर एक सवालिया निशान की तरह होता है। जबकि पशुओं को असुविधा में रख कर, दर्द पहुंचा कर या परेशान करते हुए किसी भी गाड़ी में एक से दूसरी जगह ले जाना दंडनीय अपराध भी है। सभ्य समाजों का हिस्सा होने के नाते मनुष्य से इस तरह की संवेदनहीनता की अपेक्षा कतई नहीं होती है। इंसान और पशु की जगह अलग-अलग हो सकती है। लेकिन इंसान से यह उम्मीद जरूर होगी कि कम से कम वह अपनी इंसानियत ही बचा ले!

कल्पमेधा

अमीर और गरीब के अंतर कितना मामूली है!
एक ही दिन की भूख और प्यास दोनों
को बराबर बना देती हैं।
-खलील जिब्रान

मध्य-पूर्व में कुर्दिस्तान की आहट

ब्रह्मदीप अलूने

तुर्की में इस समय बीस फीसद कुर्द हैं। पीढ़ियों से तुर्की में कुर्दों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार होता रहा है। तुर्की में कुर्दिश नाम और उनके रिवाजों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही कुर्दिश भाषा भी प्रतिबंधित है। यहां तक कि कुर्दिश पहचान को भी खत्म कर दिया गया है। साल 2017 में इराक में अलग कुर्दिस्तान के लिए जनमत संग्रह हुआ तो भारी तादाद में कुर्दों ने इसके पक्ष में मत डाले। इसके बाद तुर्की कुर्दों को लेकर गहरे दबाव में आ गया।

बगावत और हिंसक संघर्षों से लंबे समय से जूझते देश सीरिया की आंतरिक राजनीति ने एक बार फिर करवट ली है। इस्लामिक स्टेट (आइएस) के खूनी संघर्ष से निपटने में सीरिया के मददगार रहे तुर्की के तेवर अचानक बदल गए हैं। दरअसल, कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को सीरिया की जंग से अलग करने का जैसे ही ऐलान किया, वैसे ही तुर्की ने कुर्दों को निशाना बना कर पश्चिम एशिया में नया संकट खड़ा कर दिया है। तुर्की कुर्दों के संगठन को आतंकवादी समूह मानता है और उसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा बताता रहा है। वहीं, अमेरिका कुर्दों को लेकर उदार रवैया दिखाता रहा है। पश्चिम एशिया की मुसलिम लड़ाकू जनजाति कुर्द अपनी बहादुरी और दिलेरी के लिए दुनिया भर में विख्यात है। इसका प्रभाव सीरिया के उत्तरी इलाकों के साथ ही तुर्की, इराक और ईरान तक है।

सीरिया के उत्तर में कुर्द ठिकानों पर तुर्की की सेना लगातार गोलाबारी कर रही है और इससे इस इलाके में रहने वाले हजारों परिवार युद्ध की मार झेल रहे हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में शुमार इस क्षेत्र में आइएस के कई लड़ाके कुर्दों के कब्जे में हैं और तुर्की के हमलों के बाद से वे जेलों से भाग रहे हैं। आइएस के इन खूंखार लड़ाकों को कुर्दों ने अमेरिकी सेना की मदद से बड़ी मुश्किल से पकड़ा था। ऐसे में इनका भाग निकलना पश्चिम एशिया सहित पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। यदि ये लड़ाके फिर से संगठित हो गए तो आइएस मध्य-पूर्व में फिर से मजबूत हो जाएगा और इसके दूरगामी परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। दूसरी ओर, तुर्की के राष्ट्रपति कुर्दों पर हमले के अमेरिका और यूरोप के विरोध को दरकिनार कर धमका रहे हैं कि यदि उन्हें हमलों से रोका गया तो वे पश्चिमी एशिया के छत्तीस लाख युद्ध प्रभावित शरणार्थियों को यूरोप में धकेल देंगे।

तुर्की का कहना है कि सीरिया से गृह युद्ध के चलते जो शरणार्थी तुर्की में रह रहे हैं, उन्हें वे सुरक्षित क्षेत्र में बसाना चाहते हैं। वह वहां बीस लाख सीरियाई शरणार्थियों के लिए एक शिविर बनाएगा। फिलहाल यह इलाका कुर्दों के पास है। कुर्द लड़ाकों की मदद कर रही सीरिया सरकार की सेना रणनीतिक रूप से अहम मानबिज शहर में दाखिल हो गई है। तुर्की इस इलाके को खाली करवा कर सुरक्षित क्षेत्र बनाने की बात कह रहा है। इस समूचे घटनाक्रम में अमेरिका की पश्चिम एशिया को लेकर पूर्व से चली आ रही अस्थायी और अस्पष्ट नीति एक बार फिर सामने आई है।

बीते कई सालों से महाशक्तियां मध्य-पूर्व को शतरंज की बिसात पर तोल कर शह और मात का खेल खेलती रही हैं। इसमें तेल की राजनीति के साथ मजहब की जोर आजमाइश को बढ़ावा दिया गया है। विश्व के संपूर्ण उपलब्ध तेल का लगभग छियासठ प्रतिशत ईरान की खाड़ी के आसपास के इलाकों, मुख्य रूप से कुवैत, ईरान और सऊदी अरब में पाया जाता है। सोवियत संघ और अमेरिका तो तेल के मामले में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन यदि यूरोप को इस इलाके से तेल मिलना बंद हो जाए तो उसके अधिकांश उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे और इस प्रकार यूरोपीय महाद्वीप की औद्योगिक और सामरिक क्षमता बर्बाद हो जाएगी। यही कारण है कि पश्चिमी देश मध्य-पूर्व पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं।

ईरान को रोकने के लिए अरब राष्ट्रवाद को तोड़ने की जरूरत थी और इसी का परिणाम हुआ कि वर्तमान में मध्य-पूर्व शिया-सुन्नी के संघर्ष का अखाड़ा बन गया है। शिया बहुल ईरान की इस्लामिक क्रांति से नाराज अमेरिका ने सुन्नी राष्ट्रवाद की कट्टरता को उभारने में अभूतपूर्व योगदान दिया। इसका असर मध्य-पूर्व के एक महत्त्वपूर्ण देश सीरिया पर भी पड़ा। सीरिया में बहुसंख्यक सुन्नी हैं, जबकि वहां के राष्ट्रपति असद शिया हैं और ईरान समर्थित माने जाते हैं। सीरिया के पूर्व में इराक और उत्तर में तुर्की है। चौहत्तर फीसद सुन्नी आबादी वाले सीरिया में सत्ता अल्पसंख्यक शिया संप्रदाय के बशर अल असद के हाथों में है। उन्हें रूस, अपने पारंपरिक सहयोगी ईरान और ईरान के समर्थन वाले लेबनानी चरमपंथी गुट हिजबुल्ला से मजबूत कूटनीतिक और सैन्य सहयोग मिलता रहा है।

फिर 2011 में जब मशहूर 'अरब स्प्रिंग' विरोध प्रदर्शनों ने ट्यूनीशिया और मिस्र में सत्तापलट कर दिया था तो अमेरिका ने इसे असद को सत्ता से बेदखल करने के स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा। सीरिया की सत्ता से असद को हटाने के प्रयास में अमेरिका के मददगार वहां कई विद्रोही संगठन बन गए और इसी बीच आइएस इस इलाके में मजबूती से अपनी पैठ बनाने में सफल हो गया। साल 2013 में अलकायदा से अलग होकर आइएस अस्तित्व में आया और इससे मध्य-पूर्व में संघर्ष का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। आइएस ने अमेरिकी योजनाओं के विपरीत ईसाइयों और उदार मुसलमानों के खिलाफ जेहाद की घोषणा कर मध्य-पूर्व के राजनीतिक संघर्ष की दिशा बदल दी। आइएस ने इस इलाके के तेल कुओं पर अपना कब्जा जमा कर महाशक्तियों के सामने चुनौती पेश कर दी और इसके बाद पश्चिमी देशों, अमेरिका, रूस, तुर्की जैसे देशों ने आइएस को मिल कर खत्म करने में अपनी भूमिका निभाई। लंबे समय से इस युद्धग्रस्त इलाके से आइएस समाप्त होने की कगार पर आया तो अब एक बार फिर तुर्की ने कुर्दों के खिलाफ मोर्चा खोल कर नए संकट को जन्म दे दिया है। कभी विरोधी रहे कुर्द सीरिया की असद सरकार से मिल कर तुर्की का प्रतिरोध कर रहे हैं। वहीं अब रूस भी कुर्दों के समर्थन में आ गया है।

तुर्की से कुर्दों का विरोध पारंपरिक माना जाता है और कुर्द तुर्की को अपने दुश्मन की तरह देखते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद पश्चिमी सहयोगी देशों ने 1920 में संधि कर कुर्दों के लिए अलग देश बनाने की बात कही थी। 1923 में तुर्की के नेता मुस्तफा कमाल पाशा ने इस संधि को खारिज कर दिया था। तुर्की की सेना ने 1920 और 1930 के दशक में कुर्दिश उभार को कुचल दिया था। तब से कुर्दों और तुर्की के बीच दुश्मनी और गहरा गई। तुर्की में इस समय बीस फीसद कुर्द हैं। पीढ़ियों से तुर्की में कुर्दों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार होता रहा है। तुर्की में कुर्दिश नाम और उनके रिवाजों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही कुर्दिश भाषा भी प्रतिबंधित है। यहां तक कि कुर्दिश पहचान को भी खत्म कर दिया गया है। साल 2017 में इराक में अलग कुर्दिस्तान के लिए जनमत संग्रह हुआ तो भारी तादाद में कुर्दों ने इसके पक्ष में मत डाले। इसके बाद तुर्की कुर्दों को लेकर गहरे दबाव में आ गया। उसे डर है कि इस इलाके में कुर्दिस्तान के बनने से उसके देश में बसने वाले कुर्द विद्रोह कर कुर्दिस्तान में मिलने की मांग करेंगे और इससे तुर्की की संप्रभुता पर नया संकट खड़ा हो सकता है।

यूरोप के एकमात्र मुसलिम बहुल देश तुर्की के राष्ट्रपति की मुसलिम शरणार्थियों के नाम पर दी जा रही धमकियों से यूरोप, रूस और अमेरिका चिंतित हैं। ऐसे में सीरिया में संतुलन, ईरान को दबाने और इराक सहित अन्य खाड़ी देशों पर अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए मुमकिन है कि आने वाले समय में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अलग कुर्दिस्तान की मांग को मान लें। ऐसा होने पर मध्य-पूर्व का भूगोल एक बार फिर बदल जाएगा और दक्षिणी-पूर्वी तुर्की, उत्तरी-पूर्वी सीरिया, उत्तरी इराक, उत्तर-पूर्वी ईरान और दक्षिण-पश्चिमी आर्मेनिया को मिला कर कुर्दिस्तान अस्तित्व में आ सकता है। कुर्दिस्तान सऊदी अरब और ईरान के प्रभुत्व को खत्म करने का पश्चिमी हथियार बन सकता है और बदलते वैश्विक परिदृश्य में इसकी संभावनाएं बलवती हो गई हैं।

विकल्प के रास्ते

संतोष उत्सुक

दुनिया मेरे आगे

यह हमारी पुरानी सांस्कृतिक, परंपरागत समृद्ध कार्यशैली है। बर्फ पड़ने से पहले, उच्चतरीय बैठक में नमकीन के साथ चाय पीकर, संभावित दिक्कतों से निपटने की पूरी तैयारी के बाद खबर छपवाई जाती है। लेकिन जब बर्फ पड़ती है तो सारा प्रबंधन पिघल जाता है। हमारे शरीर के महत्त्वपूर्ण हिस्से, प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में विकल्पहीनता व्यंग्यात्मक शैली में हंस रही है। प्लास्टिक की खतरनाक गोद में हम आराम से जी रहे हैं। प्लास्टिक इतना लुभावना, सस्ता, टिकाऊ और बिकाऊ है कि हम इससे आसानी से जुदा नहीं हो पा रहे हैं। अनेक गृहिणियों के पास कई दशक पुराने प्लास्टिक पात्र होंगे, जिन्हें उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। वे शायद उन्हें बहुत प्रिय हैं। खानपान और जीवन-शैली में हम मांसाहारी हों या शाकाहारी, लेकिन सब प्लास्टिकहारी जरूर हैं। प्रशासन द्वारा प्लास्टिक का प्रयोग बंद होने की मजबूरन पुष्टि करने से प्रयोग बंद नहीं होगा। क्या हम इतिहास में प्रवेश कर प्लास्टिक का आविष्कार करने वाले को सजा दे सकते हैं! 1907 में प्लास्टिक के आविष्कारक लियो हेंड्रिक बैकेलैंड को पता नहीं था कि इंसान प्लास्टिक को मानवता और प्रकृति के लिए इतना खतरनाक बना लेगा। यह 'सभ्य' इंसान द्वारा प्लास्टिक उत्पादों से उठाए अनुचित लाभ का उदाहरण है। कुदरत के साथ भी इंसान ने बेहद अनुचित किया।

राष्ट्रीय हरित पंचाट से लेकर देश की कई अदालतें प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने के आदेश दे चुकी हैं। कई मामले अदालत में बहस की प्लास्टिक में लिपटे पड़े हैं। लाखों सामाजिक संस्थाएं जुटी हुई हैं, लेकिन कोई प्लास्टिक का विकल्प बताने को राजी नहीं। विकल्प शायद अभी तक उपलब्ध ही नहीं है। कपड़े का थैला, कागज का लिफाफा सीमित विकल्प हैं। कोई नहीं जानता कि रोज प्रयोग होने वाले दूध के करोड़ों पैकेट की नई पैकिंग कैसे होने वाली है! क्या सुबह से रात तक बिकने वाली पानी की करोड़ों बोतलों की जगह कांच या स्टील की बोतलें लेंगी? सैकड़ों कंपनियों के दर्जनों स्वादों में पैक होकर आने वाले जीभ ललचाऊ, स्वास्थ्य खराब करने वाले चिप्स और दूसरे अनगिनत उत्पाद क्या अब खुले मिलेंगे?

अखिल भारतीय प्लास्टिक विनिर्माता संघ के अनुसार करोड़ों के प्लास्टिक व्यवसाय में करोड़ों लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उससे ज्यादा संख्या में पेट यह उद्योग भरता है। इस व्यवसाय से सरकार को मिलने वाला राजस्व भी एक पक्ष है। बेचारी अधिकतर आम जनता फोन और मनोरंजन में व्यस्त अगले चुनाव तक सरकार का हुक्म बजाने को विवश है। लेकिन उद्योगपतियों के पास भी एकदम से कोई विकल्प नहीं है। सालों का जमा-जमाया व्यवसाय तुरंत बंद कर नए अपरिचित व्यवसाय के धरातल पर काम शुरू करना बच्चों का खेल नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी पुरानी छोटी से छोटी नौकरी तब छोड़ता है, जब उसे नई नौकरी मिल रही हो और उससे आय भी ज्यादा होने वाली हो।

प्लास्टिक बंद करने से पहले जरूरी है कि इस उद्योग में छोटे से बड़े स्तर तक जितने भी मजदूर, उद्योगपति, व्यवसायी, नौकरीपेशा, दुकानदार और अन्य लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ विस्तार से बातचीत हो, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस आवश्यक सामाजिक बदलाव के लिए नया व्यवसाय अपनाने को तैयार किया जाए। उन्हें समय दिया जाए, ताकि वे अपने और अपने परिवार के लिए रोजी-रोटी का प्रबंध कर सकें। इस बारे में सरकार उनकी मदद करने के संजीदा प्रयास करे। अभी तक किए गए प्रयास सिर्फ किसी को खुश करने तक सीमित लगते हैं। मान लीजिए दूध के पैकेट का विकल्प कांच की बोतल हो सकती है और प्लास्टिक पाउच बनाने वाली कंपनियां कांच की बोतल बनाना शुरू सकती हैं तो इसमें मानसिक तैयारी, तकनीक, कामगार, सरकारी सहयोग और समर्थन, मोटी धनराशि और वक्त भी चाहिए। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ जैसी विश्व प्रसिद्ध जगह पर सब्जी मंडी से मटर खरीदते हुए मैंने विक्रेता को पॉलिथीन बैग में न देकर कागज का लिफाफा देने को कहा तो उसने कहा- 'सर जी पहले पॉलिथीन के बैग का उत्पादन रुकना चाहिए'। मेरे पास बड़ा बैग था, लेकिन उसमें सारे फल और सब्जियां इकट्ठे डालना भी उचित न होता या फिर मैं कई छोटे थैले लेकर जाता।

एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि चालान किए जा रहे हैं, लेकिन जिनकी प्रशासनिक पहुंच है, उन्हें अभी भी ज्यादा परेशानी नहीं है। जो प्लास्टिक उत्पाद देश भर में बन चुके हैं, उन्हें चाहे प्रयोग न करें, लेकिन भविष्य में प्लास्टिक के विकल्प का होना योजना स्तर पर या बातों और सरकारी घोषणाओं में नहीं, बल्कि जूट या कपड़े के थैले की तरह वास्तविक रूप में उपलब्ध होना लाजिमी है। प्लास्टिक के उत्पादन को कम करते हुए आमजन के लिए इसका उपयुक्त विकल्प तैयार कर उसका प्रयोग बढ़ाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्य-संस्कृति की शानदार परंपरा के अनुसार विकल्पहीनता के आसन पर बैठ कर अविलंब परिवर्तन की अपील करना हमारी श्रेष्ठ आदतों में शुमार है, जिसका शोधन और संशोधन अब बदलते वक्त की मांग है।

भूख से जंग

राफेल, चंद्रयान या तेजस ट्रेन जैसी हमारी तमाम कामयाबियों को 2019 के वैश्विक भूख सूचकांक के आंकड़े मुंह चिढ़ा रहे हैं। इनके मुताबिक भूख, कुपोषण व बाल विकास के मामले में 21वीं सदी में विश्व शक्ति बनने का दावा करने वाला भारत 117 देशों की सूची में 102 वें स्थान पर है। यह भारत का लगातार निराशाजनक प्रदर्शन है। 2018 में 119 देशों की सूची में वह 103 वें स्थान पर था। वैश्विक भूख सूचकांक दुनिया भर में भूख और कुपोषण को अपने चार पैमानों पर नाप कर सभी देशों की एक सूची तैयार करता है जिसमें कुपोषण, बाल मृत्युदर, उम्र के अनुपात में कम विकास और लंबाई के अनुपात में कम वजन को आधार बनाया जाता है। इस रिपोर्ट में भारत को उन 45 देशों के साथ रखा गया है जहां भूख को लेकर हालात चिंताजनक हैं। बल्कि इस सूचकांक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों ने भी भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस सूचकांक में पाकिस्तान 94 वें, बांग्लादेश 88 वें और श्रीलंका 66 वें स्थान रहा।

भारत का संविधान लोगों को भोजन का अधिकार और जीने का अधिकार देता है। इस रिपोर्ट ने उन तमाम सरकारी योजनाओं की नाकामयाबी की ओर इशारा किया है जो आजादी से लेकर अब तक भारत को भूख से मुक्त कराने के लिए बनाई गई थीं। साथ ही इसने भारत के खोखले विकास की तरफ इशारा किया है जो एक तरफ तो मंगल पर पहुंच रहा है वहीं दूसरी तरफ अपने नागरिकों को खानपान जैसी मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया कराने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। उधर देश की एक समस्या यह भी है कि यहां प्रतिवर्ष लाखों टन अनाज गोदामों में सड़ जाता है और भारी मात्रा में खाना बर्बाद होता है। आज तक देश में भूख के कारण हो रही मौतों के पीछे किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं हो सकी है। यदि समय रहते भारत को भूख की इस समस्या से निजात नहीं दिलाई गई तो यह आने वाले समय में भारत के भविष्य के लिए एक बेहद चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करेगा। इस तरह तो तकनीक के कंधे से कंधा मिलाकर चलता भारत और दूसरी तरफ भूख से जंग लड़ता भारत कभी भी एक साथ नहीं आ पाएगा।

● *शक्ति प्रताप सिंह, रश्मि खंड, लखनऊ*

समय की मांग

एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के विकल्प रातोंरात उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, लेकिन इस दिशा में तेजी से कदम उठाए जाने जरूरी हैं। प्लास्टिक के खिलाफ अभियान केवल प्लास्टिक की थैलियों की जगह जूट या कपड़े के थैले या फिर प्लास्टिक के कप के स्थान पर कुल्हड़ के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आखिर इसकी अनदेखी कैसे की जा सकती है कि वर्तमान में खान-पान की लगभग प्रत्येक सामग्री की पैकिंग प्लास्टिक में हो रही है? इसके अलावा दूध भी प्लास्टिक की थैलियों में मिल रहा है। इसे देखते हुए समय की मांग है कि वे कंपनियां भी इस अभियान में योगदान देने के लिए सक्रिय हों जो अपने उत्पादों की पैकिंग प्लास्टिक में करती हैं।

● *हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर, बिहार*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

पराली के पीछे

धान की फसल काटने के बाद खेतों में बचने वाली पराली को संभालने के संसाधन व मशीनरी महंगी होने के कारण किसान पराली जलाने को मजबूर हो चुके हैं। इस सीजन के दौरान भी पंजाब के किसान पराली को आग ही लगा रहे हैं जिससे न सिर्फ पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है बल्कि खेतों की उपजाऊ शक्ति भी नष्ट हो रही है। पंजाब के ज्यादातर किसानों की तरफ से धान की दो किस्मों पूसा-44 व पीआर-118 समेत बासमती की बिजाई की जाती है और इन किस्मों के ज्यादा समय लेने की वजह से इनकी फसल अक्तूबर माह में बड़ी मुश्किल से तैयार हो पाती है।

अक्तूबर के ही चौथे सप्ताह में गेहूं की बिजाई का समय शुरू हो जाता है। ऐसे हालात में किसान धान की पराली की चौपर से कटाई करने के बाद उसे आग लगा देते हैं जिससे उनका समय व पैसा दोनों बच जाते हैं। हालांकि पंजाब के खेतीबाड़ी विभाग की तरफ से पिछले कई सालों से किसानों को पराली को जलाए बिना ही हैपीसीडर, जीरो ट्रिल ड्रिल, चौपर कम सलेंडर व पैडीबेलर के जरिए गेंहू की बिजाई करने की सलाह दी जाती है लेकिन यह सारी मशीनरी काफी महंगी होने के कारण पंजाब के ज्यादातर किसानों के पास उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा विलुप्त हो रही संयुक्त परिवार परंपरा के कारण ज्यादातर किसानों के पास काफी कम जमीन है और वे ऐसी महंगी मशीनरी खरीदना तो दूर, उसे किराये पर लेने की भी क्षमता नहीं रखते। यदि किसान पराली को आग न लगाए तो उसे कम से कम 25 सौ रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा और खेतीबाड़ी का धंधा लाभदायक नहीं रहने की वजह से वह पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है।

● *राजीव शर्मा, कोटकपूरा, पंजाब*

ध्रुवीकरण से दूर

सन 1986 से निरंतर चर्चा में बने रहने वाले राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई आखिरकर उच्चतम न्यायालय ने पूरी कर दी है। सभी पक्षों की लिखित दलीलें मिलने के बाद पांच जजों का संविधान पीठ फैसला सुनाएगा। जिसने इस मामले को फौरी निगाहों से ही देखा होगा वह भी जनता होगा कि यह लड़ाई 2.77 एकड़ जमीन को लेकर है। इस मसले को देखकर प्रेमचंद के उपन्यास 'रंगभूमि' का पात्र सूरदास याद आ जाता है जो अपनी जमीन के टुकड़े को नहीं बेचना चाहता क्योंकि वह उसकी पैतृक संपत्ति है और उससे वह भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसी ही स्थिति अयोध्या विवाद की है; एक जमीन का टुकड़ा है और ढेर सारी भावनाएं हैं!

लेकिन यह जमीन का टुकड़ा और भावनाएं एक और जगह भी होती हैं वे हैं हमारे गांव। हमारे गांवों में अक्सर देखा जाता था कि एक समाज के लोग जमीन दान कर दूसरे समाज के लोगों को गांव में लेकर आते थे भले ही यह प्रक्रिया वर्ण-व्यवस्था से प्रेरित थी लेकिन यह सामाजिक सद्भाव और विविधता को बढ़ाने वाली थी। यही हमारे भारत का स्वभाव रहा है जबकि अयोध्या मामला अलग ही दिखाई देता है। यह न केवल भारत के 'वसुधैव कुटुंबकम' आदर्श के विपरीत है बल्कि देश की समरसता को भी खतरा है। इसके अलावा यह मामला भावनाओं से कम, राजनीतिक ध्रुवीकरण से जुड़ा ज्यादा प्रतीत होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो हो इसे अवांछनीय ध्रुवीकरण से बचाना होगा और हमारी ग्रामीण संस्कृति की लाज रखनी होगी।

● *सचिन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय*

शाही शादी

धर्म भी अब अपने देश में बड़ा उद्योग है। उद्योगपतियों की धन-दौलत का तो फिर भी पता चल जाता है पर साधू-संत-महात्मा-धर्माचार्य कितने मालदार हैं, इसका पुख्ता आकलन कोई नहीं कर पाता। दरअसल धर्माचार्यों और मठाधीशों की धन संपदा उनके ट्रस्ट या चैरिटेबल सोसायटी के स्वामित्व में होने से कभी सामने नहीं आ पाती उनकी माली हैसियत। अब अपने सतपाल महाराज को ही लें। कहने को तो धर्माचार्य हैं। पर गृहस्थी हैं सो संत-महात्मा नहीं हो सकते। सियासत में तो गढ़वाल में पकड़ है ही, देश भर में अनुयायियों की तादाद भी करोड़ों में है। कहां नहीं हैं उनकी संपत्तियां। आजकल उनके बेटे की शादी के चर्चे हैं। जैसे कर्नाटक में रेड्डी बंधुओं और औली में पिछले दिनों सहारनपुर के गुप्ता बंधुओं की शाही शादी की चर्चा हुई थी। महाराज के बेटे सुयश का वरण रीवा की राजकुमारी मोहिनी ने किया है। टीवी धारावाहिकों की अभिनेत्री है मोहिनी। विवाह समारोह का पंडाल किसी महल से कम नहीं था। शादी शाही थी तो एक लाख मेहमान तो आते ही। कारिंदों ने इतने जमघट के बावजूद कमाल का यातायात बंदोबस्त किया। कितने राजनेता और शाही घरानों के नुमाइंदे पहुंचे। कई बड़े कांग्रेसी भी थे पर हरीश रावत नहीं दिखे। सतपाल महाराज भी रावत ही ठहरे। सो, दोनों के बीच एक म्यान में दो तलवार वाली स्थिति है। पहले महाराज भी कांग्रेसी थे। हरीश रावत के मुख्यमंत्री काल में पाला बदला। इस शाही शादी के निहितार्थ तलाशने से भी उनके विरोधी चूक नहीं रहे। दबी जुबान से ही सही पर कहने से चूक नहीं रहे कि बेटे के शादी समारोह के बहाने सतपाल महाराज ने अपनी पैठ और रसूख का प्रदर्शन कर दिखाया।

हरियाणा और महाराष्ट्र, जहां विपक्ष जनता से दूर और अंदरूनी कलह में मशगूल है वहां विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे गायब हैं और केंद्र के हालिया लिए राजनीतिक फैसले ही राष्ट्रीय मुद्दा बन वोट मांगने का आधार बन रहे हैं। कांग्रेस के नेता अशोक तंवर ऐन चुनावी समय में नवनिर्मित जननायक जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे माहौल में कोई आश्चर्य नहीं कि सत्ता पक्ष, विपक्ष को सजा देने की मांग करता है। भारत की राजनीति का यह अहम अध्याय है कि बेसाख विपक्ष के कारण सत्ता पक्ष ही एजंडा बना और दोषी तय कर रहा। वहीं दिल्ली, जहां चुनाव अभी दूर है और भाजपा विपक्ष में है, स्थानीय मुद्दों पर पुरजोर बहस जारी है। वहां विपक्ष चुनाव जीतने की कोशिश में जुटा है। भाजपा दावा कर रही है कि वह सरकार बनाने और बाकी दल हैसियत बचाने के लिए मैदान में हैं। विपक्षी दलों की राजनीतिक काहिली ने जिस तरह लोकतंत्र को एकतरफा बना दिया है उसकी पड़ताल करता बेबाक बोल।

बेबाक बोल

पक्ष ही विपक्ष

मुकेश भारद्वाज

कथित बाबाओं के समर्थकों का शुरू किया हुआ फसाद हो या जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान फैली अराजकता। बाबाओं के डेरों से श्रद्धालुओं के रूप में निकलते दंगाई और मारे गए लोगों का आंकड़ा। कारों की खरीद-बिक्री में सुस्ती और कई तरह के कारखानों में मंदी के बाद हरियाणा के एनसीआर से जुड़े कई शहरों में बेरोजगारी का आलम। हरियाणा में इन स्थानीय मुद्दों की कहीं गूंज नहीं है। नवनिर्मित जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला जब इन पर बात करने की कोशिश करते हैं तो उनके सामने अनुच्छेद 370 और कश्मीर का मसला उछाल दिया जाता है।

वहीं महाराष्ट्र में वीर सावरकर से लेकर तीन तलाक और 370 जैसे मजबूत राजनीतिक फैसले के मुद्दे छाए हुए हैं। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों में केंद्रीय मुद्दे हावी हैं। आखिर स्थानीय मुद्दों की गूंज क्यों नहीं सुनाई दे रही?

स्थानीय मुद्दे जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, सूखा-बाढ़, कानून व प्रशासन आम जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। किसानों का सवाल, आदिवासियों का सवाल और इन सबसे जुड़ा रोजी-रोटी का सवाल। लोकतंत्र में नाकामियों को उभार कर उस पर सवाल-जवाब करना विपक्ष का काम होता है। सत्ता पक्ष यह नहीं कहेगा कि देखो, हमारे शासन में एक कथित बाबा के समर्थकों के फैलाए दंगे में इतने लोग मारे गए तो आरक्षण जैसे मुद्दे पर एक खास वर्ग ने पूरे राज्य की मशीनरी को बंधक बना डाला था, और हमारी सत्ता मूकदर्शक बनी रही। हर सत्ता यह जानती है कि सामूहिक याद की उम्र बहुत छोटी होती है। जनता के सामने सत्ता के खिलाफ उन यादों का पिटारा खोलने वाला विपक्ष ही जब मैदान से गायब हो तो वह करे भी तो क्या?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक शासन तो किया लेकिन वह 2014 के बाद से अब तक विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं सीख पाई है। 2014 के बाद शुरुआती समय तक तो कांग्रेसी नेतृत्व यही मानकर चलता रहा कि आने वाले चुनावों में जनता उसे महज इसलिए चुन लेगी क्योंकि वह वर्तमान सरकार से खुश नहीं है। उसने अपनी वापसी के लिए जनता से जुड़ने की कोशिश ही नहीं की। मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसे उस किसान आंदोलन का फायदा मिला जो जनवादी आंदोलनों से जुड़े संगठनों ने शुरू किया था। इन दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को जो आंतरिक युद्ध लड़ना पड़ा उससे साफ जाहिर है कि पार्टी को जनता के बीच की पैठ का ख्याल ही नहीं है।

हरियाणा हो या महाराष्ट्र, दोनों राज्यों में सत्ता पक्ष के नेता दावा कर रहे कि वे विपक्ष को किसी गिनती में ही नहीं रख रहे। महाराष्ट्र में भाजपा को किसी की फिक्र है तो भी वह शिवसेना जैसे सहयोगी दलों की। विपक्ष के नेता तो अपने इस्तीफों और दूसरी पार्टी में शामिल होने के कारण सुर्खियां बन रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रेस सम्मेलन करते हैं तो यह बताने के लिए कि उन्होंने तो बस चार उम्मीदवार के नाम दिए थे और पार्टी ने उनमें से एक को भी टिकट नहीं दिया तो फिर क्या फायदा ऐसी पार्टी में रहने का।

फोटो : अरुष चोपड़ा

हरियाणा में लोकसभा चुनावों में जिस अशोक तंवर ने कांग्रेस के लिए लिए सबसे ज्यादा मेहनत की ऐन विधानसभा चुनावों के दौरान वो जननायक जनता पार्टी की पत्रकार वार्ता में दुष्यंत चौटाला के साथ हताश और निराश बैठे थे। जिन तंवर को भाजपा सरकार के खिलाफ हमलावर होना था वो दिल्ली में अपनी ही पार्टी के मुख्यालय के बाहर समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। हरियाणा से लेकर केंद्र की राजनीति में कांग्रेस के कद्दावर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इन दिनों प्रभाव के स्तर पर पर्दे के पीछे ही दिख रहे हैं। अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद परिवार से बाहर दूसरा अध्यक्ष नहीं मिलना भी पार्टी की सीमा बता रहा।

केंद्र सरकार ने अपने खतरे उठा कर मजबूत राजनीतिक फैसले किए और अब वह राज्यों में इसका फायदा उठा रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता इन मजबूत फैसलों पर इतने कमजोर हैं कि अनुच्छेद 370 पर हुड्डा का रुख अलग तो गुलाम नबी आजाद का रुख अलग रहता है। यही हाल जीएसटी से लेकर तीन तलाक तक के फैसलों पर रहा। कांग्रेस नेताओं के सुर अलग-अलग रहे। कांग्रेस जब इस पर रुख ही नहीं तय कर पा रही है तो मुद्दा कैसे बना पाएगी।

हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है लेकिन कांग्रेस नेतृत्व दिल्ली में एक अदद प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं दे सका है। इसके पहले भी बुजुर्ग शीला दीक्षित को प्रदेश की कमान सौंपी गई। लेकिन कांग्रेसी नेता ही कहने लगे कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अब शीला दीक्षित के बेटे पत्र लिख कर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में कीर्ति आजाद का नाम भी सामने आया है। आजाद को पूर्वांचल के वोटों की खातिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के बरक्स लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिल्ली की जनता के बीच तिवारी और आजाद के जमीनी आधार में जमीन और आसमान का अंतर है। तिवारी पिछले कई सालों से दिल्ली के लोगों के बीच अथक मेहनत कर रहे हैं। कीर्ति आजाद का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस में वरिष्ठता की जंग भी छिड़ गई है। देखते हैं कि कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह से निपट कर विधानसभा चुनाव में कब कूदती है।

हरियाणा और महाराष्ट्र के उलट दिल्ली में स्थानीय मुद्दे हावी हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार के मुफ्त बिजली-पानी और मेट्रो-बसों में सफर के खिलाफ आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, पलटवार किया जा रहा है। दिल्ली में जबकि चुनाव थोड़े दूर हैं स्थानीय मुद्दों पर घमासान इसलिए मचा है क्योंकि यहां विपक्ष में भाजपा है। भाजपा अभी केंद्र से लेकर ज्यादातर जगहों की सत्ता में है, इसलिए उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं में जीत की भूख है। जब विपक्ष में जीत की भूख होगी तभी वह सत्ता पक्ष के खिलाफ हमलावर होगा। अन्य राज्यों में विपक्ष जीत की उम्मीद खो चुका है। ऐसे माहौल में सत्ता पक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि भाजपा चुनाव जीतने और अन्य दल अपनी हैसियत बचाने के लिए मैदान में हैं।

जनता के मुद्दों को उठाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करना होता है। कांग्रेस के संगठन का ढांचा ढह चुका है और वह चंद नेताओं और उनके समर्थकों की पार्टी बनकर रह गई है। विकल्प का चेहरा बनने की राह में भी वह बेसाख हो चुकी है।

कांग्रेस और अन्य दलों के जनता से दूर होने का नतीजा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विपक्ष की भूमिका भी पक्ष ही निभा रहा है। एजंडा भी वही तय कर रहा है और दोषी भी वही तय कर रहा है। विपक्ष की काहिली का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि इन चुनावों में सत्ता पक्ष के द्वारा उसे ही सजा देने की बात हो रही है। स्थानीय असफलता, विधायकों और सांसदों की नाकामी को सत्ता पक्ष पीछे धकेलने का ही काम करेगा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपने बीच वृहत्तर एकता ही नहीं बना पा रहे तो वे जनता के बीच कैसे स्वीकृत होंगे? देखना है, विपक्ष इस मरणासन्न अवस्था में कब तक रहता है।

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं।
हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

चीन की पिघलती दीवारें

'शीर्ष पर संवाद' का चित्रण दोनों देश के मध्य सकारात्मक भविष्य की एक ऐसी पटकथा की परिकल्पना है जो भावुकता की भित्ति पर भव्य प्रासाद सा दिखता है। लेकिन जब अतीत के पन्नों को हम पलटते हैं तो उसमें अविश्वास, धूर्तता, वैमनस्य की अंतहीन घटित घटनाएं हमें चिंतित भी करती हैं और शत्रु के मित्र से निपटने के लिए सावधानी का पाठ भी पढ़ाती हैं। मोदी सरकार ने 2014 से ही एक अथक प्रयास कर चीन की मानसिकता में यह कूट-कूट कर भाव भरने में सफलता पाई है कि 1962 के जटिल पड़ाव से आज भारत पूरी तरह उबरकर संसार के केंद्र में अपनी आभा बिखरने में योग्य सिद्ध हुआ है। इतिहास की घटनाओं में दम है कि कभी पंचशील के पंचामृत से तृप्त हिंदी चीनी भाई-भाई के कृत्रिम शंखनाद को चीन ने प्रतिकूलता के भंवर में ला खड़ा किया था और 1962 के युद्ध की विभीषिका से हम आक्रांत हुए थे। केंद्र की नीतियों का असर है कि चीन की दादागीरी अब आंशिक रूप से विसर्जन की ओर उन्मुख है और बुद्ध के इस देश को अब युद्ध की जगह सिर्फ संवाद से निपटने की वैश्विक मांग है। हां, हमारे वैदेशिक रणनीतिकारों को सावधान रहना होगा कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों का समर्थन अब चीन को प्राप्त न हो लेकिन आजाद कश्मीर में चीन का आर्थिक गलियारा निर्माण भारतीय हितों के विरुद्ध तो है ही, जिसे अति सूक्ष्म कूटनीति से निपटना होगा। हांगकांग और तिब्बत के आंतरिक कलह और विद्रोह ने चीन की मजबूत दीवारों में कुछ दरार तो डाली है, लेकिन अरुणाचल पर इसकी कुटिल निगाहें भी हमें सावधानी हेतु प्रेरित करती हैं। हमें पुनर्विचार करना चाहिए कि जो उत्पादकीय सामग्री हम चीन से आयात करते हैं-उसका स्वदेश में निर्माण क्यों नहीं कर सकते? इस संदेश को यदि चीन समझ ले तो उसकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का आंशिक पलायन हो सकेगा।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना।

महाबलीपुरम में महामिलन

शीर्ष संवादों में पाकिस्तान आक्रमणकरियों की भाषा इस्तेमाल कर अपनी छवि विकृत कर चुका है। जबकि युद्ध और आतंक के बोझ से दबी दुनिया देर ही सही पंचशील के भारतीय सिद्धांत पर आगे बढ़ने को तैयार दिखती है। लिहाजा महाबलीपुरम में महामिलन के नतीजों पर नजर रखना बेहद दिलचस्प होगा।

-एमके मिश्रा, मां आनंदमयीनगर, रातू।

आर्थिक गुलामी न स्वीकारे भारत

भारत के गुलाम होने का आधार था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना। अगर महात्मा गांधी ने भारतीयों को स्वदेशी के प्रति जागरूक नही किया होता तो आज शायद भारत आजाद भी नही हुआ होता। आज एक बार फिर से भारत विदेशी सामान के मोह में फंसता जा रहा है, खास तौर पर चीन के। इस कारण भारत अपने नापाक पड़ोसी की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर ही रहा, साथ ही अपने देश के घरेलू उद्योग-धंधों की बर्बादी का कारण भी बन रहा। भारत को व्यापार के मामले में दूसरे देशों के साथ इस तरह समझौते करने चाहिए जिससे देश मे रोजगार बढ़े।

-राजेश कुमार चौहान, जलंधर।

नेपाल पर भी रहे नजर

भारत में अपने दो दिवसीय दौरे को खत्म कर चीनी राष्ट्रपति नेपाल गए। उनका नेपाल का यह दौरा भारत के लिए भी अहम है। वर्तमान नेपाल सरकार कहीं न कहीं भारत के पक्ष में नही है। उस पर से भारत-नेपाल के आपसी विवाद जिसमें व्यापार, सीमा विवाद शामिल हैं उसे भी सुलझाया जाना बाकी है। इसके बाद अब चीन का नेपाल के करीब आना भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। चीन ने अपने इस दौरे में दो साल में नेपाल को 35 अरब रुपए देने का वादा किया है। साथ ही 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसपर भारत को अपनी पैनी निगाह रखनी चाहिए ताकि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए नया मसला खड़ा न हो।

-ज्योति सिंह, कानपुर।

शीर्ष पर संवाद

प्राचीन काल के यूनानी राज्यों एथेंस और स्पार्टा के समय से ही यह बात सिद्ध हो चुकी है कि युद्ध पिपासु देश नष्ट हो जाते हैं। शांति और साहचर्य से रहने वाले देश सांस्कृतिक, साहित्यिक और लालित्य कलाओं में खुद को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा देते हैं। आज इसके ज्वलंत उदाहरण एक ही उपमहाद्वीप के दो टुकड़े बांग्लादेश और पाकिस्तान हैं। इसलिए अपने इतिहास की कड़वी स्मृतियों को इन दोनों महाशक्तिशाली देशों भारत और चीन को मामल्लापुरम में कूड़ेदान में सदा के लिए दफन कर देना चाहिए और भविष्य में किसी को भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपसी संबंध फिर से असहज और अविश्वास भरा बन जाए।

-निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

राजपाट

करामाती करतार

हरियाणा की धरती लालों यानी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के लिए भी मशहूर हुई। पर इसी धरती की शान में मौकापरस्ती के लिए भड़ाना बंधुओं ने भी कम गुल नहीं खिलाए। अवतार सिंह भड़ाना और करतार सिंह भड़ाना दोनों गुर्जर बंधुओं ने साबित कर दिखाया कि जेब भारी हो और जात का समर्थन भी हो तो हर दल गले लगाएगा। शुक्रवार को करतार सिंह भड़ाना का फिर हृदय परिवर्तन हुआ। भाजपा की नीतियों ने ऐसा मोह लिया कि वे बसपा का चोगा उतार भाजपा में शामिल हो गए। अंतरराज्यीय असर वाले हैं तभी तो हर दल पलक पांवड़े बिछाता रहा है। भाई अवतार सिंह भडाना को तो देवीलाल ने 1987 में विधानसभा का सदस्य नहीं होने के बावजूद अपनी सरकार में छह महीने के लिए मंत्री बना दिया था। पर करतार की किस्मत चमकी 1996 में जब बंसीलाल ने अपनी अलग हरियाणा विकास पार्टी बनाई। वे पानीपत की समालखा सीट से हविपा के विधायक चुन लिए गए। उनकी 'प्रतिभा' से प्रभावित हो बंसीलाल ने उन्हें मंत्री भी बना दिया। पर वर्ष 2000 में उन्होंने ही हविपा सरकार के पतन की प्रस्तावना लिखी। इस बार मध्यावधि चुनाव हुआ तो वे ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलोद में चले गए। फिर विधायक बन गए। इसके बाद हरियाणा में दाल गलनी बंद हो गई तो 2012 में यूपी पहुंच गए। अजित सिंह के रालोद से टिकट ले खतौली से विधायक बन गए। पर अगली बार इसी पार्टी से बागपत से हार का मुंह देखना पड़ा। लोकसभा चुनाव हुए तो इस साल रालोद छोड़ बसपा में चले गए और मध्यप्रदेश की मुरैना सीट से चुनाव लड़ भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर से हार गए। चूंकि रसूख की सियासत से संजीवनी लेते हैं सो शुक्रवार को फिर हृदय परिवर्तन हुआ और भाजपा में शामिल हो गए।

हाल-बेहाल

उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मनोबल बुरी तरह टूटा हुआ है। इतना रसातल में तो 1984 की कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की आंधी के बाद भी नहीं गया था विपक्ष। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए इस चुनाव में अविभाजित उत्तर प्रदेश की 85 में से 83 सीटों पर कांग्रेस भारी अंतर से विजयी हुई थी। चंद्रशेखर, हेमवती नंदन बहुगुणा और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे धुरंधर भी ढेर हो गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद ही 1985 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो विपक्ष ने अपनी अच्छी उपस्थिति दिखा दी थी। पर 2014 के बाद से यूपी में भाजपा के प्रभुत्व ने ऐसा रंग जमाया कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के आगे ही वजूद बचाने का संकट है। विधानसभा में 2017 में सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव का कांग्रेस से हाथ मिलाना भी कारगर नहीं हुआ। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन किया तो घबराहट भाजपा को भी हुई। इस गठबंधन से बसपा तो शून्य से दस तक पहुंच गई पर सपा पांच की पांच पर ही अटकी रह गई। मोदी की आंधी का तो असर था ही, सपा के यादव कुनबे की आपसी कलह ने भी कोढ़ में खाज का काम कर दिया। खुद को महागठबंधन में नहीं लिए जाने से कांग्रेस की मिट्टी तो पलीद हुई ही, सपा-बसपा को भी नुकसान ही हुआ। कांग्रेस की तो लाज भी नहीं बच पाई। गढ़ अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बुरी तरह हरा दिया। रायबरेली में भी सोनिया गांधी की जीत का फासला काफी नीचे आ गया। जबकि लोकसभा चुनाव से पहले सूबे में हुए विधानसभा की एक और लोकसभा की तीन सीटों के उपचुनाव में विपक्ष ने एकता का प्रदर्शन कर भाजपा को मात दी थी। इस 21 अक्तूबर को सूबे में विधानसभा की 11 सीटों का उपचुनाव है। भाजपाई सभी सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि 2017 में ये सीटें भाजपा ने ही जीती थीं। तो भी विपक्ष एकजुट रहता तो भाजपा से कुछ सीटें जरूर झटक सकता था। एकता को पलीता सबसे पहले मायावती ने लगाया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के फौरन बाद सपा और अखिलेश यादव पर तोहमत लगा उनसे नाता तोड़ लिया। अखिलेश ने फिर भी मर्यादा नहीं तोड़ी। मायावती के बारे में कोई अनुचित टिप्पणी नहीं की। मायावती भूल रही हैं कि जब यूपी में ही उनका कोई आधार नहीं बचेगा और तमाम नेता एक-एक कर भाजपा में चले जाएंगे तो कैसे वे सत्ता का सपना पूरा कर पाएंगी। सभी 11 सीटों पर सपा, बसपा और कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। भाजपा को बिखरा विपक्ष हरा तो क्या पाएगा, अपनी जमानत भी सब जगह बचा ली तो गनीमत होगी।

सब्र की इंतिहा

राजस्थान की गहलोत सरकार अब समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों के दबाव में है। विधानसभा की दो सीटों के उपचुनाव के नतीजों से भी कांग्रेस सरकार के मनोबल का पता चलेगा। निर्दलीय तो सत्ता में हिस्सेदारी के लिए बेचैन हैं ही, बसपा से कांग्रेस में विलीन हुए आधा दर्जन विधायकों को भी सत्ता की मलाई की दरकार है। दो सौ सदस्यों वाली विधानसभा में अब गहलोत को 105 विधायकों का समर्थन है। उपचुनाव की दो सीटों में से एक भी हाथ लग जाए तो सोने में सुहागा होगा। सरकार बने एक साल होने वाला है। लिहाजा निर्दलियों और पूर्व बसपाइयों के सब्र का बांध टूटने लगा है। सबको मंत्री पद नहीं दे सकते तो निगम या दूसरे समकक्ष ओहदे तो देने ही चाहिए। ज्यादातर निर्दलीय कांग्रेसी अतीत वाले ठहरे। गहलोत की दुविधा अपने पार्टी विधायकों का समायोजन भी है। वे इस तरह तितरफा दबाव में होने के कारण मंत्री मंडल विस्तार की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। निर्दलियों की दलील है कि जब रालोद के इकलौते विधायक सुभाष गर्ग को मंत्री बनाया जा सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। फिलहाल तो अफसरों के तबादलों में हस्तक्षेप की छूट और कुछ दूसरे कामों की सिफारिश के अवसर देकर निर्दलियों की मिजाजपुर्शी में सफल रहे हैं। पर इस स्थिति को ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे गहलोत। इस मिजाजपुर्शी को देख कांग्रेसी विधायकों को जलन और मलाल दोनों हो रहे हैं कि उनकी कोई पूछ नहीं। उनसे तो निर्दलीय ही अच्छे।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

शाह ने राहुल से पूछा, आदिवासियों के लिए आपके परिवार ने क्या किया

गढ़चिरौली, 18 अक्तूबर (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आदिवासी कल्याण के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि उनकी चार पीढ़ियों ने 70 साल के शासन के दौरान जनजातीय समुदाय के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को अगले पांच साल में नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। पूर्वी महाराष्ट्र के माओवाद प्रभावित गढ़चिरौली के अहेरी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस नीत सरकारों ने वोट-बैंक की राजनीति के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त नहीं किया। अंततः मोदी सरकार ने इस विवादास्पद प्रावधान को समाप्त किया जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था।

शाह ने आदिवासी बहुल जिले में आयोजित रैली में राहुल गांधी के लिए सवाल किया, 'आपकी चार पीढ़ियों ने 70 साल तक देश पर शासन किया, आपने आदिवासियों के लिए क्या किया? आपने मोदीजी को केवल पांच साल दिए और हमने इस दौरान समुदाय के लिए बहुत काम किया।' भाजपा अध्यक्ष ने गांधी और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधते हुए उनसे जिले में तथा महाराष्ट्र में किए गए उनके कामकाज का हिसाब देने को कहा, जहां 1999 से 2014 तक 15 साल तक कांग्रेस-राकांपा सरकार रही।

उन्होंने 78 वर्षीय पवार को इस मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की अध्यक्ष से बहस करने की चुनौती दी कि किसकी सरकार ने क्या काम किया है। शाह ने कहा, 'हमारे पांच साल का काम आपके 50 साल के शासन से बेहतर साबित होगा। हम बहस के लिए तैयार हैं।' उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस-राकांपा की सरकारों ने महाराष्ट्र को 13वें वित्त आयोग के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपए दिए। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग के तहत राज्य को 4.38 लाख करोड़ रुपए दिए।

गढ़चिरौली जिले के नक्सल प्रभावित होने के संदर्भ में शाह ने कहा कि पहले प्रचार किया जाता था कि नक्सलवाद की मुख्य वजह विकास नहीं होना है। हालांकि हकीकत में माओवादी विकास के विरोधी हैं। शाह ने कहा कि सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में बिजली, अच्छी सड़कें, रेल सेवाएं और अन्य सुविधाएं पहुंचाना चाहती है, लेकिन नक्सली यह नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कहा, 'किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदीजी ने पिछले पांच साल में नक्सलवाद पर लगाम कसी है। हम इस पूरे क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराएंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे कि यहां के नौजवान बाकी दुनिया के युवाओं से स्पर्धा कर सकेंगे।' भाजपा अध्यक्ष ने महाराष्ट्र और कश्मीर की बात एक साथ करने का विरोध किये जाने पर कांग्रेस-राकांपा निशाना साधा और कहा, 'राहुल बाबा इतिहास पढ़ो। यह शिवाजी महाराज और सावरकर की सरकार है। इस भूमि के सपूत कभी देश की हिफाजत से पीछे नहीं हटे।'

पहलू खान मामले में हाई कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार

जयपुर, 18 अक्तूबर (भाषा)।

राजस्थान सरकार ने पहलू खान की २२हत्या मामले में अलवर की एक अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने इस मामले में सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अलवर के बहरोड़ में एक अप्रैल, 2017 को कुछ लोगों ने गो तस्करी के संदेह में पहलू खान और उनके बेटे की बुरी तरह पिटाई की थी। पहलू खान की तीन अप्रैल को अलवर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता आरपी सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में अपील सोमवार को दायर की गई।

अलवर की अदालता ने मामले में शामिल सभी छह आरोपियों विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी को संदेह का लाभ देते हुए 14 अगस्त, 2019 को बरी कर दिया था। अगस्त में निचली अदालत के फैसले के बाद राज्य सरकार ने जांच में त्रुटियों और अनियमितताओं की पहचान करने और व्यक्तिगत अधिकारियों पर जांच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया था।

भूख से लड़ने के लिए सामुदायिक भोजनालय के पक्ष में न्यायालय

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामुदायिक भोजनालय बनाने का समर्थन करते हुए कहा कि भूख की समस्या से निपटने के लिए देश में इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया और साझी रसोई बनाने के प्रस्ताव पर उनसे जवाब मांगा। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को निर्देश देने की मांग की गई है कि भूख और कुपोषण से लड़ने के लिए साझी रसोई की योजना तैयार करें।

याचिका में दावा किया गया कि पांच वर्ष से कम उम्र के कई बच्चे प्रतिदिन भूख और कुपोषण से मर जाते हैं और यह स्थिति कई मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन ह।

'जेल में 43 दिन में पांच किलो वजन कम हुआ'

पेज 1 का बाकी

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ को चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि जेल में 43 दिन रहने के दौरान वे दो बार क्रम से पांच और सात दिन के लिए बीमार पड़ गए थे और उन्हें एंटीबायोटिक दिए गए।' उन्होंने अदालत को बताया, 'उनका वजन 73.5 किलोग्राम से कम होकर 68.5 किलोग्राम हो गया है।'

सिब्बल ने कहा कि सर्दियां शुरू हो रहीं हैं और ऐसे में 74 साल के चिदंबरम को सेहत संबंधी और कठिनाइयां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआइ की ये दलीलें झूठी और बेबुनियाद आशंकाओं पर आधारित थीं कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। अदालत कक्ष में सिब्बल तथा सीबीआई की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

सुन्नी वक्फ बोर्ड के मामला वापस लेने की खबरों पर मुसलिम पक्षकारों ने जताई हैरानी

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (भाषा)।

अयोध्या भूमि विवाद में मुसलिम पक्षकारों ने बयान जारी कर सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा मामला वापस लेने संबंधी खबरों पर शुक्रवार को हैरानी जताई। अयोध्या भूमि विवाद में अहम मुसलिम वादी एम सिद्दीक के वकील एजाज मकबूल ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को छोड़कर सभी मुसलिम पक्षों ने समझौते को खारिज कर दिया है क्योंकि विवाद के मुख्य हिंदू पक्षकार मध्यस्थता प्रक्रिया और इसके तथाकथित समाधान का हिस्सा नहीं थे।

सुन्नी वक्फ बोर्ड को छोड़कर मुसलिम पक्षकारों ने स्पष्टीकरण बयान जारी कर कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता समिति के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को सौहार्दपूर्वक सुलझाने के लिए तथाकथित समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। बयान में कहा गया, 'हम सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील शाहिद रिजवी के हवाले से मीडिया में आ रही इन खबरों से हैरान हैं कि उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड बाबरी मस्जिद स्थल पर अपना दावा वापस लेने का इच्छुक है।' इसमें कहा गया है, 'हम यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम, अपीलकर्ता, प्रेस को लीक किए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, हम न ही मध्यस्थता की प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं और न ही दावे की वापसी को समझौता बनाने वाले तरीके को स्वीकार करते हैं।' प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुआई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले पर 40 दिन सुनवाई करने के बाद 16 अक्तूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मित्र देशों के साथ सैन्य साझेदारी पर जोर : सेना प्रमुख

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को कहा कि भारत पड़ोस के साथ-साथ 'वृहद क्षेत्र' में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और सेना 'किसी भी तरह के उभरते खतरों से निपटने' के लिए अपने मित्रों के साथ साझेदारी करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि हम धीरे-धीरे एक मिलिटरी-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम सिर्फ अपने सुरक्षाबलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों और रक्षा उपकरणों का उत्पादन नहीं कर रहे, बल्कि धीरे-धीरे निर्यातोन्मुखी रक्षा उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। मौजूदा समय में हमारा रक्षा निर्यात सालाना 11,000 करोड़ रुपए है, जो 2024 तक बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगा।'

रक्षा अताशे के चौथे सम्मेलन में जनरल रावत ने कहा, 'हम केवल आकार के आधार पर ही नहीं, बल्कि हमारे वृहद लड़ाकू अनुभव, हमारी पेशेवर दक्षता और अन्य गुणों के कारण दुनिया के अग्रणी सशस्त्र बलों में से एक हैं।' इस सम्मेलन में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संबोधन में समुद्री डकैतों जैसे समुद्री खतरों का हवाला दिया है, जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ता है। उन्होंने समुद्री सहयोग बढ़ाने और विश्व में 'सामूहिक सैन्य दक्षता' का लाभ उठाने की भी वकालत की। उन्होंने कहा, 'हमें एक दूसरे से सीखना होगा।'

इस सम्मेलन में जनरल रावत ने कहा, 'हम सिर्फ अपने सुरक्षाबलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों और रक्षा उपकरणों का उत्पादन नहीं कर रहे, बल्कि धीरे-धीरे एक रक्षा निर्यात उद्योग बन रहे हैं। मौजूदा समय में हमारा रक्षा निर्यात सालाना 11000 करोड़ रुपए है, जो 2024 तक बढ़कर दोगुना से ज्यादा मतलब 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगा।' थलसेना प्रमुख ने अपने संबोधन में रक्षा उद्योग से भी अपील की कि वह सशस्त्र बलों को समाधान मुहैया कराए।

जनरल रावत ने कहा कि हर देश शांति, स्थिरता एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों या मुझे कहना चाहिए मजबूत सशस्त्र बलों को बनाए रखता है। उन्होंने कहा, 'शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को जब भी बुलाया जाए, वे तब अपने उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम हों, इसके लिए आपको एक बहुत दक्ष एवं सशक्त मानवबल, सैनिकों, नौसैन्यकर्मियों और वायुसेनाकर्मियों की जरूरत है। अच्छा प्रशिक्षण और अच्छी गुणवत्ता के हथियार एवं उपकरण जवानों को सशक्त करते हैं।' इस सम्मेलन में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि समुद्री डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे समुद्री खतरों की 'अंतरराष्ट्रीय' प्रकृति है और उन्होंने एक दूसरे की सर्वोत्तम नौसेना कार्यप्रणाली को जानने के लिए 'सामूहिक सैन्य क्षमता' को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में समान विचारधारा वाली नौसेनाओं के साथ सहयोग और भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। नौसेना प्रमुख ने कहा, 'यहां कई सामुद्रिक जोखिम और साझा चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए समुद्री डकैती, जहां हमला एक देश में होता है और जहाज में लदा माल दूसरे देश में पहुंच जाता है। फिर नशीले पदार्थों की तस्करी है, जिसे हम नार्को-आतंकवाद कहते हैं, मानव तस्करी और अवैध मछली पकड़ने का कारोबार भी है। इन सभी का एक अंतरराष्ट्रीय या अंतरक्षेत्रीय चरित्र है।'

दिल्ली की आबोहवा हुई और खराब

पेज 1 का बाकी

यूनिवर्सिटी में आइक्यू 312, द्वारका सेक्टर आठ में 316, नरेला में 310, वजीरपुर में 312 और बवाना में 341 रहा। आनंद विहार में हवा में प्रदूषकों की औसत मात्रा का स्तर 318 मापा गया। यहां मोटे धूलकणों (पीएम 10)का स्तर दिन में खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था। बवाना में मोटे धूल कण दिन में दो बार खतरनाक स्तर तक पहुंचे। वहीं 321आइक्यू के साथ आयानगर में हवा खराब दर्जे की बनी रही। डीटीयू के पास आइक्यू का स्तर भी बेहद खराब रहा। जहां मोटे धूल कणों यानी पीएम 10 का स्तर दिन में 411 (खतरनाक स्तर) तक पहुंच गया। जहांगीरपुरी में आइक्यू का स्तर 402 तक पहुंचा जबकि मोटे धूल कणों की मात्रा यहां 418 तक भी पहुंची।

वायु गुणवत्ता व मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और अनुसंधान (सफर) ने कहा कि वर्तमान में हवा की गुणवत्ता के बिगड़ने का कारण मौसम की स्थिति में धीरे-धीरे बदलाव होने से भी है। तापमान कम होने से भी प्रदूषक निचले स्तर पर बने हुए हैं। दिल्ली के वातावरण में महीन धूलकणों की मात्रा (पीएम 2.5) में पराली जलाने की भागीदारी 10 फीसद हो गई है। सफर के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को यह 18 फीसद तक बढ़ने का अनुमान है। सफर की रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा, पंजाब,पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में पिछले तीन दिनों से लगातार पराली जलने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है।

पंजाब और आसपास के राज्यों में 15 अक्तूबर से 15 नवंबर के बीच पराली जलाने की अधिकतम घटनाएं होती हैं। यह दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद, वित्तीय प्रोत्साहन के अभाव में किसान ऐसा कर रहे हैं। राज्य सरकारें किसानों और सहकारी समितियों को पराली के उचित प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने और पराली जलाने के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के लिए 50 से 80 फीसद सहायता रही हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्ववर्ती दिशा में हवाएं धीमी गति से चल रही हैं। हवा की यह धीमी रफ्तार प्रदूषकों के बिखरने के लिए अनूकूल नहीं है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति है। इससे पराली जलने का प्रभाव यहां थोड़ा कम पड़ने की उम्मीद है।श्रीवास्तव ने कहा कि 20 अक्टूबर के बाद हवा की गति बढ़ने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद की जा सकती है।

370 हटाने से कांग्रेस के पेट में दर्द : मोदी

पेज 1 का बाकी

अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से पार्टी 'दर्द' में है।

उन्होंने कहा, 'आपको याद है पांच अगस्त को क्या हुआ? उस दिन वह हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिसके बारे में देश ने उम्मीद ही एक तरह से छोड़ दी थी। पांच अगस्त को भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू हो गया... 70 साल से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के विकास में हो रही रुकावट को हमने खत्म कर दिया।' उन्होंने कहा, 'लेकिन उसके बाद से कांग्रेस और उसके जैसे दलों को इतना दर्द हो रहा कि उपचार के लिए कोई दवा नहीं है। कांग्रेस के पेट में दर्द कांग्रेस की लाइलाज बीमारी बन गया है।'

उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ऐसी बीमारी का सामना कर रही है कि जब हम स्वच्छ भारत, लक्षित हमले की बात करते हैं, तो उन्हें दिक्कत होती है और अगर कोई बालाकोट का नाम लेता है तो उनका दर्द बढ़ जाता है।' मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के बारे में कांग्रेस नेताओं के बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए वे ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं जो पाकिस्तान को पसंद आते हैं। उन्हें कुछ ऐसा कहना चाहिए जिसे भारत के लोग पंसद करें।' उन्होंने कहा, 'मोदी के बारे में अच्छा बुरा कह सकते हैं, लेकिन कम से कम मां भारती का सम्मान करना चाहिए। हद पार नहीं करना चाहिए जिससे देश को नुकसान हो।' मोदी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर जिन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का विरोध किया था, 'अब यह समूह हरियाणा का प्रभार संभालने आगे आ रहा है।' सोनीपत जिले में आने वाले गोहाना को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में हुड्डा सोनीपत संसदीय सीट से और उनके पुत्र दीपेंदर सिंह हुड्डा रोहतक संसदीय सीट से हार गए थे। इस पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा 'आपने लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े नेताओं का अंहकार तोड़ दिया।'

परोक्ष रूप से हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'जो लोग सोच रहे कि सोनीपत, रोहतक और जींद उनका गढ़ है, तो लोगों ने (लोकसभा चुनावों में) अपना फैसला सुना दिया था।' भाजपा ने हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। हरियाणा में तीन साल पहले जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुयी हिंसा का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि भाईचारा खत्म करने वालों को सबक सिखा दिया गया। हिसार में एक अन्य रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में पहले से ही हार मान ली है।

अगले प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं एसए बोबडे

पेज 1 का बाकी

अप्रैल 2013 को शपथ ली थी। जस्टिस बोबडे इस वक्त राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रही पीठ का हिस्सा हैं, इसके अलावा भी वे कई बड़े फैसलों में शामिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधार कार्ड को लेकर दिए गए आदेश में भी जस्टिस बोबडे शामिल थे। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड के बिना कोई भी भारतीय मूल सुविधाओं से वंचित नहीं रह सकता है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जिन तीन जजों की पीठ ने की थी, उसमें भी वे शामिल थे। नवंबर, 2016 में तीन बच्चों द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई थी। इस फैसले में भी जस्टिस बोबडे शामिल थे।

हिंदू महासभा के पूर्व नेता कमलेश तिवारी की हत्या

पेज 1 का बाकी

कुछ साथियों ने इस मामले में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) का हाथ होने की आशंका भी जताई।

बेहद शातिराना अंदाज में मिठाई के डिब्बे में असलहे ले कर आए हत्यारों ने करीब आधे घंटे कमलेश से उनके खुर्शेदबाग स्थित कार्यालय में बात की और पहले चाकू से उनका गला रेता और फिर उनको गोली मार दी। हमलावरों ने कमलेश पर चाकू से ताबड़तोड़ 15 से ज्यादा वार किए और उनका गला रेत दिया। कमलेश इस्लामिक स्टेट (आइएस) के भी निशाने पर थे। वर्ष 2017 में गुजरात के अमदाबाद में पकड़े गए आइएस के दो आतंकियों उबेद मिर्जा और कासिम स्टिम्बरवाला ने कमलेश को निशाना बनाए जाने की बात कबूल की थी।

कमलेश को स्थानीय पुलिस ने दो गनर दिए थे जिसमें से एक घटना के दौरान सो रहा था और दूसरा गैरहाजिर था। दोपहर करीब एक बजे दो लोग नाका स्थित कमलेश के कार्यालय में आए। उस वक्त कार्यालय में काम करने वाला उनका सेवक संतोष मौजूद था। संतोष ने बताया कि हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आए दो लोगों ने पहले कमलेश से बात की। उनके लिए कमलेश ने संतोष से चाय बनाने को कहा। फिर हत्यारों ने सिगरेट मंगाने के लिए संतोष को सौ रुपए दिए। संतोष के जाते ही दोनों बदमाश कमलेश की हत्या कर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि दोनों हत्यारे आधे घंटे से अधिक समय तक खुर्शेदबाग स्थित कमलेश के कार्यालय पर मौजूद रहे। कमलेश के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे के खराब होने की वजह से खुर्शेदबाग में अन्य जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों हत्यारों की तस्वीर कैद हो गई। दोनों ने भगवा रंग का कुर्ता और जींस पहनी हुई थी। सिंह ने कहा कि वारदात के बाद नाका हिंडोला इलाके में कानून व्यवस्था की कुछ समस्या हुई थी लेकिन अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अगले 48 घंटों के दौरान हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

प्रत्यक्षदर्शी संतोष ने बताया कि कुछ समय पूर्व एक मुसलिम लड़की की हिंदू लड़के से शादी हुई थी। दोनों हत्यारों को कमलेश के साथ इसी मसले पर बात करते सुना गया।

पुलिस के उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि प्रथमदृष्ट्या दोनों हत्यारों के तार गुजरात से जुड़े नजर आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि हत्यारों ने कमलेश को पहले फोन कर उनकी लोकेशन पूछी और उनके खुर्शेदबाग स्थित कार्यालय पहुंचे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वारदात में लखनऊ के ही कुछ लोगों ने दोनों हत्यारों की असलहों और धन से जुड़ी मदद की है। इनके बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि भगवा कुर्ते पहले दो हमलावर हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर कार्यालय में घुसे थे। करीब आधे घंटे तक दोनों ने कमलेश से बातचीत की। उसके बाद अचानक मिठाई के डिब्बे में छिपाकर लाए रिवॉल्वर और चाकू से दोनों ने कमलेश पर हमला कर दिया। कमलेश को आनन फानन में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

'यात्रियों में देशभक्ति' पैदा करने के लिए स्टेशनों पर फहरेंगे राष्ट्रीय ध्वज

भुवनेश्वर, 18 अक्तूबर (भाषा)।

पूर्वी तटीय रेलवे (ईसीओआर) ने 'यात्रियों में देशभक्ति पैदा करने' के लिए जोन के 26 रेलवे स्टेशनों पर 100 फुट ऊंचे स्तंभों पर राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' लगाने का फैसला किया है। रेलवे ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि यात्रियों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना पैदा करने के रेल मंत्रालय के निर्देश के तहत रेल मुख्यालयों, ऐतिहासिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज लगाने का निर्णय लिया गया है। भुवनेश्वर और विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रीय ध्वज पहले ही लगाए जा चुके हैं।

दरअसल

जुमे के मद्देनजर घाटी में नए सिरे से पाबंदियां

श्रीनगर, 18 अक्तूबर (भाषा)।

शहर के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को नए सिरे से पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि जुमे की नमाज के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बरकरार रखने के लिए ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये पाबंदियां सौरा थानाक्षेत्र के तहत आने वाले अंचर इलाके और नौहट्टा थाने के ऐतिहासिक जामिया मस्जिद के आस-पास के इलाकों में लगाई गई है। अधिकारियों ने घाटी के संवेदनशील इलाकों में शुक्रवार को इस आशंका के आधार पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दीं कि निहित स्वार्थी तत्व विरोध भड़काने के लिए बड़ी मस्जिदों एवं दरगाहों पर जमा भीड़ का फायदा उठा सकते हैं। जामिया मस्जिद में पिछले दो महीने से अब तक जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है।

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की केंद्र सरकार की पांच अगस्त की घोषणा के बाद कश्मीर घाटी में उसी दिन प्रतिबंध लगा दिए गए थे। समय के साथ घाटी में स्थिति सुधरने के साथ ही प्रतिबंधों को कई चरणों में हटाया गया।

इस बीच, शुक्रवार को लगातार 75वें दिन घाटी में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। अधिकारियों ने बताया कि सुबह में कुछ घंटों के लिए दुकानें खुली लेकिन मुख्य बाजार और अन्य कारोबारी संस्थान बंद रहे। साथ ही शहर में और कश्मीर के अन्य हिस्सों में निजी वाहन बिना किसी बाधा के आते-जाते रहे। हालांकि सार्वजनिक परिवहन के अन्य माध्यम सड़कों से नदारद रहे।

स्कूल एलं कॉलेज भले ही खुले लेकिन बच्चे घर पर ही रहे क्योंकि सुरक्षा के चलते उनके माता-पिता उन्हें घर पर ही रख रहे हैं।

काली सूची से बचाया चीन, मलेशिया और तुर्की ने

पेज 1 का बाकी

मुताबिक, एफएटीएफ ने भले ही अभी पाकिस्तान को ग्रे सूची में ही रखा है, लेकिन आतंक के खिलाफ पर्याप्त कदम नहीं उठाने के कारण अगले कुछ साल में उसके लिए इस सूची से बाहर निकलना नामुमकिन है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय संस्था ने ऐसे संकेत भी दे दिए हैं कि पाक को 2020 फरवरी में ब्लैक लिस्ट किए जाने की पूरी आशंका है।

अभी चीन के पास एफएटीएफ का अध्यक्ष पद है। बैठक में मलयेशिया और तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में बल्लेबाजी की और चीन ने उसे अपना मौन समर्थन दिया। इस तरह पाकिस्तान को काली सूची से बाहर रखने के लिए तीन जरूरी वोटों का इंतजाम किया गया। एफएटीएफ के नियमों के मुताबिक, ग्रे और काली सूची के बीच डार्क-ग्रे की भी श्रेणी होती है। इसका अर्थ है सख्त चेतावनी, ताकि संबंधित देश को सुधार का एक अंतिम मौका मिल सके।

पाक को चार महीने की मोहलत

पेज 1 का बाकी

का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान को लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए दी गई 27 सूत्रीय कार्ययोजना में इस्लामाबाद सिर्फ पांच पर ही काम कर पाया। भारत में सिलसिलेवार आतंकवादी हमलों के लिए ये दोनों आतंकी संगठन जिम्मेदार रहे हैं।

बैठक में यह आमराय रही कि इस्लामाबाद को दी गई 15 महीने की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद पाकिस्तान ने 27 सूत्री कार्ययोजना पर खराब प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी 'ग्रे सूची' में कायम रखते हुए एफएटीएफ ने धन शोधन और आतंकवाद को मुहैया कराए जा रहे धन को रोकने में नाकाम रहने को लेकर इस्लामाबाद को कार्रवाई की चेतावनी दी। भारत ने 13 अक्तूबर को बैठक की शुरुआत में पाकिस्तान को काली सूची में डालने की मांग की थी। जबकि बैठक के दौरान पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्री हम्माद अजहर ने दावा किया कि आतंकवादी संगठनों को वित्तपोषण के मामले में 27 मापदंडों में से 20 में उनके देश का प्रदर्शन सकारात्मक रहा है। एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला था और 27 सूत्री कार्ययोजना देते हुए एक साल का समय दिया था। इसमें धनशोधन और आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद रोकने के उपाय करने थे। पाकिस्तान को अक्तूबर 2019 तक कार्रवाई करने या ईरान और उत्तर कोरिया के साथ 'काली सूची' में डाले जाने के जोखिम का सामना करने को कहा गया था।

एफएटीएफ पेरिस स्थित अंतर-सरकारी संस्था है। इसका काम आतंकी संगठनों को गैरकानूनी आर्थिक मदद को रोकने के लिए नियम बनाना है और इसके पालन पर अपनी रिपोर्ट देनी है। संस्था का गठन 1989 में किया गया था। एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाले जाने पर देश को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में कठिनाई आती है। एफएटीएफ ने समीक्षा के दायरे में रहे सभी क्षेत्राधिकारों पर चर्चा की। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और उस पर आमराय भी बनी। अब, फरवरी 2020 में पाकिस्तान को औपचारिक रूप से काली सूची में डाले जाने की संभावना बढ़ गई है।

छात्राओं ने नीतीश कुमार को दिखाए काले झंडे

भागलपुर, 18 अक्तूबर (जनसत्ता)।

बांका के बेलहर की चुनावी सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छात्राओं ने शुक्रवार को काले झंडे दिखाए। ये छात्राएं प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की हैं। इनका विरोध स्कूल के कोड को रद्द करने और स्कूल में समुचित सुविधाएं उपलब्ध न होने की वजह से है। ये छात्राएं मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थीं। मगर सुरक्षा बलों ने जबरन इन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। तो छात्राओं ने हाथों में काले फीते लेकर उनकी ओर कर हवा में लहराने लग गईं। पुलिस ने घेराबंदी कर छात्राओं को वहां से हटाया।

भागलपुर मंडल की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 21 तारीख को है। जद (एकी) के बेलहर विधायक गिरधारी यादव बांका और नाथनगर सीट से विधायक अजय मंडल के भागलपुर लोकसभा सीट से जद (एकी) की टिकट पर सांसद निर्वाचित होने से खाली हुई है। राजग की ओर से ये सीटें जद (एकी) के हिस्से गई हैं। अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बेलहर और सबौर में सभाएं की हैं। बेलहर से लालधारी यादव और नाथनगर से लक्ष्मी कांत मंडल जद (एकी) उम्मीदवार हैं।

चुनावी सभा में उनके साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा, राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल और सांसद गिरधारी यादव मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। राजग बिहार में मजबूत गठबंधन है। 2020 का विधानसभा चुनाव भी भाजपा-लोजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे।

करवा चौथ के दिन पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या

बांदा, 18 अक्तूबर (भाषा)।

बांदा से सटे हमीरपुर जिले के बिवांर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने करवा चौथ पूजन के दौरान पत्नी की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी।

मौदहा के पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) सौम्य पांडेय ने शुक्रवार को बताया कि बिवांर थाना क्षेत्र के उमरी गांव के तुलसीराम प्रजापति ने करवा चौथ पूजन के दौरान अपनी पत्नी भूरी उर्फ प्रेम देवी (28) की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि भूरी की सास राम दुलारी के शोर मचाने पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने तुलसीराम को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है।

पांडेय ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि करवा चौथ के मौके पर नई साड़ी खरीदने को लेकर दंपति के बीच विवाद हुआ था। प्रजापति बुधवार को ही भूरी को उसके मायके से लेकर आया था। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

जनकपुरी शाखा: 21, बी-ब्लॉक, कम्युनिटी सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
फोन: 25594284, 25511667, ईमेल: iob0544@iob.in

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), जिसका प्रधान कार्यालय 763, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002 में है तथा अन्य स्थानों के अलावे शाखा कार्यालय 21 बी-ब्लॉक, कम्युनिटी सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है आधार", "जो भी वहां है आधार", "जैसा भी वहां है आधार" तथा "कोई उपचार नहीं आधार" पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	ऋण संख्या	ग्राहक का नाम	स्वर्णाभूषणों का शुद्ध वजन (ग्राम में)	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति एवं पता
1	054403462000046	श्री प्रदीप कुमार पुत्र राजपाल सिंह	स्वर्णाभूषण अर्थात् 2 पीस कान बाली= 20 कैरेट एनडब्ल्यू= 5.800 ग्राम	4 नवम्बर, 2019 श्री रणजीत कुमार झा सम्पर्क नं. 7007721553 श्री स्वर्णजीत हिमवान सम्पर्क नं. 7827001502 इंडियन ओवरसीज बैंक जनकपुरी शाखा, 21, बी-ब्लॉक, नई दिल्ली-110058
2	054403462000025	श्री गौरव सेठी, पुत्र भवानी दास सेठी	स्वर्णाभूषण अर्थात् 1 नेक्लेस (ब्रॉकन) = 22 कैरेट 2 कांटे=22 कैरेट एनडब्ल्यू-39.800 ग्राम	

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी-सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों/गिरवीकर्ताओं तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।

संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी-कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं को निपटारा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर-वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी।

यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत-विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

तिथि: 17.10.2019 स्थान: नई दिल्ली मुख्य प्रबंधक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा : गांधी नगर, मुरादाबाद

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु (नियम 8 (1))

जैसा कि,

वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित अमलगमेशन की योजना के अनुसरण में, वित्तीय सेवा विभाग ने जी.एस.आर. नं0 2(ई) दिनांक 02.01.2019 को, विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 01.04.2019 से प्रभावी किया गया है। समामेलन की योजना के संदर्भ में, सभी ऋण दस्तावेजों के साथ-साथ विजया बैंक के पक्ष में सिक्योरिटी इन्टरेस्ट को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ स्थानांतरित और निहित किया जाता है।

प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निमाण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी है और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की उप धारा 13 (12) नियम 3 के साथ पठनीय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं)/जमानतदारों के नाम के सम्मुख उल्लिखित धनराशि (जिसका सम्पूर्ण विवरण नीचे उल्लिखित है) के सम्बंध में सम्बंधित उधारकर्ताओं/जमानतदारों से मांग की गयी थी कि वे मांग नोटिस प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि चुकता कर दें। क्योंकि सम्बंधित उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋण राशि चुकता नहीं की गयी है इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ताओं/जमानतदारों के साथ-साथ जनता को भी सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के साथ नियम 8 के पठनीय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे लिखी सम्पत्ति का कब्जा नीचे उल्लेख तिथि को ले लिया गया है। एतद्द्वारा विशेषतः उधारकर्ता(ओं)/जमानतदार और सामान्य तौर पर आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इस सम्पत्ति के सम्बंध में किसी भी लेन-देन हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) को देय धनराशि व उसपर देय ब्याज के अनुक्रम में बैंक का प्रभार नोट कर लें। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे उल्लिखित संपत्तियों पर कब्जा ले लिया है।

क्र0 सं0	ऋणीकर्ता व गारन्टर का नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	बकाया धनराशि
1.	1. मैसर्स बून बेकर्स प्रोप. – श्री महेश पाल सिंह तोमर (ऋणकर्ता), पंजीकृत पता: – ग्राम नगला नीदर पोस्ट, पखवारा, सम्भल–244102 2. श्री शशांक तोमर पुत्र महेश पाल सिंह तोमर (गारंटर), निवासी– मकान नम्बर 9, ग्राम नगला नीदर पोस्ट, पखवारा, सम्भल–244102	आवासीय संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित फ्लैट नंबर आर-47-सी, दूसरी मंजिल, खसरा नंबर 1496 (का भाग), वृंदावन गार्डन, फेज-2, रुड़की रोड, मेरठ महेश पाल सिंह के नाम पर। क्षेत्रफल 102.50 वर्गमीटर। सीमायें–उत्तर: आम पार्किंग और मार्ग दक्षिण: ग्रीन एस्टेट कालोनी की रोड पूर्व: अन्य व्यक्ति की संपत्ति पश्चिम: फ्लैट नंबर आर-47-एफ मालिक– पंकज संदेहा	06.06.2019 कब्जे की तिथि 16.10.2019	रु. 1659290.55 (रुपये सोलह लाख उनसठ हजार दो सौ नब्बे और पचपन पैसे केवल) प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे

उधारकर्ता / गारंटीकर्ता / तृतीय पक्ष के बंधक की गिरवी हुई संपत्ति विवरण

दिनांक– 17.10.2019 स्थान–मुरादाबाद प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा : गांधी नगर, मुरादाबाद

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु (नियम 8 (1))

जैसा कि,

वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित अमलगमेशन की योजना के अनुसरण में, वित्तीय सेवा विभाग ने जी.एस.आर. नं0 2(ई) दिनांक 02.01.2019 को, विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 01.04.2019 से प्रभावी किया गया है। समामेलन की योजना के संदर्भ में, सभी ऋण दस्तावेजों के साथ-साथ विजया बैंक के पक्ष में सिक्योरिटी इन्टरेस्ट को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ स्थानांतरित और निहित किया जाता है।

प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निमाण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी है और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की उप धारा 13 (12) नियम 3 के साथ पठनीय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं)/जमानतदारों के नाम के सम्मुख उल्लिखित धनराशि (जिसका सम्पूर्ण विवरण नीचे उल्लिखित है) के सम्बंध में सम्बंधित उधारकर्ताओं/जमानतदारों से मांग की गयी थी कि वे मांग नोटिस प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि चुकता कर दें। क्योंकि सम्बंधित उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋण राशि चुकता नहीं की गयी है इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ताओं/जमानतदारों के साथ-साथ जनता को भी सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के साथ नियम 8 के पठनीय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे लिखी सम्पत्ति का कब्जा नीचे उल्लेख तिथि को ले लिया गया है। एतद्द्वारा विशेषतः उधारकर्ता(ओं)/जमानतदार और सामान्य तौर पर आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इस सम्पत्ति के सम्बंध में किसी भी लेन-देन हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) को देय धनराशि व उसपर देय ब्याज के अनुक्रम में बैंक का प्रभार नोट कर लें। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे उल्लिखित संपत्तियों पर कब्जा ले लिया है।

क्र0 सं0	ऋणीकर्ता व गारन्टर का नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	बकाया धनराशि
1.	1. श्री बृजमोहन सिंह रवि पुत्र शीश राम सिंह रवि निवासी–3 सी-225/28, आवास विकास योजना, बुद्धी विहार, मुरादाबाद–244001, 2. श्री शीश राम सिंह रवि पुत्र मिक्कन सिंह, निवासी– 3 सी-225/28 आवास विकास योजना, बुद्धी विहार, मुरादाबाद–244001 3. श्रीमती काजल देवी पत्नी बृजमोहन सिंह रवि, निवासी– 3सी-225/28, आवास विकास योजना, बुद्धी विहार, मुरादाबाद–244001, 4. श्री विजय लक्ष्मी रवि पत्नी विकास चंद्र, निवासी– मकान नंबर 208/38, दक्षिण कृष्णापुरी, मुजफ्फरनगर शहर, मुजफ्फरनगर–251002 5. श्री विकास चंद्र पुत्र शेर सिंह, निवासी– मकान नंबर 208/38, दक्षिण कृष्णापुरी, मुजफ्फरनगर शहर, मुजफ्फरनगर–251002	प्लाट के सभी भाग और पार्सल खाता संख्या 481, 333, 75, गाटा संख्या 1004/2 ग्राम गैनाहोहेर लकरी फाजलपुर, आरटीओ वार्ड पारा, मुरादाबाद 244001 श्री बृजमोहन सिंह रवि, पुत्र शीश राम सिंह रवि के नाम पर। क्षेत्रफल 1821.09 वर्गमी। सीमायें :-उत्तर: भूरे की सम्पत्ति दक्षिण: सड़क पूर्व: मौहम्मद जावेद और बृज मोहन सिंह रवि का शेष भाग, पश्चिम: सरदार जी	06.06.2019 कब्जे की तिथि 16.10.2019	रु. 92,87,240.70 (रुपये बानवे लाख सतासी हजार दो सौ चालीस और पैसे सत्तर केवल) प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे
2	1. श्री स्वराज गोस्वामी पुत्र मुरारी लाल गोस्वामी निवासी – कमला विहार, पीतल नगरी, शिव मंदिर के सामने, मुरादाबाद 244001, 2. श्रीमती नीरा देवी पत्नी मुरारी लाल गोस्वामी, निवासी– कमला विहार, पीतल नगरी, शिव मंदिर के सामने, मुरादाबाद– 244001, 3. श्री रजत गोस्वामी पुत्र स्वराज गोस्वामी, निवासी– कमला विहार, पीतल नगरी शिव मंदिर के सामने, मुरादाबाद–244001	आवासीय संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित गाटा संख्या 268/17, देहरी मुस्तकाम मोहल्ला कमला विहार पीतल नगरी मुरादाबाद 244001 श्री स्वराज गोस्वामी, पुत्र मुरारी लाल के नाम पर क्षेत्रफल 37.31 वर्गमीटर। सीमायें:– उत्तर: रास्ता 10 फीट चौड़ा दक्षिण: हर गोपाल खन्ना का मकान पूर्व: कमला देवी का मकान, पश्चिम: संतोष देवी की संपत्ति	22.07.2019 कब्जे की तिथि 16.10.2019	रु. 3,60,676.04 (रुपये तीन लाख साठ हजार छः सौ छियत्तर और चार पैसे मात्र) प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे

उधारकर्ता / गारंटीकर्ता / तृतीय पक्ष के बंधक की गिरवी हुई संपत्ति विवरण

दिनांक– 18.10.2019 स्थान–मुरादाबाद प्राधिकृत अधिकारी

देसी बम फटने से घायल हुए किसान की अस्पताल में मौत

नागपुर, 18 अक्तूबर (भाषा)।

जानवरों को डराकर भगाने के लिए बनाए जा रहे देशी बम से दो दिन पहले हुए विस्फोट में घायल किसान ने शुक्रवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि नागपुर जिले के अगरगांव टाडा के मूल निवासी प्रेमसिंह गेंदसिंह पवार ने यहां के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व चिकित्सालय (जीएमसी एंड एच) में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

कोंधाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अगरगांव टाडा में बुधवार को हुए विस्फोट में किसान की पत्नी सहित दो अन्य लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि पवार जंगली जानवरों को डराने और उन्हें फसलों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए अपने घर में देशी बम बना रहे थे। बम पटाखों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से बने थे।

विस्फोट होने पर पवार, उनकी पत्नी निशा और पड़ोसी श्रवण जांगलूजी जाधव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां अन्य दो का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक के बेटे विजयसिंह पवार का बयान दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda POWER OF 333

शाखा : एम.एस.एम.ई., नोयडा, सैक्टर 51, नोयडा

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु (नियम 8 (1))

जैसा कि,

वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित अमलगमेशन की योजना के अनुसरण में, वित्तीय सेवा विभाग ने जी.एस.आर. नं0 2(ई) दिनांक 02.01.2019 को, विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 01.04.2019 से प्रभावी किया गया है। समामेलन की योजना के संदर्भ में, सभी ऋण दस्तावेजों के साथ-साथ विजया बैंक के पक्ष में सिक्योरिटी इन्टरेस्ट को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ स्थानांतरित और निहित किया जाता है।

प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निमाण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी है और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की उप धारा 13 (12) नियम 3 के साथ पठनीय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं)/जमानतदारों के नाम के सम्मुख उल्लिखित धनराशि (जिसका सम्पूर्ण विवरण नीचे उल्लिखित है) के सम्बंध में सम्बंधित उधारकर्ताओं/जमानतदारों से मांग की गयी थी कि वे मांग नोटिस प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि चुकता कर दें। क्योंकि सम्बंधित उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋण राशि चुकता नहीं की गयी है इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ताओं/जमानतदारों के साथ-साथ जनता को भी सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के साथ नियम 8 के पठनीय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे लिखी सम्पत्ति का कब्जा नीचे उल्लेख तिथि को ले लिया गया है। एतद्द्वारा विशेषतः उधारकर्ता(ओं)/जमानतदार और सामान्य तौर पर आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इस सम्पत्ति के सम्बंध में किसी भी लेन-देन हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) को देय धनराशि व उसपर देय ब्याज के अनुक्रम में बैंक का प्रभार नोट कर लें। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे उल्लिखित संपत्तियों पर कब्जा ले लिया है।

क्र0 सं0	ऋणीकर्ता व गारन्टर का नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	बकाया धनराशि
1.	ऋणकर्ता:–श्री शलेंद्र सिंह पुत्र श्री गजेन्द्र कुमार सिंह, प्लॉट नंबर 124, फ्लैट न जी –1, ज्ञान खंड 1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद गारन्टर : पायल सिंह पत्नी श्री शलेंद्र सिंह	आवासीय संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय फ्लैट का क्षेत्रफल 61.16 वर्ग मीटर खसरा नं. 1103/283–284 स्थित तीसरी मंजिल एच–40, पुराना नं. 1/1305–एच–40, गाँव चन्द्रावली उर्फ शाहदरा आबादी अब मानसरोवर पार्क के नाम से जाना जाता है, शाहदरा दिल्ली श्री शलेंद्र सिंह के नाम पर सीमायें:–उत्तर: 30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: दूसरों की संपत्ति, पूर्व: दूसरों की संपत्ति, पश्चिम: दूसरों की संपत्ति	01.04.2019 कब्जे की तिथि 15.10.2019	रु. 34,31,232.63 (चौंतिस लाख इक्तीस हजार दो सौ बत्तीस रुपये तरेसठ पैसे केवल) प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.04.2019 से

उधारकर्ता / गारंटीकर्ता / तृतीय पक्ष के बंधक की गिरवी हुई संपत्ति विवरण

दिनांक– 18.10.2019 स्थान–नोयडा प्राधिकृत अधिकारी

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

इलेक्ट्रानिक निविदा निम्नलिखित कार्यों हेतु दो भागों में अलग-अलग ई-टेण्डर इच्छुक, ख्याति प्राप्त, जी.एस.टी. रजिस्टर्ड, अनुभव युक्त एवम् पैनकार्ड धारक जो व्यापार कर विभाग में पंजीकृत हो तथा आयकर अदेय प्रमाण पत्र रखते हों, फर्मों से निम्नांकित विवरणानुसार धरोहर राशि व निविदा लागत सहित आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा से संबधित समस्त अभिलेख एवम् शर्तें ई-टेण्डर पोर्टल www.etender.up.nic.in पर दिनांक 18.10.2019 से 25.10.2019 को 10.00 बजे तक डाउनलोड किये जा सकेंगे। बिड दिनांक 25.10.2019 को 10.00 बजे तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा कर दी जानी चाहिए एवम् ऑनलाइन समस्त ई-टेण्डर दिनांक 25.10.2019 को 13.00 बजे कार्यालय की सक्षम ई-टेण्डर कमेटी विद्युत प्रेषण खण्ड फतेहपुर द्वारा खोली जायेगी। निविदा के प्रथम भाग में अनुभव प्रमाण पत्र एवं शर्तें संलग्न, धरोहर राशि निवदा के समक्ष अंकित धनराशि जो कि इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रार्न्सफर (आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी.) के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, 220 विद्युत प्रेषण खण्ड-फतेहपुर के चालू खाते में देय तथा द्वितीय भाग में कार्य/आपूर्ति विवरण एवं दरें होनी चाहिए। यदि निविदा खुलने का दिवस अवकाश का दिवस है तो निविदा अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय पर खोली जायेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। क्र.सं. 1 निविदा संख्या E-T-14/19-20 कार्य का संक्षिप्त विवरण 220 के.वी. उपकेन्द्र मलवां से 220 के.वी. उपकेन्द्र राधानगर, फतेहपुर तक 02 अदद 220 के.वी. सी.टी. के कैरिज तथा 220 के.वी. उपकेन्द्र फतेहपुर में स्थापना का कार्य। धरोहर राशि 1000/- निविदा अपलोड करने का दिनांक कब से 19.10.2019 कब तक 25.10.2019 निविदा खुलने का दिनांक 25.10.2019 "राष्ट्रहित में बिजली बचायें" हस्ता/- अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रेषण खण्ड-फतेहपुर। पत्रांक 1043/वि.प.ख.(फ.)/टेन्डर नोटिस दिनांक 18.10.19

कार्यालय वसूली अधिकारी-I

ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

विक्रय सूचना की घोषणा

सं. 157/2018

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम श्री संदीप गोस्वामी

बैंक एवं वित्तीय संस्थान बकाया ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52(2) के तहत विक्रय की घोषणा

सीडी सं. श्री संदीप गोस्वामी पुत्र श्री राम किशन गिरि, मैसर्स एस.एस. फैब्रिक्स, डी-56, दूसरी मंजिल, पुराना दोमंजिला बाजार, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली-110003 के एकमात्र प्रोपराइटर।

साथ ही : 132, तीसरी मंजिल, चित्र विहार, दिल्ली-110092

साथ ही : 86, तीसरी मंजिल, चित्र विहार, दिल्ली-110092

1. जबकि सीडी से ओए फाइल करने की तिथि अर्थात 28.10.2016 से रु. 68,000/- की लागत वसूली तक 13% वार्षिक की दर से भावी ब्याज सहित रु. 65,25,129/- (रुपये पैंसठ लाख पच्चीस हजार एक सौ उनतीस रूपये मात्र) की वसूली हेतु पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II, द्वारा आहरित दिनांक 14.05.2018 के 0.ए सं. 865/2016 में वसूली प्रमाणपत्र सं. 157/2018.

2. तथा जबकि अधोहस्ताक्षरी ने कथित वसूली प्रमाण-पत्र की सन्तुष्टि में निम्न अनुसूची में उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय का आदेश दिया है।

3. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विलम्बन के किसी आदेश की अनुपस्थिति में, कथित सम्पत्ति का विक्रय ई-नीलामी द्वारा किया जायेगा और संविदा 21.11.2019 को 11 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर के बीच यथा वांछित 12 बजे के बाद 5 मिनट के विस्तार सहित वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संविदा" द्वारा सम्पन्न होगी।

4. नीचे अनुसूची में उल्लिखित के अनुसार उपर्युक्त नामधारी सीडी(यों) की सम्पत्ति तथा प्रत्येक लॉट के सम्मुख अनुसूची में निर्दिष्ट अब तक सुनिश्चित की गयी कथित सम्पत्ति से सम्बद्ध दायित्व तथा दावों का विक्रय किया जायेगा।

5. सम्पत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार विक्रय हेतु रखा जायेगा। यदि सम्पत्ति के किसी भाग के विक्रय द्वारा वसूली जाने वाली राशि सन्तुष्ट होती है तो विक्रय को शेष बचे भाग के परिप्रेक्ष्य में तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि नीलामी की कीमत घटाने से पूर्व, कथित प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाये, ब्याज लागतें (विक्रय की लागत सहित) विक्रय संचालित करने वाले अधिकारी को प्रदान कर दी जाती हैं अथवा उसकी सन्तुष्टि तक प्रमाण दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज तथा लागतें अधोहस्ताक्षरी को अदा की जा चुकी हैं तो इस स्थिति में भी विक्रय रोक दिया जायेगा।

6. कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो विक्रय प्रक्रिया से सम्बद्ध है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप संविदा अर्जित करने या विक्रीत सम्पत्ति में कोई हित अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा।

7. आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची तथा उसके तहत निर्मित नियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप तथा पुनः निम्नलिखित शर्तों पर विक्रय सम्पन्न होगा।

7.1 पूरित अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम सूचना पर लिखे गये हैं किन्तु अधोहस्ताक्षरी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

7.2 वह आरक्षित मूल्य जिससे कम मूल्य पर सम्पत्ति का विक्रय नहीं होगा वह गिरवीकृत सम्पत्ति अर्थात फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. 132, क्षेत्रफल 144.92 वर्ग मीटर अर्थात 173.33 वर्ग गज जो भाटनगर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, कॉलोनी जिसे चित्र विहार, दिल्ली-110092 कहा जाता है, पर निर्मित छत के अधिकार सहित सम्पूर्ण निर्मित तीसरी मंजिल है। आरक्षित मूल्य : रु. 1,19,00,000/- (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख मात्र) पैरा (i) में उल्लिखित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में; जमा धरोहर राशि (ईएमडी) : रु. 11,90,000/- (रुपये ग्यारह लाख नब्बे हजार मात्र)) पैरा (i) में उल्लिखित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में।

7.3 इच्छुक संविदाकार जिन्होंने कार्यालय वसूली अधिकारी- I, डीआरटी-II, दिल्ली में अधिकतम 18.11.2019 को 5.00 बजे अपराह्न से पूर्व पैन कार्ड, पहचान प्रमाणपत्र, पते के प्रमाण आदि सहित आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी संविदाएँ जमा कर दी हैं वे 21.11.2019 को 11.00 बजे प्रातः से 12.00 बजे दोपहर तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के अन्तिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए विस्तारित हो जायेगा।

7.4 संविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ायेंगे।

7.5 असफल संविदाकार अपनी ज.ध.रा. ई-नीलामी विक्रय कार्यवाही समाप्त होने के तुरन्त बाद कार्यालय वसूली अधिकारी- I, डीआरटी-II, दिल्ली अर्थात एसबीआइ से ले सकते हैं।

7.6 सफल/उच्चतम संविदाकार को ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात ज.ध.रा. को समायोजित करने के बाद 24 घण्टे के भीतर वसूली अधिकारी- I, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 157/2018 के पक्ष में संविदा/विक्रय राशि का 25% का डिमाण्ड ड्राफ्ट पे आर्डर तैयार कराना होगा और इसे वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के पास ई-नीलामी बन्द होने के 3 दिनों के भीतर जमा करना होगा जिसमें असफल रहने पर ज.ध.रा. जब्त कर ली जायेगी।

7.7 सफल/उच्चतम संविदाकार को विक्रय प्रक्रिया की शेष 75% राशि वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के समक्ष सम्पत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन या इससे पूर्व, ऐसे दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अन्य अवकाश है तो 15वें दिन के पश्चात पहले कार्यकारी दिवस पर रु. 1,000 तक 2% की दर से अथवा रु. 1,000/- से अधिक होने पर 1% की दर से पाउण्डेज शुल्क सहित रजिस्ट्रर, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 157/2018 के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट, पे आर्डर के माध्यम से जमा करनी होगी। (डाक द्वारा 75% शेष राशि जमा करने की स्थिति में यह उपर्युक्त के अनुसार वसूली अधिकारी के पास पहुंचनी चाहिए)।

7.8 निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर विक्रय की नवीन घोषणा निर्गत करने के पश्चात सम्पत्ति का विक्रय पुनः किया जायेगा। यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझता है तो विक्रय के व्ययों को चुकता करने के पश्चात जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी और क्रेता सम्पत्ति या अनुगामी विक्रय की राशि के किसी अंश पर सभी प्रकार के दावे से वंचित कर दिया जायेगा।

8. सम्पत्ति का विक्रय "जहाँ है जैसे है" के आधार पर किया जायेगा।

9. अधोहस्ताक्षरी, यदि अतार्किक समझता है तो बिना कोई कारण बताये किसी भी समय किसी या सभी संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विलम्बित करने का अधिकारी होगा।

सम्पत्ति की अनुसूची

विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग पर आकलित राजस्व	सम्पत्ति पर किसी ऋणभार का विवरण	दावे, यदि कोई हों, सम्पत्ति पर अग्रसारित किये गये हैं और इसकी प्रकृति तथा मूल्य सम्बन्धी अन्य विवरण
गिरवीकृत सम्पत्ति अर्थात फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. 132, क्षेत्रफल 144.92 वर्ग मीटर अर्थात 173.33 वर्ग गज जो भाटनगर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, कॉलोनी जिसे चित्र विहार, दिल्ली- 110092 कहा जाता है, पर निर्मित छत के अधिकार सहित सम्पूर्ण निर्मित तीसरी मंजिल	अज्ञात	अज्ञात	अज्ञात

09.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर के साथ (शिव कुमार) वसूली अधिकारी- I, डीआरटी-II, दिल्ली

आर.सी. सं. 157/2018 दिनांक : 09.09.2019

भारतीय स्टेट बैंक बनाम संदीप गोस्वामी

मेरे आदेश दिनांक 09.09.2019 के अनुसार अधोलिखित सम्पत्ति का विक्रय कथित वसूली प्रमाणपत्र में 21.11.2019 को सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा किया जायेगा :

नीलामी विक्रय वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" द्वारा सम्पन्न होगा। नीलामी की तिथि एवं समय : 21.11.2019 को 11.00 बजे प्रातः से 12.00 बजे के बीच (आवश्यकतानुसार 12 बजे दोपहर के बाद 5 मिनट की विस्तार अवधि सहित)

सम्पत्ति का विवरण

(i) गिरवीकृत सम्पत्ति अर्थात फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. 132, क्षेत्रफल 144.92 वर्ग मीटर अर्थात 173.33 वर्ग गज जो भाटनगर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, कॉलोनी जिसे चित्र विहार, दिल्ली-110092 कहा जाता है, पर निर्मित छत के अधिकार सहित सम्पूर्ण निर्मित तीसरी मंजिल।

(ii) आरक्षित मूल्य : रु. 1,19,00,000/- (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख मात्र) पैरा ((i) में उल्लिखित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में।

(iii) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) : रु. 11,90,000/- (रुपये ग्यारह लाख नब्बे हजार मात्र) पैरा () में उल्लिखित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में।

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी विक्रय वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" द्वारा सम्पन्न होगा।

2. ज.ध.रा. या तो डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से "वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 157/2018" के पक्ष में या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी-1, 23, नजफगढ़ रोड, दिल्ली-110015, खाता सं. 30040821493, आईएफएससी कोड : SBIN0001181 के खाते में जमा करनी होगी। कथित डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर अथवा ज.ध.रा. के लिए एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान का मूल प्रमाण साथ ही पहचान प्रमाण-पत्र (वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्वप्रमाणित प्रति जिसमें भावी सम्पर्क के लिए पता लिखा हो, और पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति अधिकतम 18.11.2019 को 5.00 बजे अपराह्न से पूर्व वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, के पास पहुँच जानी चाहिए। इसके पश्चात ज.ध.रा. अथवा ज.ध.रा. के मूल प्रमाण पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. ज.ध.रा. अथवा प्रेषक के विवरण अर्थात पते, ई-मेल आई डी एवं मोबाइल नं. आदि सहित एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ज.ध.रा. के भुगतान के मूल प्रमाण वाले लिफाफे पर "आरसी सं. 157/2018" लिखा होना चाहिए।

4. सम्पत्ति का विक्रय "जहाँ है जैसे है" के आधार पर किया जा रहा है।

5. संविदाकारों को अपनी संविदा जमा करने तथा ई-नीलामी विक्रय कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://www.bankeauctions.com को ध्यानपूर्वक देखने की सलाह दी जाती है तथा/अथवा सम्पर्क करें : श्री अशोक कुमार, मुख्य प्रबन्धक, मोबाइल : 8003893608, श्री एन.एस. सिसोदिया, प्रबन्धक, मोबाइल : 9821130230.

6. सम्भावित संविदाकारों को पहले से ही पोर्टल के साथ स्वयं को पंजीकृत करना तथा सी1 इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-104, सेक्टर-2, नोएडा-201301, उ.प्र. दूरभाष : 0120-4746800, मोबाइल : 09810029923, सम्पर्क व्यक्ति : रोहित शर्मा, मोबाइल नं. : 09582585066, ई-मेल आईडी : yurti@bankeauctions.com से लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अपेक्षित है जो कि उपर्युक्त ई-नीलामी में संविदा के लिए अनिवार्य है।

7. इच्छुक संविदाकार सी1 इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-104, सेक्टर-2, नोएडा-201301, उ.प्र. दूरभाष : 0120-4746800, मोबाइल : 09810029923, सम्पर्क व्यक्ति : श्री विनोद चौहान, मोबाइल नं. : 09813887931, ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

9. केवल उन संविदाकारों को जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड है और डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेऑर्डर अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से सुनिश्चित भुगतान है, वे ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे।

9. इच्छुक संविदाकार जिन्होंने 18.11.2019 तक आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी संविदाएँ जमा कर दी हैं वे 21.11.2019 को 11.00 बजे प्रातः से 12.00 बजे दोपहर के बीच आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के अन्तिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए विस्तारित हो जायेगा।

10. संविदाकार सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में अपने प्रस्ताव रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ायेंगे।

11. असफल संविदाकार अपनी ज.ध.रा. ई-नीलामी विक्रय कार्यवाही समाप्त होने के तुरन्त बाद कार्यालय वसूली अधिकारी- I, डीआरटी-II, दिल्ली/सीएच अर्थात एसबीआई से ले सकते हैं।

12. सफल/उच्चतम संविदाकार को ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात ज.ध.रा. को समायोजित करने के बाद 24 घण्टे के भीतर वसूली अधिकारी- I, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 157/2018 के पक्ष में संविदा/विक्रय राशि का 25% का डिमाण्ड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर तैयार कराना होगा और इसे वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के पास ई-नीलामी बन्द होने के 3 दिनों के भीतर जमा करना होगा जिसमें असफल रहने पर ज.ध.रा. जब्त कर ली जायेगी।

13. सफल/उच्चतम संविदाकार को विक्रय प्रक्रिया की शेष 75% राशि वसूली अधिकारी- I, डीआरटी-II, दिल्ली के समक्ष सम्पत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन या इससे पूर्व, ऐसे दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अन्य अवकाश है तो 15वें दिन के पश्चात पहले कार्यकारी दिवस पर रु. 1,000 तक 2% की दर से अथवा रु. 1,000/- से अधिक होने पर 1% की दर से पाउण्डेज शुल्क सहित रजिस्ट्रर, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में वसूली अधिकारी- I, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 157/2018 के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करनी होगी। (डाक द्वारा 75% शेष राशि जमा करने की स्थिति में यह उपर्युक्त के अनुसार वसूली अधिकारी के पास पहुँचनी चाहिए)।

निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर विक्रय की नवीन घोषणा निर्गत करने के पश्चात सम्पत्ति का विक्रय पुनः किया जायेगा। यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझता है तो विक्रय के व्ययों को चुकता करने के पश्चात जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी और क्रेता सम्पत्ति या अनुगामी विक्रय की राशि के किसी अंश पर सभी प्रकार के दावे से वंचित कर दिया जायेगा।

14. सीएचएफआई/सीएच बैंक को सीडी पर विक्रय की घोषणा दस्ती, स्पीड पोस्ट, कोरियर के माध्यम से तथा सम्पत्ति के दिखाई देने वाले भाग पर चिपकाकर तथा आसपास ड्रम पीटकर मुनादी करके और अधिकरण के सूचना पट पर इसकी एक प्रति चिपकाकर करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

15. विक्रय की घोषणा अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में पर्याप्त रूप से प्रसारित होने वाले समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित की जाये।

16. सीएचएफआई/सीएच बैंक को समाचारपत्रों में विज्ञापन के प्रकाश की पुष्टि करने तथा प्रकाशन के मूल प्रमाण सुनवाई की अगली तिथि पर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

17. अधोहस्ताक्षरी, यदि स्वीकार्य नहीं समझता है तो बिना कोई कारण बताये किसी भी समय किसी या सभी संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विलम्बित करने का अधिकारी होगा और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा।

सम्पत्ति की अनुसूची

विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग पर आकलित राजस्व	सम्पत्ति पर किसी ऋणभार का विवरण	दावे, यदि कोई हों, सम्पत्ति पर अग्रसारित किये गये हैं और इसकी प्रकृति तथा मूल्य सम्बन्धी अन्य विवरण
गिरवीकृत सम्पत्ति अर्थात फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. 132, क्षेत्रफल 144.92 वर्ग मीटर अर्थात 173.33 वर्ग गज जो भाटनगर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, कॉलोनी जिसे चित्र विहार, दिल्ली-110092 कहा जाता है, पर निर्मित छत के अधिकार सहित सम्पूर्ण निर्मित तीसरी मंजिल	अज्ञात	अज्ञात	अज्ञात

मामले को सेवा के प्रैक्ट्स सहित ई-नीलामी विक्रय सूचना की सेवा (ट्रैक परिणाम की हैसियत से स्पीड पोस्ट तथा कोरियर सहित) तथा दस्ती, समाचारपत्रों में प्रकाशन के मूल प्रमाण और ई-नीलामी के उद्देश्य से वेबसाइट सहित व्यापक प्रकाशन का शपथपत्र 04.10.2019 को सूचीबद्ध किया जाये।

(शिव कुमार)
वसूली अधिकारी- I, डीआरटी-II, दिल्ली

मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए निगरानी बढ़ी

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (जनसत्ता)

खाद्य नियामक एफएसएसएआइ ने दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र में त्योहारी मौसम के दौरान मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए खोए और घी जैसे दुग्ध उत्पादों की निगरानी बढ़ा दी है।

कुएं में गिरी स्कूली बच्चों से भरी वैन, तीन की मौत

शाजापुर (मध्यप्रदेश), 18 अक्तूबर (भाषा)।

जैसे ही वैन चालक ने वाहन को रिवर्स किया, वैन कुएं में गिरने लगी। वैन के कुएं में गिरने से पहले ही चालक ने वाहन से छलांग लगा दी और वहां से फरार हो गया

मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में शुक्रवार को निजी स्कूल के सामने बने करीब 25 फुट गहरे कुएं में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक वैन गिर गई। हादसे में तीन बच्चों की मौत हो गई जबकि 18 अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया है।

शाजापुर जिले के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट उमराव सिंह मरावी ने बताया कि निजी स्कूल 'ए एकेडमी' के छात्रों से खचाखच भरी वैन आज स्कूल के सामने ही बने पानी से भरे कुएं में गिर गई। हादसे में तीन बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दिव्या, हार्दिक और आयुष के रूप में की गई है। आयुष पहली कक्षा का छात्र था जबकि बाकी दोनों एलकेजी में पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि 18 बच्चों को वहां मौजूद लोगों ने बचाया है जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया।

पुलिस ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे छुट्टी होने के बाद वैन (मारूति ओमनी) में बैठकर घर जाने वाले थे। जैसे ही वैन चालक ने वाहन को रिवर्स किया, वैन कुएं में गिरने लगी। वैन के कुएं में गिरने से पहले ही चालक ने वाहन से छलांग लगा दी और वहां से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि चालक को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और विस्तृत जांच जारी है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुएं में सुरक्षा के लिहाज से चारों तरफ दीवार नहीं बनी थी।

जयपुर, जोधपुर और कोटा में अब दो–दो मेयर

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 18 अक्तूबर।

राजस्थान में शहरी निकायों के चुनाव से पहले ही सरकार ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर में दो–दो नगर निगम बनाने का फैसला किया है। इसके कारण अब इन शहरों के नगर निगम के नवंबर में होने वाले चुनाव को छह महीने आगे खिसका दिया गया है। निगम के वार्डों का भी फिर से सीमांकन किया जाएगा।

नगरीय विकास मंत्री शांती धारीवाल ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर की आबादी 10 लाख से ज्यादा होने के कारण दो नगर निगम बनाए जाएंगे।

निजी बसों की हड़ताल जारी

जम्मू, 18 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू–पठानकोट राजमार्ग पर शुक्रवार को निजी बसों की सेवाएं पांचवें दिन भी स्थगित रहीं। अधिकारियों ने बताया कि सांबा जिले में नया टोल प्लाजा स्थापित करने के विरोध में बस संचालक हड़ताल पर हैं।

हालांकि, जम्मू क्षेत्र के अन्य हिस्सों को थोड़ी राहत मिली है क्योंकि एजेकेपीटीए ने सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल को खत्म करने का एलान किया है।

Form A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF AL-NAFEES PROTEINS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of corporate debtor	AL-NAFEES PROTEINS PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	08.01.1998
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies- Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U15116DL1998PTC091597
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	6, Central Lane, Bengali Market, New Delhi- 110001
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	16.10.2019 (Order received on 18.10.2019)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	12.04.2020
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Ram Phal Bhardwaj Regd No: IBBI/ IPA-001/IP-P01309/2018-19/12053
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	310/25, Onkar Nagar- B, Tri-Nagar, Delhi- 110035 bhardwajca@hotmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	310/25, Onkar Nagar- B, Tri-Nagar, Delhi- 110035 rpbhardwajip@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	30.10.2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	N/A
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	N/A
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives	Weblink: https://ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address:N.A.

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **Al- Nafees Proteins Private Limited** on 16-10-2019.

The creditors of **Al- Nafees Proteins Private Limited**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 30-10-2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [specify class] in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of Interim Resolution Professional : Sd/-
Date and Place : 19.10.2019 and New Delhi — RAM PHAL BHARDWAJ

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

मैसर्स यू वी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

सुसंगत विशिष्टियाँ		
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स यू वी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	12 फरवरी, 2014
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/ पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	यू51909डीएल2014पीटीसी264761
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	**पंजीकृत कार्यालय :** मैसर्स यू वी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जेए–809, 8वीं मंजिल, डीएलएफ टॉवर–ए, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली–110025
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	19 सितम्बर, 2019 (अधोहस्ताक्षरी को माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ से 17 अक्टूबर, 2019 को आदेश प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	14 अप्रैल, 2020 (आदेश प्राप्ति अर्थात ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि से 180वाँ दिन)
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**नाम : श्री राजेश कुमार गुप्ता** IBBI/IPA-003/IP-N00198/2018-2019/12308
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	एफ–43, दिलशाद कॉलोनी पूर्वी, दिल्ली–110095. ई–मेल : rgadv21@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	जी–22, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110014 ई–मेल : uvepl.cirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	31 अक्टूबर, 2019 (आदेश प्राप्ति की तिथि अर्थात 17 अक्टूबर, 2019 से 14वाँ दिन)
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	निल
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(क) वेब लिंक : https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) अप्रयोज्य

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ ने आदेश दिनांक 19.09.2019 के माध्यम से मैसर्स यू वी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है किन्तु अधोहस्ताक्षरी को मैसर्स यू वी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अन्तरिम समाधानकर्ता के रूप में नियुक्त करने का आदेश 17.10.2019 को प्राप्त हुआ।

1. मैसर्स यू वी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 31 अक्टूबर, 2019 (आदेश प्राप्त करने की तिथि अर्थात 17 अक्टूबर, 2019 से) को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
2. वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

श्री राजेश कुमार गुप्ता
अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
मैसर्स ईशल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
IBBI/IPA-003/IP-N00198/2018-2019/12308

दिनांक : 17.10.2019
स्थान : दिल्ली

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

मैसर्स ईशल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

सुसंगत विशिष्टियाँ		
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स ईशल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	24 फरवरी, 2016
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	यू51909डीएल2016पीटीसी291561
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : मैसर्स ईशल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जेए–809, 8वीं मंजिल, डीएलएफ टॉवर–ए, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली–110025
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	19 सितम्बर, 2019 (अधोहस्ताक्षरी को माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ से 17 अक्टूबर, 2019 को आदेश प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	14 अप्रैल, 2020 (आदेश प्राप्ति अर्थात ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि से 180वाँ दिन)
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : श्री राजेश कुमार गुप्ता IBBI/IPA-003/IP-N00198/2018-2019/12308
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	एफ–43, दिलशाद कॉलोनी पूर्वी, दिल्ली–110095. ई–मेल : rgadv21@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	जी–22, ओलर ग्राउण्ड फ्लोर, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110014 ई–मेलः efpl.cirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	31 अक्टूबर, 2019 (आदेश प्राप्ति की तिथि अर्थात 17 अक्टूबर, 2019 से 14वाँ दिन)
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	निल
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(क) वेब लिंक : https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) अप्रयोज्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने आदेश दिनांक 19.09.2019 के माध्यम से मैसर्स ईशल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है किन्तु अधोहस्ताक्षरी को मैसर्स ईशल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अन्तरिम समाधानकर्ता के रूप में नियुक्त करने का आदेश 17.10.2019 को प्राप्त हुआ।

1. मैसर्स ईशल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 31 अक्टूबर, 2019 (आदेश प्राप्त करने की तिथि अर्थात 17 अक्टूबर, 2019 से) को अथवा इससे पूर्व **अन्तरिम** समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
2. वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

श्री राजेश कुमार गुप्ता
अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
मैसर्स ईशल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
IBBI/IPA-003/IP-N00198/2018-2019/12308

दिनांक : 17.10.2019
स्थान : नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक — punjab national bank

भरोसे का प्रतीक — ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालयः वीएससी अलकनंदा, तुगलकाबाद एक्स्टेंशन, नई दिल्ली–110019

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 23.7.2019 जारी कर ऋणधारक श्री पवन कपूर तथा श्रीमती रीना कपूर को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 30.6.2019 को रु. 35,90,396.00 (रुपये पैंतीस लाख नब्बे हजार तीन सौ छियानवे मात्र) के साथ 1.7.2019 से आगे के ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक उस पर लागतों एवं खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 30.6.2019 को रु. 35,90,396.00 (रुपये पैंतीस लाख नब्बे हजार तीन सौ छियानवे मात्र) तथा उस पर आगे के ब्याज के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती हैः

क्रम सं.	शाखा का नाम	खाता का नाम	ऋणधारक (सम्पत्ति के स्वामी) का नाम	गिरवी सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	संलग्न कब्जा सूचना की तिथि	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि
1.	बीएससी अलकनंदा तुगलकाबाद एक्स्टेंशन, नई दिल्ली–110019	श्री पवन कपूर एवं श्रीमती रीना कपूर	श्री पवन कपूर	एच. नं. 801, 8वाँ तल, माप 238.38 वर्ग मी., श्री राम अपार्टमेन्ट, द वार्क सीजीएचएस. लि., जीएच–3, सेक्टर–48, फरीदाबाद–121012 (हरियाणा) में श्री पवन कपूर के नाम में इक्विटैबली मार्टगैज्ड आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।	23.7.2019	15.10.2019	रु. 3590396/–

तिथिः 17.10.2019, स्थानः नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

इण्डियन ओवरसीज बैंक

(ग्राम व पोस्ट–बिन्झोल, पानीपत, हरियाणा–132103)
दूरभाषः 0180–2688007/2688006 ई–मेल आईडीः iob3042@ibo.in

(परिशिष्ट IV) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इण्डियन ओवरसीज बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों/गिरवीकर्ताओं/जमानतियों **मैसर्स रितिका ट्रांसपोर्ट कं. (साझेदार–श्री प्रताप सिंह मलिक एवं श्रीमती सुमन मलिक), दुकान नं. 125, सेक्टर–25, ट्रांसपोर्ट नगर, पानीपत–132103 (इसके पश्चात 'कर्जदार' कहा जायेगा), श्री प्रताप मलिक पुत्र श्री ईश्वर सिंह निवासी ग्राम रिसालू, जिला पानीपत, श्रीमती सुमन मलिक पत्नी श्री प्रताप मलिक निवासी ग्राम रिसालू, जिला पानीपत, श्री सतीश कुमार पुत्र भल्ले राम निवासी ग्राम व पोस्ट बिंझोल जिला पानीपत, श्रीमती राजबाला पत्नी श्री राजेश मलिक निवासी ग्राम रिसालू, जिला पानीपत, श्रीमती नीना मलिक पत्नी श्री संदीप मलिक ग्राम रिसालू, जिला पानीपत** को वसूली की तिथि तक सूचना में उल्लिखित राशि **रु. 1,82,10,056.52/– (रुपये एक करोड़ बयासी लाख दस हजार छप्पन तथा बावन पैसे मात्र)** तथा अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं बकायों, प्रभारों आदि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए 10.05.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

(1) कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में 16 **अक्टूबर**, 2019 को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 30.09.2019 तक राशि रु. 1,88,52,114.52/– (रुपये एक करोड़ अठासी लाख बावन हजार एक सौ चौदह तथा बावन पैसे मात्र) तथा माँग सूचना में उल्लिखित उपर्युक्त तिथि से माँग सूचना के निर्गमन के पश्चात पुनर्भुगतान की राशि, यदि कोई हो, घटाकर उसके भुगतान की तिथि तक के सहमत अनुबन्ध दरों पर ब्याज तथा बकायों, प्रभारों आदि के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रभार का विषय होगा। कब्जा करने की तिथि तक 30.09.2019 तक बकाया देय रु. 1,88,52,114.52/– (रुपये एक करोड़ अठासी लाख बावन हजार एक सौ चौदह तथा बावन पैसे मात्र) है जो भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज तथा बकायों, प्रभारों आदि सहित देय है।

(2) प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह एवं श्री सतीश कुमार पुत्र श्री भल्ले राम के नाम पर दुकान सं. 125, सेक्टर–25, ट्रांसपोर्ट नगर, हुडा पानीपत, हरियाणा, पिन 132103 पर स्थित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा निम्नलिखित हैः

पूर्व की ओर : सतबीर की दुकान सं. 124, पश्चिम की ओर : खेड़ा साहब की दुकान सं. 126, उत्तर की ओर : सड़क, दक्षिण की ओर : गर्ग की दुकान।

दिनांक : 16.10.2019, स्थान : पानीपत — अधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank — ईस्ट पटेल नगर,

\# 7, सेठी भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
ईमेलः br.9197@syndicatebank.co.in
फोनः 011–25860570, फैक्सः 011–25752545

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 13 के अनुसार आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिए इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेन देन नहीं कर सकते हैं। बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया हैः–

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम	गिरवी परिसम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि
1.	ऋणधारकः श्री फरीद अहमद पुत्र श्री अब्दुल वाहिद, 3244, गई फरहदुल्लाखान, कूचा पंडित लाल कुआं, दिल्ली–110006 गारन्टरः श्री कमरुजमा, पुत्र मोहम्मद हुसैन, बी–4/66, यमुना विहार, दिल्ली–110053	मकान सं. टी–585, ब्लॉक टी, गली नं. 16, ग्राम घोण्डा चोहान खादर, गौतमपुरी, शाहदरा–दिल्ली	रु. 6,59,954.71 30.9.2019 को + आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि
2.	ऋणधारकः श्री राज कुमार, पुत्र श्री सत प्रकाश, निवासीः 1/8, रानी गार्डन एक्स्टें., शास्त्री नगर, दिल्ली–110031 गारन्टरः राज ट्रेडर्स, जेड–5, सर्वोदय मोहल्ला बगीची माधो दास, रेड फोर्ट, दिल्ली–110006	फ्लैट नं. 22 ए, 2रा तल, दिलशाद एक्स्टें. II, ग्राम ब्रह्मपुरा परगणा, लोनी, गाजियाबाद	रु. 24,12,755.42 30.9.2019 को + आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि
3.	ऋणधारकः श्री राम कुमार मीणा, पुत्र श्री बतस्याराम मीणा, मकान सं. 225, गली नं. 3ए, मोडल बंद बदरपुर, नई दिल्ली–110044 गारन्टरः श्री प्रहलाद सिंह, पुत्र श्री राम बदत, ए–95, फ्रैंड्स कॉलोनी, मुण्डका, दिल्ली	खसरा नं. 2748, रेलवे लाइन पार, न्यू पटेल पार्क, बहादुरगढ़, हरियाणा में 63 वर्ग यार्ड्स भूमि एवं भवन।	रु. 24,88,979.76 30.9.2019 को + आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि
4.	ऋणधारकः श्री संतोष कुमार सक्सेना, पुत्र श्री एसडीएस सक्सेना, सी–25, रेलवे कॉलोनी, गुलाबी बाग, लाजपत नगर I, नई दिल्ली–110024 गारन्टरः श्री राधा रमण, पुत्र तीरथ राम, 124, मोहदपुर, गव. कॉलोनी, आर.के. पुरम के निकट, नई दिल्ली–66	खसरा नं. 3139, खेवत नं. 159, खाता नं. 260, 261, रेलवे लाइन पार, बरहीवाला गोण्डा एण्डरन नगर पालिका, बहादुरगढ़, झज्जर जिला हरियाणा	रु. 426837.68 30.9.2019 को + आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि
5.	ऋणधारकः श्री सुलेह सिंह, पुत्र श्री चरण सिंह, डब्ल्यू–85, वेलकम, सीलमपुर–III, दिल्ली–110053 गारन्टरः श्री जगदीश चन्दर, पुत्र श्री बुध राम, डब्ल्यू–90, बेलकम सीलमपुर, दिल्ली–110053	खसरा नं. 2764–2768, 2767, रेलवे लाइन पार, न्यू पटेल पार्क, बहादुरगढ़	रु. 16,87,263.35 30.9.2019 को + आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि

तिथिः 17.10.2019 — (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः नई दिल्ली — सिंडिकेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

दबावग्रस्त सम्पत्ति वसूली शाखा II, 18/4, चौथा तल, एसबीआई हाउस, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 ई–मेल : sbi.51521@sbi.co.in

शुद्धिपत्र

एतद्द्वारा सर्व साधारण को अधिसूचित किया जाता है कि कब्जा सूचना के संबंध में हिन्दी समाचारपत्र "जनसत्ता" के 15.10.2019 के अंक में प्रकाशित कब्जा सूचना में दिनांक 12.06.2019 तथा स्थान : गाजियाबाद प्रकाशित हुआ है, जो कि गलत है। कृपया उसके स्थान पर दिनांक : 11.10.2019 तथा स्थान : गाजियाबाद पढ़े। बाकि नियम व शर्ते यथावत रहेंगी।

तिथिः 18.10.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः गाजियाबाद — स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001
बिक्री उद्घोषणा

आर.सी. नं. 122/2019 — बिक्री उद्घोषणा सूचना — तिथिः 25.9.2019

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

यूबीआई बनाम वीना सिंघल एवं अन्य

सीडी नं. 1: वीना सिंघल, एच. नं. ई 20/48, सेक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली–110085
साथ हीः प्लॉट नं. बी–1676, एफ.एफ., खसरा नं. 497/168/2, ग्राम सधोरा कलॉन, शास्त्री नगर, नई दिल्ली–52
सीडी नं. 2: रनित सिंघल, एच. नं. ई 20/48, सेक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली–110085
साथ हीः प्लॉट नं. बी–1676, एफ.एफ., खसरा नं. 497/168/2, ग्राम सधोरा कलॉन, शास्त्री नगर, नई दिल्ली–52

जैसा कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी ओ.ए. नं. 99/2017/ डीआरटी–III, दिल्ली तिथि 4.2.2017 में रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार प्रमाणपत्र के अनुसार आप के द्वारा देय रु. 13,86,187.36 (रुपए तेरह लाख छियासी हजार एक सौ सत्तासी एवं पैसे छत्तीस मात्र) तथा रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज एवं लागतों का भुगतान करने में आप विफल रहे हैं।

तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

तथा जैसा कि उसकी वसूली तक संयुक्त तथा पृथक रूप से ओ.ए. दाखिल करने की तिथि 4.2.2017 से 12% साधारण ब्याज तथा अनुषांगिक खर्चे के साथ रु. 13,86,187.36 (रुपए तेरह लाख छियासी हजार एक सौ सत्तासी एवं पैसे छत्तीस मात्र) की राशि आप/सीडीज पर बकाया हो गया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 21.11.2019 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई–नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली ''ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली'' के माध्यम से मै. सी 1 इंडिया प्रा.लि., गल्फ पेट्रोलियम बिल्डिंग नं. 301, उद्योग विहार, फेज–2, गुड़गांव, प्रथम तल हरियाणा– 122015, हेल्प लाइन नं.: 91–124–4302020/ 21/ 22/ 23/ 24, मो. 09813887931, ई–मेल आईडीः support@bankeauctions.com की वेबसाईट के माध्यम से की जायेगी।

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए; ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. आरक्षित मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	सम्पत्ति अर्थात् एच. नं. 1676, 1ला तल (बिना छत के अधिकार के), शास्त्री नगर, दिल्ली	रु. 15,00,000/– ईएमडीः रु. 1,50,000/–

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 50,000/– (रु. पचास हजार मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।
4. ईएमडी का भुगतान 19.11.2019 तक रिकवरी अधिकारी–II, ऋण वसूली अधिकरण–III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–III दिल्ली के पास मुहरबंद लिफाफे में किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई–नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई–मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई–मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी II, डीआरटी–III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
6. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि या उससे पूर्व डीआरटी–III के रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तद्नुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जाएगी।
7. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
8. सफल उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 3 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/– तक 2% की दर से तथा रु. 1000/– की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चो को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
10. संपत्ति की बिक्री **'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है'** आधार पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

लाट नं.	सह. स्वामियों जहां जहां संपत्ति डिफॉल्टर तथा सह–स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का है के नाम के साथ बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात कोई विवरण
1	2	3	4	5
1.	सम्पत्ति अर्थात् एच. नं. 1676, 1ला तल (बिना छत के अधिकार के) शास्त्री नगर, दिल्ली	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 25 सितम्बर, 2019 को दी गई।

(विकास जैटली)
रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–III, दिल्ली

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी–I, ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली–110001
बिक्री उद्घोषणा

आर.सी. नं. 19/2018 — तिथिः 16.9.2019

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

यू बी आई बनाम श्री राज कुमार अरोड़ा एवं अन्य

सीडी नं. 1. श्री राज कुमार अरोड़ा
सीडी नं. 2. श्रीमती प्रतिभा अरोड़ा दोनों [निवासीः जे–44, यूजीएल–1, ब्लॉक दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली–110095; साथ हीं: ए–1/75, डीएलएफ फेज–II, भोपुरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)
सीडी नं. 3. श्री उमेश सचदेवा, पुत्र श्री चरणजीत सचदेवा, निवासीः जे–44/एफ–1/3, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली–110095
सीडी नं. 4. श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री चरणजीत, निवासीः बी–20, दूसरा तल, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली–110095
साथ हीः जीएच 5 एवं 7/682, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063
साथ हीः जीएच 13/141, गेट नं. 3, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063
साथ हीः एफएफ, 163, पॉकेट सी–2, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110085

जैसा कि आप प्रमाणपत्र के अनुसार ओ.ए. दाखिल करने की तिथि अर्थात् 28.2.2017 से 12% प्रति वर्ष साधारण दर पर देय ब्याज, लागत तथा अनुषांगिक खर्चे के साथ पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली द्वारा ओए नं. 114/2017/डीआरटी–III में तैयार की गई रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 21,66,900/– (रुपये इक्कीस लाख छियासठ हजार नौ सौ मात्र) की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं जो आप पर बकाया हो गया है।

तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 22.11.2019 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई–नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली ''ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली'' के माध्यम से मै. ई–प्राक्योमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रॉक्योर), ए–201/208, वाल स्ट्रीट–II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद–380006, गुजरात (भारत) टेली.: +91 07961200594/598/568/538 द्वारा वेबसाईट http:// drt.auctiontiger.net के माध्यम से की जायेगी। किसी प्रकार की पूछताछ के लिये सम्पर्क करेंः श्री नितीश झा, मोबाईल नं. 7982880393, ई–मेल आईडीः delhi@auctiontiger.net अधिक विवरणों के लिये सम्पर्क करेंः श्री अशोक कुमार मुख्य प्रबंधक, मोबाईल नं. 8569816777, 011–27547739, 22017739

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. सम्पत्तियों, आरक्षित मूल्य तथा ईएमडी का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	ग्राम झिलमिल ताहिरपुर, ईलाका शाहदरा, दिल्ली–110095 के क्षेत्र में प्लॉट नं. बी–8, खसरा नं. 1076/5/2/264, दिलशाद एक्स्टेंशन नं. 1, दिलशाद कॉलोनी के नाम से विदित कॉलोनी में निर्मित छत के अधिकार के साथ दूसरे तल पर फ्लैट नं. बी–8/एसएल–6	रु. 19,00,000/– (रुपये उन्नीस लाख मात्र) ईएमडीः रु. 1,90,000/– (रुपये एक लाख नब्बे हजार मात्र)

2. सम्पत्ति की बिक्री प्रत्येक के समक्ष आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जायेगी।
3. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 50,000/– (रुपए पचास हजार मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
4. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।
5. ईएमडी का भुगतान 20.11.2019 तक **रिकवरी अधिकारी–I, ऋण वसूली अधिकरण–III दिल्ली** के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली के पास मुहरबंद लिफाफे में किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई–नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
6. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई–मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई–मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, **रिकवरी अधिकारी I, डीआरटी–III, नई दिल्ली** के पास जमा की जायेगी।
7. सफल बोलीदाता को अगले **बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक** ऊपर पैरा 5 में वर्णित विवरणों के अनुसार **उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद** अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के द्वारा भुगतान करना होगा।
8. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 3 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/– तक 2% की दर से तथा रु. 1000/– की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से **रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली** के पक्ष में डीडी के माध्यम **से रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली** के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
9. संभावित बोलीदाता 15.11.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप. तक सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
10. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
11. संपत्ति की बिक्री **'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है'** आधार पर की जा रही है।
12. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।
13. इस समय अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में सम्पत्ति पर राजस्व/अधिभारों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। लेकिन, संभावित बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि ईएमडी जमा करने से पूर्व अपने स्वयं के हित में बिजली/पानी/मकान कर के बिलों के बकाये अथवा किसी अन्य अधिभारों के विषय में अपना स्वयं का ड्यू डिलिजेन्स कर लें।
14. असफल बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिये आरसी की सुनवाई की निर्धारित अगली तिथि को या पूर्व डीआरटी–III, के रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करना होगा जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जायेगी।

(अनिल कुमार यादव)
रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली

आर्थिक तंगी की वजह से दंपति व दो बेटियों ने की आत्महत्या

पुडुचेरी, 18 अक्तूबर (भाषा)।

खराब वित्तीय स्थिति के कारण यहां एक गांव में एक दंपति और उनकी दो बेटियों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि तमिलनाडु में कुयिलापलायाम में स्थित अपने घर में सोमवार को इन चारों के आत्महत्या करने की आशंका है। पड़ोसियों ने पुलिस को घर से बदबू आने की शिकायत की, जिसके बाद शुक्रवार को ये शव बरामद किए गए। घर का दरवाजा तोड़ने पर पुलिस ने सुंदर मूर्ति का शव छत से लटकता हुआ पाया, जबकि उनकी पत्नी और 17 व 13 वर्षीय दो बेटियों के शव जमीन पर पड़े मिले।

NATIONAL SCHOOL OF DRAMA
REPERTORY COMPANY
(An autonomous Institution of Ministry of Culture, Govt. of India)
New Delhi

NOTICE INVITING QUOTATION

The Repertory Company of National School of Drama (an autonomous institution under the Ministry of Culture, GoI) will showcase their performances from 15th to 20th December 2019 and 26th to 30th December, 2019 at Gangtok (Sikkim) and Agartala (Tripura), respectively.
Sealed Quotations are invited from reputed transporters for hiring of one truck (22 feet long) for carrying the set and other materials to and fro Gangtok and Agartala.
Interested transporters may submit their sealed quotations to the Office of Chief of Repertory Company, NSD till 30th October 2019 up to 5:00 pm. The details of travel is available on NSD's website **www.nsd.gov.in**

Sd/-
(Prof. Suresh Sharma)
Chief of Rep. Co.

davp 09130/11/0038/1920

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा 116, प्रथम तल, कॉम्पेटैंट हाउस, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011-42143976

सार्वजनिक सूचना

संदर्भः एनपीए खाता मैसर्स ट्रेडर एग्रो फूड्स, शाखा : एआरएम शाखा, नई दिल्ली द्वारा डिफॉल्टकर्ता की फोटो प्रकाशन

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को बैंक / रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित किया गया है।

1) मैसर्स ट्रेडर एग्रो फूड्स
2) श्रीमती सुमित्रा देवी प्रोपराइटर मैसर्स ट्रेडर्स एग्रो फूड्स
3) श्री शंभु नाथ – गारंटर
4) श्री निरपेन्द्र सिंह – गारंटर

सुमित्रा देवी

शंभु नाथ

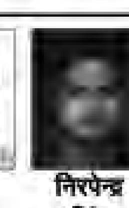
निरपेन्द्र सिंह

बैंक ने उक्त कर्जदार/गारंटर को जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित करने के निर्णय सम्बंधी उपयुक्त संचार भेजा था।
रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार जनसाधारण की सूचना के लिए बैंक जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता की फोटोग्राफ प्रकाशित करता है।

कार्पोरेशन बैंक, मुख्य प्रबंधक

Dr Lal PathLabs

Dr. Lal PathLabs Limited
Corporate Identity Number: L74899DL1995PLC065388
Regd. Office: Block E, Sector-18, Rohini, New Delhi-110085
Corporate Office: 12th Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Gurugram-122001, Haryana
Tel.: +91-124-3016500; Fax: +91-124-4234468
Website: www.lalpathlabs.com; E-mail: cs@lalpathlabs.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, November 8, 2019 to inter-alia, consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter & Half Year ended September 30, 2019 and to consider the proposal of declaration of interim dividend for the Financial Year 2019-20.

This intimation is also available on the Company's website at www.lalpathlabs.com and on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For Dr. Lal PathLabs Limited
Sd/-
Rajat Kalra
Company Secretary and Legal Head

Date: October 18, 2019
Place: Gurugram

COURT NOTICE

In the court of sh. Devnoor singh JMIC Ludhiana
CNR NO. PBLD03-050924-2018
PESHI: 11-11-2019
PUBLICATION NOTICE FOR PROCLAMATION UNDER SECTION 82 CR.PC
AVON CYCLE
V/S
S.S. CYCLE MART
COMPLAINT R/w sec-138 of N.I.ACT
NOTICE TO: 1. M.M.CYCLE MART, 43, PADMAVATI COMPLEX, THALAYARI STREET PATTUKOTTAI - 6114601, TAMIL NADU, THROUGH ITS PROP. VENKATACHALAM 2. VENKATACHALAM, PROP. OF M/S S.S. CYCLE MART, 43, PADMAVATI COMPLEX, THALAYARI STREET PATTUKOTTAI -6114601, TAMIL NADU.
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 11-11-2019 At 10.00 a.m or within 30 days from the date of Publication of this proclamation.
Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court, this 03-10-2019. FOR DETAILS LOGIN TO https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

पंजाब नैशनल बैंक **punjab national bank**
......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
बीओः जी.टी. रोड, साहिबाबाद (गाजियाबाद) उ.प्र., फोनः 0120-2899970, 2634653

सेवा में, शरद गुप्ता, 5/119, सेक्टर–2, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद–201005 तिथिः 7.8.2019

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

संदर्भः खाता नं. 370900NC00004927/ श्री शरद गुप्ता के द्वारा प्राप्त की गई साख सुविधाएं।
आप, ने निम्न साख सुविधाएँ प्राप्त की हैं:

क्रम सं.	सुविधाः	सीमा	को शेष बकाया
1.	आवास ऋण 370900NC00004927	रु. 1,20,00,0000	रु. 1,20,52,794. डीआर.
	कुल	रु. 1,20,00,0000	रु. 1,20,52,794. डीआर.

मूलधन/किस्त/ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक के कारण खाता/ओं को 31.7.2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर–प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। अब, हमने उपरोक्त सुविधाओं के अंतर्गत देय ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ सम्पूर्ण बकाये की पत्र तिथि 1.8.2019 के माध्यम से मांग/रिकॉल की है। दिनांक 31.7.2019 को बैंक की बकाया राशि रु. 1,20,52,794/– (रुपए एक करोड़ बीस लाख बावन हजार सात सौ चौड़ानवे के साथ सम्पूर्ण भुगतान आगे का ब्याज है। (यहाँ के बाद 'प्रतिभूत ऋण' वर्णित)
उक्त सुविधाओं के अंतर्गत आउटस्टैण्डिग को प्रतिभूत करने के लिये आप ने निम्न सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के संदर्भ में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है।

क्रम सं.	सुविधा	प्रतिभूति
1.	आवास ऋण खाता सं. 370900NC00004927	सम्पत्तिः प्लॉट नं. 28, 2रा तल, ब्लॉक–एफ, प्रशांत विहार, दिल्ली (प्राथमिक प्रतिभूति) का मार्टगैज।

एतद्द्वारा हम आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तथि से 60 दिनों (साठ दिनों के भीतर सम्पूर्ण भुगतान तक अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ रु. 1,20,52,794/– (रुपए एक करोड़ बीस लाख बावन हजार सात सौ चौड़ानवे मात्र) की कुल राशि का भुगतान करें। चूक करने पर कानून के अन्तर्गत बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों के प्रयोग के साथ बैंक वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (यहां के बाद 'अधिनियम' वर्णित) की धारा 13(4) के अनुसार किसी एक या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।
प्रतिभूत ऋण का भुगतान नहीं करने पर बैंक द्वारा प्रवर्त्तित की जाने वाली प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार है।
1. प्लॉट नं. 28, 2रा तल, ब्लॉक–एफ, प्रशांत विहार, दिल्ली
आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।
कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद बैंक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना आप उपरोक्त किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप में (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार अंतरण नहीं करेंगे। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत इस सांविधिक निषेध/प्रतिबंध का किसी प्रकार से उल्लंघन एक अपराध है। यदि किसी भी कारण से व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री अथवा पट्टा की जाती है तो बिक्री राशि या उगाही की गई आय बैंक में/उसके पास जमा की जायेगी/प्रेषित की जायेगी। ऐसी उगाही/आय का आपको उपयुक्त ब्यौरा देना होगा।
* हम अन्य प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को प्रवर्तित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
कृपया इस सूचना के अंतर्गत मांग का अनुपालन करें तथा अवांछित परिस्थितियों से बचें। अनुपालन नहीं करने पर सभी लागतों तथा परिणामों के लिये आपको उत्तरदायी मानते हुए आगे की कार्रवाई की जायेगी।
* यह सूचना जैसा भी मामला हो, डीआरटी/कोर्ट के समक्ष कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह–रहित है।
* यह सूचना डीआरटी/न्यायालय के समक्ष सुट/लिटिगेशन में बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।
* यदि लागू नहीं हो तो डेलिट करें।

आपका विश्वासभाजन
पंजाब नेशनल बैंक के लिये
प्राधिकृत अधिकारी

Shivalik Bimetal Controls Limited
CIN: L27101HP1984PLC005862
16-18, New Eectronics Complex Chambaghat, Dist. Solan, Himachal Pradesh – 173 213, Phone:+ 91-11- 26027174, Fax:+ 91-11-26026776
investor@shivalikbimetals.com, www.shivalikbimetals.com

PUBLIC NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATES

NOTICE is hereby given that the following share certificate(s) of the Company have been reported as lost/misplaced/stolen and the registered shareholder(s) of the said share certificate(s) have requested the Company for issue of duplicate share certificate(s).

Folio No	Certificate No	Distinctive No(s)	No of Equity Shares	Names of shareholder
S-1178	928& 4428	779751 – 782250 10380451 – 10382950	5000	Mr. Suresh Mohan Oberoi and Mr. Vivek Anand Oberoi
S-1201	932 & 4432	784751 – 785250 10385451 – 10385950	1000	Mr. Suresh Mohan Oberoi and Mr. Vivek Anand Oberoi

The public is hereby warned against purchasing or dealing with the aforementioned share certificate(s) in any way. Any person(s) who has/have any claim in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim with all the supporting documents with the Company at its registered office within 15 days from the date of publication of this notice, failing which, no claim will be entertained and the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s).

For Shivalik Bimetal Controls Limited
Sd/-
Aarti Jassal
Company Secretary

Place: New Delhi
Dated: 18.10.2019

इण्डियन ओवरसीज बैंक
(ग्राम व पोस्ट-बिन्झोल, पानीपत, हरियाणा-132103)
दूरभाषः 0180-2688007/2688006 ई-मेल आईडीः iob3042@ibo.in

(परिशिष्ट IV) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इण्डियन ओवरसीज बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों/गिरवीकर्ताओं/जमानतियों कर्जदार : मैसर्स रितिका फार्म्स प्रोप. : प्रताप सिंह, ग्राम व पोस्ट–छाजपुर कलाँ, तहसील–बपोली, जिला पानीपत, हरियाणा–132103 **जमानती** : (1) श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री ईश्ववर सिंह, म.नं. 583, सद्दा राणा, रिसालू पानीपत, हरियाणा–132104 (2) श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री मोजी, म.नं. म.नं. 583, सद्दा राणा, रिसालू पानीपत, हरियाणा–132104 (3) श्रीमती रामरती देवी (गिरवीकर्ता) पत्नी श्री ईश्वर सिंह मलि, म.नं. 583, सद्दा राणा, रिसालू पानीपत, हरियाणा–132104 (4) श्रीमती सुमन मलिक (गिरवीकर्ता) पत्नी श्री प्रताप सिंह, म.नं. 583, सद्दा राणा, रिसालू पानीपत, हरियाणा–132104 (5) श्री राजेश मलिक पुत्र श्री ईश्वर सिंह, म.नं. 13, ब्लॉक–02, सद्दा राणा, रिसालू पानीपत, हरियाणा–132104 (6) श्री संदीप मलिक पुत्र श्री ईश्वर सिंह, म.नं. 522, सद्दा राणा, रिसालू पानीपत, हरियाणा–132104 (7) श्रीमती नीना मलिक (गिरवीकर्ता) पत्नी श्री संदीप मलिक, म.नं. 522, सद्दा राणा, रिसालू पानीपत, हरियाणा–132104 (8) श्री संदीप कुमार पुत्र श्री जगवीर ग्राम व पोस्ट–मछरोली, समालखा, पानीपत, हरियाणा–132101 (9) श्री जगपाल पुत्र मंगलू, ग्राम छाजपुर कलाँ, पानीपत, हरियाणा–132104 (10) श्रीमती राजबाला (गिरवीकर्ता) पत्नी राजेश मलिक, म.नं. 13, ब्लॉक–02 सद्दा राणा, रिसालू पानीपत, हरियाणा–132104 (11) श्री जोगिन्दर पुत्र मंगलू, ग्राम–छाजपुर कलाँ, पानीपत, हरियाणा–132104 को 30.04.2019 तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 14,46,59,189.01/– तथा वसूली की तिथि तक अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं बकाये, प्रभारों आदि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए 07.05.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।
(1) कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में **16 अक्टूबर, 2019** को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।
(2) विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 30.04.2019 तक राशि रु. 14,46,59,189.01/– तथा माँग सूचना में उल्लिखित उपर्युक्त तिथि से माँग सूचना के निर्गमन के पश्चात पुनर्भुगतान की राशि, यदि कोई हो, घटाकर उसके भुगतान की तिथि तक के सहमत अनुबन्ध दरों पर ब्याज तथा बकायों, प्रभारों आदि के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रभार का विषय होगा। कब्जा करने की तिथि तक बकाया देय रु. 15,07,19,956.01 है जो भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज तथा बकायों, प्रभारों आदि सहित देय है।
(3) प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1. विलेख सं. 1962 दिनांक 27.12.2011 तथा विलेख सं. 1946 एवं 1947 दिनांक 23.12.2011 के माध्यम से खेवट सं. 140 मिन., खतौनी सं. 197, खसरा सं. 42/25 (7–8), 43/21 (8–0), 23/2 (5–16), 52/1 (8–0), 3/2 (5–0), 8/2 (4–4), 9/1 (6–16), 53/5 (7–8) तथा खेवट सं. 140 मिन. खतौनी सं. 197, खसरा नं. 61/2 (7–6), 3 (8–0), 7/2 (2–4), 8 (8–0), 9 (8–0), 10/1 (1–18), 61/12 (3–7), 14 (8–0), 13 (7–16), 17 (4–16), 274 (0–2), वाका ग्राम छाजूपुर कलाँ, उप तहसील–बपोली, जिला पानीपत की भूमि तथा भवन पर स्थित सम्पत्ति का समस्त भाग जो कि रामरती देवी पत्नी ईश्वर सिंह के नाम पर है। क्षेत्रफल 3.979 वर्ग एकड़। **सीमा** : सिजरा योजना के अनुसार।
2. विलेख सं. 3670 दिनांक 06.09.2012 के माध्यम से खाली प्लॉट सं. 583, सेक्टर–25, पार्ट–II, इण्डस्ट्रियल वर्कर, आवासीय हुडा, पानीपत की इक्विटी योग्य गिरवी, क्षेत्रफल 168.93 वर्ग गज, श्रीमती सुमन मलिक पत्नी श्री प्रताप सिंह, उप–तहसील–पानीपत, जिला पानीपत, हरियाणा–132103 के नाम से। **सीमा** : उत्तर : प्लॉट सं. 584, दक्षिण : मकान नं. 582, पूर्व : प्लॉट सं. 586, पश्चिम : सड़क।
3. विलेख सं. 3151 दिनांक 13.08.2012 के माध्यम से खाली प्लॉट सं. 691, सेक्टर–25, पार्ट–II, इण्डस्ट्रियल वर्कर, आवासीय हुडा, पानीपत की इक्विटी योग्य गिरवी, क्षेत्रफल 116.5 वर्ग गज, श्रीमती राजबाला पत्नी श्री राजेश मलिक, उप–तहसील–पानीपत, जिला पानीपत, हरियाणा–132103 के नाम से। **सीमा** : उत्तर : मकान नं. 706, दक्षिण : सड़क, पूर्व : प्लॉट सं. 690, पश्चिम : म.नं. 692।
4. विलेख सं. 3667 दिनांक 06.09.2012 के माध्यम से खाली प्लॉट सं. 1150, सेक्टर–25, पार्ट–II, इण्डस्ट्रियल वर्कर, आवासीय हुडा, पानीपत की इक्विटी योग्य गिरवी, क्षेत्रफल 119.25 वर्ग गज, श्रीमती नीना मलिक पत्नी श्री संदीप मलिक, उप–तहसील–पानीपत, जिला पानीपत, हरियाणा–132103 के नाम से। **सीमा** : उत्तर : प्लॉट सं. 1149, दक्षिण : मकान नं. 1159, पूर्व : प्लॉट सं. 1161, पश्चिम : सड़क।

दिनांक : 16.10.2019, स्थान : बिंझोल, पानीपत — अधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

केनरा बैंक (Canara Bank)
हौज खास मार्केट शाखा, ए–27, हौज खास मार्केट, नई दिल्ली–110016,
फोन नं. 011–26964090, 26858669
Email : cb1445@canarabank.com

एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक की हौज खास शाखा में लॉकर धारकों द्वारा बड़ी संख्या में लॉकर्स खोले गये है किन्तु लॉकर धारक पिछले कई वर्षों से लॉकरों का प्रचालन नहीं कर रहे हैं तथा साथ ही लॉकर शुल्क के बकाये का भुगतान नहीं कर रहे हैं:

क्रम सं.	लॉकर नं.	नाम	पता	बकाये की तिथि
1.	1445B00729	बीडी बदेरिया तथा प्रेम बदरिया	4–सी, मस्जिद मोठ फेज–1, डीडीए फ्लैट्स, दिल्ली–110048	01/04/11
2.	1445B00213	अंजू	ई–54, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव दिल्ली	01/04/12
3.	1445B00454	विवेक महेन्द्रू	बी–280, भूतल, आउटर रिंग रोड, सीआरपार्क, दिल्ली	01/04/14
4.	1445B00259	विमला सेजवाल तथा कुलदीप सेजवाल	24 एडचिनी, दिल्ली–110017	01/04/12
5.	1445B01099	जया पिल्लई	241, घिटोरनी गांव, मेहरौली, गुडगांव रोड, दिल्ली	01/04/12
6.	1445B00718	सुनीता सिंह तथा नागेश सिंह	आर–74बी, खिड़की गांव एक्स्टें. मालवीय नगर, दिल्ली	01/04/13
7.	1445B01055	अमिताभ सूद मिन्नी सूद	332 एसएफएस हौज खास दिल्ली 110016 तथा फ्लैट 114, 11वां तल, बर्सोवा वेनस सीएचएस एसबीपी नगर फोर बंगला टेली. एक्सचैंज, अंधेरी वेस्ट मुम्बई, महाराष्ट्र–400053	01/04/16
8.	1445B00464	शिव चन्द्रा अर्चणा चन्द्रा	277, एशियन गैम्स विलेज दिल्ली–110049	01/04/11
9.	1445B00793	एनके भटनागर हितेश भटनागर शालिनी भटनागर	31 मे फेयर गार्डन, नई दिल्ली–110017	01/04/15
10.	1445B00567	कुंज किशोर चतुर्वेदी एवं मधु चतुर्वेदी	डी1/31–32, हौजखास, दिल्ली–110016	01/04/13
11.	1445B01138	मोहन मेनन	824 लेबी पिन्टो ब्लॉक एशियन गैम्स विलेज दिल्ली–110049	01/04/11
12.	1445B00812	रिशी कुमार चौहान तथा रसना सिंह चौहान	242, एसएफएस हौज खास, दिल्ली–110016	01/04/12

कुछ मामलों में कथित रूप से लॉकर धारकों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस सूचना द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि लॉकर के प्रमाणिक सबूतों के साथ इस सूचना के 15 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित शाखाओं में सम्पर्क करें तथा नये सिरे से लॉकर अनुबंध निष्पादिक करें तथा लॉकर किराये का भुगतान करें अथवा पासपोर्ट, आधार कार्ड, निवास के प्रमाण आदि जैसी अपनी सामग्रियों को हटा लें। यदि किसी भी लॉकर के सिलसिले में कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है तो बैंक गवाहों की उपस्थिति में लॉकर को तोड़कर खोलने के लिए तथा सामग्रियों को हटाने के लिए बाध्य होंगा।

प्राधिकृत अधिकारी

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण
पीठ नई दिल्ली में
कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए) सं. 2019 का 130 (एनडी)

हरिता लिमिटेड, हरिता वेणु प्राइवेट लिमिटेड, हरिता चीमा प्राइवेट लिमिटेड, हरिता फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, हरिता सीटिंग्स सर्विसेज लिमिटेड तथा मिंडा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के समामेलन की योजना तथा उनके सम्बद्ध शेयरधारकों एवं लेनदारों के मामले में

मिंडा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
(A company incorporated under the Companies Act, 1956)
CIN: L74899DL1992PLC050333
Registered office at B-64/1, Wazirpur Industrial Area, New Delhi – 110052.
.... आवेदक कम्पनी/अन्तरिती कम्पनी

सूचना की सूचना तथा विज्ञापन

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आदेश दिनांक 24 सितम्बर, 2019 के द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ("एनसीएलटी") दिल्ली पीठ ने मिंडा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ("आवेदक कम्पनी/अन्तरिती कम्पनी") हरिता लिमिटेड, हरिता वेणु प्राइवेट लिमिटेड, हरिता चीमा प्राइवेट लिमिटेड, हरिता फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, हरिता सीटिंग्स सर्विसेज लिमिटेड ("अन्तरक कम्पनियाँ") एवं उनके सम्बद्ध शेयरधारकों ("योजना") के मध्य कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 ("सीए 2013") के तहत अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अधीन समामेलन की प्रस्तावित मिश्रित योजना के अनुसार अवेदक कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत लेनदारों की अलग से बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है।

कथित आदेश तथा उसमें निर्देशित के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदक कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक नीचे लिखित सम्बद्ध समय पर मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019 को लक्ष्मीपत सिंहानिया आडिटोरियम, पीएचडी हाउस, सामने एशियाई खेल गाँव, नई दिल्ली–110016 पर आयोजित की जाएगी और कथित इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत लेनदारों से इसमें उपस्थित होने का निवेदन है।

क्रम सं.	बैठक	समय
1.	इक्विटी शेयरधारक	11.00 बजे पूर्वाह्न
2.	अप्रतिभूत लेनदार	01.00 बजे अपराह्न

कथित योजना तथा सीए, 2013 की धारा 230 के तहत विवरण की प्रतियाँ भी आवेदक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय बी–64/1, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110052 से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।
बैठक में उपस्थित रहने तथा मतदान करने के पात्र व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान कर सकते हैं बशर्ते सभी प्रॉक्सियाँ बैठक से अधिकतम 48 घण्टे पूर्व आवेदक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर निर्धारित प्रारूप में जमा कर दी गयी हों।
इक्विटी शेयरों के मताधिकार 4 अक्टूबर, 2019 को तथा अप्रतिभूत लेनदारों के मताधिकार 15 सितम्बर, 2019 को माने जायेंगे।
प्रॉक्सी प्रपत्र आवेदक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय बी–64/1, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110052 पर उपलब्ध हैं।
इक्विटी शेयरधारकों को (अ) पोस्टल बैलट, (ब) ई–वोटिंग, (स) पोलिंग पेपर के माध्यम से बैठक स्थल पर मतदान के विकल्प दिये गये हैं। इक्विटी शेयरधारक मतदान के लिए उपर्युक्त में से किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं।
अप्रतिभूत लेनदारों को केवल बैठक स्थल पर पोलिंग पेपर के माध्यम से मतदान का अधिकार होगा।
एनसीएलटी ने आवेदक कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत लेनदारों की कथित बैठक के चेयरपर्सन के रूप में श्री राजीव शंकर द्विवेदी, अभिलेखित अधिवक्ता, भारतीय उच्चतम न्यायालय अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्री सोमांश को नियुक्त किया है। उपर्युक्त योजना, यदि बैठक में अनुमोदित होती है तो एनसीएलटी के आगामी अनुमोदन का विषय होगी।
यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी :

- 19 अक्टूबर, 2019 को या इससे पूर्व उन शेयरधारकों के पास पोस्टल बैलट प्रपत्र तथा एक स्वयं का पता लिखा व्यापारिक प्रत्युत्तर लिफाफे सहित एनसीएलटी द्वारा प्रायोजित बैठक की सूचना भेजने का कार्य सम्पन्न करेगी जिन्होंने अपने ई–मेल आईडी निक्षेपागार अथवा कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं किये हैं। एनसीएलटी प्रायोजित कम्पनी के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक की सूचना भेजने का कार्य भी 19 अक्टूबर, 2019 को या इससे पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।
- 17 अक्टूबर, 2019 को एनसीएलटी प्रायोजिक बैठक की सूचना डाउनलोड करने हेतु लिंक के साथ कम्पनी के शेयरधारकों के पास ई–मेल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) के माध्यम से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड के विवरण सहित बैलट पेपर उन शेयरधारकों के पास भेजे जा चुके हैं जिन्होंने निक्षेपागार अथवा कम्पनी के साथ अपने ई–मेल आईडी पंजीकृत किये हैं।
- 17 अक्टूबर, 2019 को कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेन्ट के लिंक इनटाइम के पोर्टल के माध्यम से कम्पनी के अप्रतिभूत लेनदारों की एनसीएलटी प्रायोजित बैठक की सूचना डाउनलोड करने के लिंक सहित कम्पनी के अप्रतिभूत लेनदारों के पास एक ई–मेल भेजी गयी है।
- सूचना उन सभी शेयरधारकों के पास भेजी जा चुकी है जिनके नाम एनएसडीएल, सीडीएसएल तथा रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेन्ट को 4 अक्टूबर, 2019 तक प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में उल्लिखित थे।
- सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कम्पनी ने पोस्टल बैलट प्रपत्र भेजने के अतिरिक्त इक्विटी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने की सुविधा के विकल्प के रूप में एनएसडीएल के माध्यम से ई–वोटिंग सुविधा का प्रस्ताव किया है। ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया सूचना के साथ संलग्न "ई–वोटिंग प्रपत्र हेतु निर्देश" में उल्लिखित है। शेयरधारक अपना ऑनलाइन मतदान रविवार, 20 अक्टूबर, 2019 (9.00 बजे प्रातः) से सोमवार, 18 नवम्बर, 2019 को 5.00 बजे अपराह्न तक कर सकते हैं। शेयरधारक मतदान के लिए किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। यदि शेयरधारक ने अपना मतदान भौतिक रूप में भेजकर तथा साथ ही ई–वोटिंग के माध्यम से किया है तब ई–मतदान द्वारा किया गया मतदान मान्य होगा और भौतिक प्रारूप में किया गया मतदान अवैध माना जायेगा।
- सूचना तथा पोस्टल बैलट प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट www.unominda.com पर उपलब्ध है। जिन शेयरधारकों को पोस्टल बैलट नहीं प्राप्त हुआ है अथवा जिन्हें ई–मेल के माध्यम से भौतिक पोस्टल बैलट सूचना प्राप्त हुई और वे भौतिक पोस्टल बैलट प्रपत्र के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं तो वे इसे कम्पनी की वेबसाइट अथवा लिंक https://www.evoting.nsdl.com से डाउनलोड कर सकते हैं।
- मीटिंग में उपस्थित होने वाले कम्पनी के इक्विटी शेयरधारक तथा जिन्होंने पोस्टल बैलट या ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है वे बैठक स्थल पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे। जिन इक्विटी शेयरधारकों ने पोस्टल बैलट अथवा ई–वोटिंग के माध्यम से पहले ही अपना मतदान कर लिया है वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं किन्तु उन्हें पुनः मतदान का अधिकार नहीं होगा।
- पूर्ण रूप से भरे पोस्टल बैलट प्रपत्र अधिकतम सोमवार, 18 नवम्बर, 2019 को 5.00 बजे अपराह्न तक श्री प्रशान्त कुमार सरकार, संवीक्षक, मिंडा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बी–64/1, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110052 के पास पहुँच जाने चाहिए। ई–वोटिंग मॉड्यूल की अवधि भी सोमवार, 18 नवम्बर, 2019 को 5.00 बजे अपराह्न के पश्चात समाप्त होगी। इस तिथि के पश्चात प्राप्त किसी प्रत्युत्तर को प्राप्त नहीं हुआ जैसा माना जायेगा।
- इक्विटी शेयरधारकों के मतदान के अधिकार कट–ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 4 अक्टूबर, 2019 तक कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूँजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

संवीक्षक कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत लेनदारों के मतदान की जाँच पूर्ण होने के पश्चात बैठक के अध्यक्ष के पास अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। मत की वैधता (ई–वोट सहित) पर संवीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा। इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक के मतदान के परिणाम बृहस्पतिवार, 21 नवम्बर, 2019 को या इससे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत पते पर घोषित किये जायेंगे। संवीक्षक के प्रतिवेदन सहित परिणामों को कम्पनी की वेबसाइट (www.unominda.com) तथा एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा बीएसई एवं एनएसई को भी सूचित किया जायेगा।

दिनांक 18 अक्टूबर, 2019
राजीव शंकर द्विवेदी, अधिवक्ता
बैठक के लिए चेयरमैन द्वारा नियुक्त

देना बैंक DENA BANK (A Government of India Undertaking) Trusted Family Bank
देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) क्षेत्रीय कार्यालय
पीतमपुरा ब्रांच
ई –983, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली : 110034, टेली : 27017744, 27031784, ई–मेलः pitamp@denabank.co.in, आईएफएससी कोड : BKDN 0711093
DB-NBOB/PP/PN/02/2019 तिथि : 16.10.2019

कब्ज़ा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये) (देखें नियम 8 (1)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम) 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 22.7.2019 जारी कर ऋणधारक मै. आईस ब्ल्यू एण्टरप्राईजेज, पताः मकान सं. 6185, गली नं. 3, ब्लॉक आई, देव नगर, करोल बाग, दिल्ली–110005, अब (नया पताः सम्पत्ति सं. 695, मिलिटरी रोड के निकट, खसरा नं. 1330/642/349, खतोनी नं. 269/357, गली नं. 3 में स्थानांतरित हो गया है जो गांव सधोरा खुर्द, आबादी "पंजाबी बस्ती" आनंद पर्वत, दिल्ली में अवस्थित है तथा गारन्टर/मार्टगैजर–1. स्व. श्री राज कुमार राठौर एवं 2, श्री मनीश कुमार, दोनों पुत्र श्री सियाराम, निवासी आई 16/663, आर्य समाज रोड, बापा नगर, करोल बाग, दिल्ली–110005 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 22.07.2019 को रु. 8168346.59/–(रुपये इक्यासी लाख अड़सठ हजार तीन सौ छियालिस तथा पैसे उनसठ मात्र) (31.03.2019 तक ब्याज सहित के साथ 1.4.2019 से आगे के ब्याज लागत, खर्चे तथा उस पर अन्य अनुषांगिक खर्चे चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 16 अक्टूबर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 22.07.2019 को रु. 8168346.59/–(रुपये इक्यासी लाख अड़सठ हजार तीन सौ छियालिस तथा पैसे उनसठ मात्र) (31.03.2019 तक ब्याज सहित के साथ 1.4.2019 से आगे के ब्याज लागत, खर्चे तथा उस पर अन्य अनुषांगिक खर्चे चार्जेज के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा, पीतमपुरा शाखा, ई–983, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल/चल सम्पत्तियों का विवरण

1. i) स्व. श्री राज कुमार राठौर एवं 2) श्री मनीश कुमार, दोनों पुत्र श्री सियाराम के नाम में अधोलिखित सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैजः व्यावसायिक सम्पत्ति म्यूनिसिपल नं. 695, मिलिटरी रोड के निकट अवस्थित, खसरा नं. 1330/642/349, खतोनी नं. 269/ 357, गली नं. 3 में जो ग्राम सधोरा खुर्द, " पंजाबी बस्ती" के नाम से विदित आबादी, आनंद पर्वत, दिल्ली में स्थित है। चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः रोड, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति।
2. प्लान्ट एवं मशीनरी तथा विविध निर्धारित परिसम्पत्तियों (वर्तमान तथा भविष्य की मशीनरी) का हाइपोथेकेशन।
3. वर्तमान तथा भविष्य में दोनों की चालू परिसम्पत्तियों का हाइपोथेकेशन।

तिथिः 16.10.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली — देना बैंक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की माँग सूचना 13(2)
शा.का.: साहिबाबाद, निकट एस.एम. वर्ल्ड, एस–3/ए–ब्लॉक, एसएमजी–2, गाज़ियाबाद–201005

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतदद्वारा कर्जदारों / गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
1.	**ऋणधारकः** मै. आयन गार्मेन्ट्स प्रॉप–श्रीमती नूरजहाँ अंसारी, पत्नी श्री अहमूद अंसारी, 6435, भूतल, गली नं. 1, ब्लॉक नं. 8, देवनगर, करोलबाग, नई दिल्ली–110005 साथ हीः 16/696, गणेश गली नं. 3, टैंक रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005 **गारन्टरः** श्रीमती हसीना बेगम, पत्नी मो. रहमत अली, 16/696, गणेश गली नं. 3, टैंक रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005 ऋण खाता सं. 3597875903 (कैश क्रेडिट)	i) प्लॉट नं. 64, खसरा नं. 295, आवासीय कॉलोनी, सावित्री एन्क्लेव, ग्राम पावी सड़कपुर, परगणा–लोनी, जिला– गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित श्रीमती नूरजहाँ अंसारी, पत्नी मोह. महमूद अंसारी के नाम में भूमि के सभी भाग। सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 41.80 वर्ग मी. तथा हिस्से का इक्विटेबल मार्टगैज चौहद्दी (बिक्री प्रलेख के अनुसार): उत्तरः प्लॉट दीगर मलिक, दक्षिणः 20 फीट चौड़ा रास्ता, पूर्वः 15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः प्लॉट दीगर मलिक ii) प्लॉट/खसरा नं. 295, आवासीय कॉलोनी, सावित्री एन्क्लेव, ग्राम पावी सड़कपुर, परगणा–लोनी, जिला–गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित श्रीमती हसीना बेगम, पत्नी मोह. रहमत अली के नाम में भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा, सम्पत्ति का क्षेत्रफल– 83.81 वर्ग मी. **चौहद्दीः (बिक्री प्रलेख के अनुसार)** उत्तरः 15 फीट चौड़ा सड़क दक्षिणः प्लॉट दीगर मालिक पूर्वः 15 फीट चौड़ा रास्ता पश्चिमः प्लॉट दीगर मालिक	30.9.2019 को एनपीए 1.10.2019 को हमारी बकाया रु. 48,80,718/– (जो मूलधन तथा इस सूचना की तिथि को देय ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है।)
2.	**ऋणधारकः** 1) श्री राजीव, पुत्र रणवीर सिंह मकान सं. 34, ग्राम निस्तौली लोनी, गाजियाबाद–201001, साथ हीः 67, कैलाशपुरम, फेज–2, ग्राम रहीसपुर, तहसील एवं जिला– गाजियाबाद–201001 **साथ हीः** ऊपरी भूतल, प्लॉट नं. एच–12, केशव कुंज, ग्राम– रहीसपुर, तहसील एवं जिला–गाजियाबाद–201001 **गारन्टरः** श्री मनोज कुमार, पुत्र मांगे राम, डी–136, ब्लॉक–डी, गोविन्द विहार, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, पिन–201001 ऋण खाता सं. 2978178986 (आवास ऋण)	i) आवासीय लॉट नं. एच–12, सम्पूर्ण ऊपरी भूतल (बिना छत के अधिकार के), केशव कुंज कॉलोनी, ग्राम रईसपुर, जिला–गजियाबाद, उ.प्र., सम्पत्ति का सुपर एरिया–58.527 वर्ग मी. में स्थित श्री राजीव, पुत्र श्री रणवीर सिंह के नाम में भूमि के सभी भाग एवं हिस्से का इक्विटेबल मार्टगैज। **चौहद्दीः (बिक्री प्रलेख के अनुसार):** उत्तरः प्लॉट नं. 13 दक्षिणः प्लॉट नं. 11 पूर्वः प्लॉट नं. 8 पश्चिमः 18 फीट चौड़ा रास्ता	31.7.2019 को एनपीए 1.10.2019 को हमारी बकाया रु. 18,06,330/– (जो मूलधन तथा इस सूचना की तिथि को देय ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है।)
3.	**ऋणधारकः** 1) श्रीमती उषा रानी त्यागी पत्नी श्री सुशील कुमार मकान सं. जे.155, सेक्टर–23, संजय नगर, गाजियाबाद–201001, साथ हींः मकान सं. जे–262, सेक्टर–23, संजय नगर, गाजियाबाद–201001 **गारन्टरः** श्री राकेश कुमार, पुत्र पूरण सिंह त्यागी एन–45, एचआईजी, सेक्टर–23, संजय नगर, गाजियाबाद–201001 ऋण खाता सं. 3930263574 (आवास ऋण)	i) आवासीय फ्लैट नं. जे–262 (बिना छत के अधिकार के), भू तल, सेक्टर–23, संजय नगर, जिला–गाजियाबाद, उ.प्र., भूमि की सम्पत्ति माप–27.75 वर्ग मी. में स्थित उषा रानी त्यागी, पत्नी श्री सुशील कुमार के नाम में फ्लैट के सभी भाग तथा हिस्से का इक्विटैबल मार्टगैज। चौहद्दीः (बिक्री प्रलेख के अनुसार) उत्तरः भूतल पर 15 फीट रोड दक्षिणः फ्लैट नं. जे–651 पूर्वः फ्लैट नं. जे–657 पश्चिमः भू तल पर 20 फीट रोड	30.04.2017 को एनपीए 3.10.2019 को हमारी बकाया रु. 17,72,659/– (जो मूलधन तथा इस सूचना की तिथि को देय ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है।)

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत हमारी सभी पूर्व सूचनाएं वापिस ली जाती हैं।

स्थानः गाजियाबाद दिनांकः 01.10.2019 — प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
ए-11, सेक्टर-24, नोएडा - 201301
फोन: 0120-2412294 फैक्स : 2412397

एन एफ एल NFL

कॉस्टिक सोडा लाइ की खरीद

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पानीपत, बठिंडा और नंगल इकाईयों के लिए 1280 एमटी कॉस्टिक सोडा लाइ को खरीदने का आशय रखता है। निविदाकरण की विधि ई-निविदा है। निविदा की शर्तें और निबंधन, पात्रता मानदण्ड और अन्य विवरणों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.nationalfertilizers.com या www.eprocure.gov.in देखें। इस ऑनलाइन ई-निविदा को जमा करने की अंतिम तिथि 29.10.2019 को दोपहर 02.00 बजे तक है। तकनीकी वाणिज्यिक निविदा 29.10.2019 को दोपहर 02.30 बजे खोली जाएगी। शुद्धिपत्र (यदि कोई हो तो) केवल हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

कार्यकारी निदेशक (सामग्री)

TRANSCORP INTERNATIONAL LTD.
Regd. Office: Plot No. 3, HAF Pocket, Sec. 18A, Dwarka, Phase-II, New Delhi-110075 CIN: L51909DL1994PLC235697
Web-site: www.transcorpint.com, e-mail: grievance@transcorpint.com
Phone: 91-11-30418901-05, Fax: 91-11-30418906

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी के संचालक मण्डल की आगामी सभा दिनांक 30.09.2019 को समाप्त हुई तिमाही व छःमाही के गैर अंकेक्षित खातों (एकल व समेकित) के अनुमोदन एवं अन्य कार्यों को करने हेतु मंगलवार दिनांक 05.11.2019 को जयपुर में आयोजित की जाएगी। नोटिस कम्पनी की वेबसाईट www.transcorpint.com के निवेशक संचार अनुभाग व www.bseindia.com के कॉर्पोरेट घोषणा अनुभाग पर भी उपलब्ध है।

कृते ट्रांसकोर्प इन्टरनेशनल लि.
-सd-
दिनांक : 18.10.2019 दिलीप कुमार मोरवाल
स्थान : जयपुर कम्पनी सचिव

भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरी तरह सुरक्षित : जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लेकर आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि देश परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के अपने वादे पर कायम है और परमाणु ऊर्जा के हमारे संयंत्र पूरी तरह सुरक्षित और बेहतर हैं।

उन्होंने कहा कि हम चिकित्सा समेत विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग कर रहे हैं और यह पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा उपयोग का मतलब बम बनाना नहीं है। 'इंडिया एनर्जी फोरम' के 11वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा- भारत भाभा के परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लक्ष्य पर कायम है। हम इसका सब्जियों का जीवन काल बढ़ाने और चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक उपयोग कर रहे हैं। नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में सिंह ने कहा- हमारे ज्यादातर परमाणु संयंत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में हैं। हमने इसका विस्तार शुरू किया है। हम हरियाणा के गोरखपुर में परमाणु संयंत्र लगा रहे हैं। मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्य में यूरेनियम के स्रोत हैं जिसके उपयोग की जरूरत है।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा

अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई- निविदा सूचना संख्या - RWD/SD/GODDA/09/2019-20

1.कार्य की विस्तृत विवरणी:

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट प्रखंड के पहाड़पुर गाँव में पहाड़पुर ताला टोला और मांझी टोला के बीच जोरिया पर पुल निर्माण।	236.18400	4.72500 लाख	10,000.00	15 माह

2. वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि - 19.10.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय - 28.10.2019 अपराह्न 5:00 बजे तक
4. ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा / मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0 एफ0 पी0 भवन धुर्वा, राँची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, Bank Credit Certificate एवं Affidavit जमा करने की तिथि एवं समय 30.10.2019 अपराह्न 05:00 बजे तक
5. निविदा खोलने का स्थान - मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0 एफ0 पी0 भवन, धुर्वा, राँची
6. निविदा खोलने की तिथि एवं समय -31.10.2019 अपराह्न 2:00 बजे
7. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता - कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा।
8. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं० - 9431943675 (संबंधित कार्यपालक अभियंता का दूरभाष नम्बर)
9. निविदा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा के पदनाम से देय ही देना होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा

PR 220191 Rural Development(19-20)D

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः कार्यपालक अभियंता
चन्द्रावल वाटर वर्क्स, नं.-1 सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054
प्रैस एन.आई.टी. सं. 02 (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	धरोहर राशि (रु.में)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	बागवानी कार्य के लिये द्वारका में शोधित एफ्ल्युएन्ट पम्पिंग स्टेशन का एस.आई.टी.सी. (पुनर्आमंत्रित)	वस्तु दर	500/-	78700	17.10.2019 2019_DJB_182380_1	30.10.2019 के 3.15 अप. तक

इस संदर्भ मे अधिक विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.com पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी हस्ता/-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/455 कार्यालय अभियंता (ईएंडएम) डब्ल्यूसी-II

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (ईएंडएम) डब्ल्यूएंडएस दक्षिण-I
ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048
टेली/फैक्स- 2924527, ईमेल आईडी: ee.emwss1@gmail.com
प्रैस एन.आई.टी. सं. 15(ईएंडएम) डब्ल्यूएंडएसःएस-I (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम की तिथि/समय
1.	(डीएमए-1) ए-2 ब्लॉक, सफदरजंग एन्क्लेव बीपीएस के कमांड क्षेत्र के पृथक्करण के लिये विद्युत एवं यांत्रिक कार्य का एसआईटीसी	वस्तु दर	3,33,000/-	1500/-	2019_DJB _182249_1 तिथि 15.10.2019	15.11.2019 के 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
हस्ता./-
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी कार्यपालक अभियंता (ईएंडएम)
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/456 डब्ल्यूएंडएस दक्षिण-I

लगातार छठे दिन चढ़े शेयर बाजार, सूचकांक 246 अंक उछला

मुंबई, 18 अक्तूबर (भाषा)।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक 246.32 अंक यानी 0.63 फीसद की तेजी के साथ 39,298.38 अंक पर बंद हुआ

विभिन्न क्षेत्रों में जारी लिवाली के दम पर शुक्रवार को लगातार छठे दिन घरेलू शेयर बाजारों में तेजी जारी रही।

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक शुक्रवार को 246.32 अंक यानी 0.63 फीसद की तेजी के साथ 39,298.38 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह ऊंचे में 39,361.06 अंक और 38,963.60 अंक के निचले स्तर पर रहा। एनएसई का निफ्टी भी 75.50 अंक यानी 0.65 फीसद की बढ़त के साथ 11,661.85 अंक पर बंद हुआ।

सूचकांक की कंपनियों में येस बैंक सर्वाधिक 8.44 फीसद की तेजी में रही। इसके बाद मारुति सुजुकी, पावरग्रिड, एनटीपीसी, एलएंडटी और भारतीय स्टेट बैंक का स्थान रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भी तिमाही परिणाम की घोषणा से पहले 1.37 फीसद चढ़ गया। इनके अलावा टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और इंफोसिस का शेयर 1.05 फीसद तक गिर गया। कोटक सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष (पीसीजी शोध) संजीव जरबाड़े ने कहा- भारतीय बाजार ने इस सप्ताह अन्य प्रमुख वैश्विक बाजारों को पछाड़ दिया।

विदेशी निवेशकों की खरीदारी, अमेरिका और चीन की व्यापार वार्ता की प्रगति तथा ब्रेक्जिट सौदे के कारण शेयर बाजारों में तेजी रही। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में राहत के और उपाय करने के संकेत देने से भी निवेशकों की धारणा को बल मिला। एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट, हांग कांग का हैंग सेंग और दक्षिण कोरिया का कोस्पी गिरावट में रहा। हालांकि, जापान का निक्की मजबूती में रहा। यूरोपीय बाजार कारोबार के दौरान मिश्रित चल रहे थे। इस बीच रुपया मजबूती में 71.13 रुपए प्रति डॉलर और ब्रेंट क्रूड का वायदा 0.12 फीसद बढ़कर 59.98 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था।

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले) मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई-अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

ई- निविदा संख्या:- 132/R1/2019-20/RDD(RWA)/GODDA दिनांक : 17.10.2019

मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखंड, राँची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या/पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि	टेन्डर कॉल न0
1.	RDD(RWA)/ GODDA/09/ 2019-20	गिरांडा से मंडरो मुख्य सड़क भाया बसुआ स्कूल भराखेरिया उच्च विद्यालय, बमुआकोल तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (लं- 2.750 किमी0)	1,17,80,773.00	एक करोड़ सत्रह लाख अस्सी हजार सात सौ तिहत्तर रु0 मात्र	09 माह	द्वितीय

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 23.10.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 01.11.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:- 04.11.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 05.11.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), झारखंड, रांची, 102 द्वितीय तल्ला अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), कार्य प्रमंडल, गोड्डा के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्युर्मेन्ट सेल

PR 220179 (Rural Work Department)19-20#D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गिरिडीह

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई- अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या - RDD/SD/GIRIDIH/09/2019-20

1. कार्य की विस्तृत विवरणीः

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	गिरिडीह जिला के गावां प्रखण्ड अंतर्गत आर०ई०ओ० रोड माला निमाडीह से आरागारो महादेव मंदिर के सामने (सकरी नदी में) पुल निर्माण।(लम्बाई-309.80 मी०)	987.32800	1974700.00	10000.00	24 माह

2. वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि - 21.10.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय - 30.10.2019 अपराह्न 5:00 बजे तक
4. ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गिरिडीह / मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0 एफ0 पी0 भवन, धुर्वा, राँची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, Bank Credit Certificate एवं Affidavit जमा करने की तिथि एवं समय 31.10.2019 अपराह्न 05:00 बजे तक
5. निविदा खोलने का स्थान - मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0 एफ0 पी0 भवन, धुर्वा, राँची
6. निविदा खोलने की तिथि एवं समय-01.11.2019 अपराह्न 2:00 बजे
7. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गिरिडीह
8. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं० - 09431323435
9. निविदा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैकर्स चेक जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गिरिडीह के पदनाम से देय हो देना होगा।

विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

P.R.220267 Rural Development(19-20):D कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गिरिडीह

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-2, लो.नि.वि.
कानपुर नगर

पत्रांकः 2622/9A दिनांक : 17.10.19

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

1. महामहिम राज्यपाल, उ.प्र. की ओर से उ.प्र. लोक निर्माण विभाग के 'ए' 'बी' 'सी' एवं 'डी' श्रेणी के पंजीकृत निविदादाताओं से नीचे दर्शाई गयी निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	जनपद	कार्य का विवरण	लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षा काल सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	कानपुर नगर	गुरुदेव चौराहे से चिड़ियाघर होते हुए कम्पनीबाग चौराहे तक कटिंग भाग में मरम्मत का कार्य।	2.00	0.20	800+144=944.00	15 दिन
2	कानपुर नगर	चिड़ियाघर चौराहे से कर्बला मार्ग के कटिंग भाग में रेस्टोरेशन का कार्य।	2.00	0.20	800+144=944.00	15 दिन
3	कानपुर नगर	कम्पनीबाग से कोहना थाना होते हुए परमिया नाला मार्ग के कटिंग भाग में रेस्टोरेशन कार्य।	2.00	0.20	800+144=944.00	15 दिन
4	कानपुर नगर	एन.एच.-91 दलहन से सर्वमिता मार्ग में कटिंग भाग के रेस्टोरेशन का कार्य।	2.00	0.20	800+144=944.00	15 दिन

2. कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित) उपरोक्त तालिका कालम सं. 7 में दर्शायी गयी है।
3. निविदा प्राप्त करने के उपरन्त निविदा 90 दिन तक वैध होगी। निविदा जमा करने के पश्चात नहीं ली जा सकेगी।
4. निविदा प्रपत्र संबंधित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता के कार्यालय से पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक दिनांक 30.10.2019 से 04.11.2019 तक रु. 944.00 (स्टेशनरी चार्जेज रु. 800+144 जी.एस.टी.) डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। ड्राफ्ट (शिड्यूल बैंक से निर्गत) द्वारा भुगतान ''अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो.नि.वि., कानपुर नगर'' के पक्ष में उपरोक्त वर्णित कार्यालयों में किया जायेगा। दिनांक 05.11.2019 अपरान्ह 4.00 बजे तक प्रार्थना पत्र के साथ रु. 200.00 का अतिरिक्त भुगतान किये जाने पर निविदा पंजीकृत/ स्पीड पोस्ट से भेजी जा सकती है। डाक द्वारा विलम्ब के लिये निविदा आमंत्रण प्राधिकारी जिम्मेदार न होंगे।
5. निविदा प्रपत्र एवं अधिशासी/ अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र में भिन्नता की दशा में कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही वैध माना जायेगा।
6. निविदा उपरोक्त अंकित कार्यालयों में दिनांक 05.11.2019 को सायं 03.00 बजे तक प्राप्त करायी जा सकती है। निविदा की दरें बिड दिनांक 06.11.2019 को सायं 4.00 बजे अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) कार्यालय, कानपुर नगर में इच्छुक ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। कार्यालय अवकाश की दशा में निविदा अगली तिथि को उक्तवत प्राप्त कर खोली जायेगी।
7. निविदा से संबंधित जानकारियों हेतु 01.11.2019 को 4.00 बजे सायं अधिशासी अभियन्ता कार्यालय (कालम-7) में निविदा की पूर्व बैठक की जायेगी, जिसमें ''निविदा दाता को निर्देश'' के क्लाज 9.2 में वर्णित जानकारियां स्पष्ट की जायेगी।
8. निविदा के साथ, जैसा कि बिड प्रपत्र में अंकित है, निविदा की वैधता से 45 दिन अधिक की वैधता की बिड सिक्योरिटी संलग्न की जायेगी।
9. निविदादाता को अपने ब्लड रिलेशनशिप अथवा उनके निकट रिश्तेदार जो प्रभागीय लेखाधिकारी अथवा निविदा आमंत्रण अधिकारी के स्तर तक, के कार्यक्षेत्र में निविदा प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी।
10. राजपत्रित अथवा अराजपत्रित अभियन्ता जो राज्य/ केन्द्रीय सेवा में हो, सेवानिवृत्ति के उपरान्त दो वर्ष तक निविदा हेतु बिना शासकीय अनुमति के पात्र नहीं होगा। यदि बाद में इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आता है तो निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदा से संबंधित क्वालिफिकेशन सूचना तथा निविदा की अर्हता, प्लान, विशिष्टियां, मानचित्र, मात्रा का विवरण एवं निविदा के शर्तों की जानकारी अधिशासी अभियंता कार्यालय, से दिनांक 30.10.2019 से 05.11.2019 तक पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
12. आपराधिक पृष्ठभूमि के निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
13. राज्य अधिवक्ता संघ में पंजीकृत व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
14. शासनादेश संख्या 622/ 23-02-2012-2 आडिट/ 08 टी.सी.-2, दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10% Below टेण्डर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/ परफोर्मेन्स गारन्टी ली जाएगी।
15. शासनादेश संख्या 3460/ 23-07-08- 41 एम.एस.ए./ 54 टी.सी. दिनांक 28.07.2009 में निहित निर्देशानुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ठेकेदारों को बिड के साथ आगणित धनराशि को 2 प्रतिशत तालिका के कॉलम 4 के अनुसार बिड सिक्योरिटी देनी होगी तथा अवशेष बिड सिक्योरिटी स्वीकृति प्रपत्र जारी होने पर अनुबंध गठन करने के समय देनी होगी।
17. डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड दो वर्ष का होगा।
18. निविदा शुल्क नगद अथवा रु 800.00 व रु. 144.00 के अलग-अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है।

हस्ता./-
(एस. पी. ओझा)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-2, लो.नि.वि.,
कानपुर नगर

MMTC LIMITED
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value
कोर-1, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7, इंस्टीच्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
Phone #:011-24381249 (Direct), PBX - 011-24362200
CIN NO. L51909DL1963GOI004033

निविदा सूचना सं. MMTC/CO/Projects/Abhraknagar/Vol.III तिथिः 10.10.2019

एमएमटीसी द्वारा एमएमटीसी के अभरक नगर प्लान्ट में निम्न कार्यों के मूल्यांकन के लिये गणनाकार की भर्ती के लिये बोलियाँ आमंत्रित हैं:

(i) पलान्ट एवं मशीनरी (बिक्री पर अनुमानित उगाही-योग्य मूल्य) का मूल्यांकन तथा दी जाने वाली मासिक प्रत्याशित किराया दर्शाऐं।

(ii) भूमि का मूल्यांकन (अनुमानित मासिक किराया जो उप पट्टा पर प्रस्तावित हो सकता है)

एमएमटीसी लिमिटेड, कोर-1, 3रा तल, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7, इंस्टीच्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में पूर्ण की गई बोली जमा करने की अंतिम तिथि 11.11.2019 के 3.00 बजे अप. तक है। निविदा का सम्पूर्ण विवरण एमएमटीसी की वेबसाईट www.mmtclimited.com तथा http://eprocure.gov.in पर उपलब्ध है। शुद्धिपत्र/संवर्धन यदि कोई जारी की जाती है, केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर ही प्रकाशित होगी।

अतिरिक्त महा प्रबंधक (परियोजना एवं जीटी)

प्रपत्र - 'जी'
अभिरुची की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

(दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क(1)के अधीन)

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	अरीनिट्स सैल्स प्राईवेट लिमिटेड
2	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	31 अक्टूबर, 2003
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज- दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान / तथा सीमित दायित्व पहचान संख्या	U51909DL2003PTC122891
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	आरओसी कंपनी मास्टर डाटा के अनुसार पंजीकृत कार्यालयः 322, डीएलएफ टॉवर, बी, जसौला जिला सेन्टर, नई दिल्ली-110025, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	28 जनवरी, 2019
7.	अभिरुची की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	19 अक्टूबर, 2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता	विवरण ईमेल पर अनुरोध भेजकर प्राप्त किया जा सकता है arinitscirp@gmail.com
9.	धारा 29क के अधीन अपात्रता के मानदंड	विवरण सार्वजनिक घोषणाओं के अनुसार ibbi.gov.in/legal-framework/other-authorities पर प्राप्त किया जा सकता है।
10.	अभिरुची की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	04 नवम्बर, 2019
11.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	09 नवम्बर, 2019
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	14 नवम्बर, 2019
13.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	19 नवम्बर, 2019
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	14 नवम्बर, 2019
15.	समाधान योजना हेतु अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि	सभी प्रास्पेक्टिव रिजॉल्यूशन आवेदकों को इलेक्ट्रानिक रूप में साझा किया जाएगा, जो इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रासेस फॉर कॉरपोरेट पर्सन्स) रेगुलेशन्स, 2016 के रेगुलेशन 36 बी (1) के तहत प्राप्त करने के योग्य हैं।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	14 दिसम्बर, 2019 को सायं 05:00 बजे तक।
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना की विधि	योजना के लिए अनुरोध जारी करने के समय विवरण प्रदान किया जाएगा।
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	21 दिसम्बर, 2019
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	श्री संदीप गोयल रजिस्ट्रेशन नंबर: IBBI/IPA-003/IP-N00073/2017-18/10583
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	श्री संदीप गोयल बोर्ड के साथ पंजीकृत पता: 410, प्रताप भवन, 5, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 बोर्ड के साथ पंजीकृत ईमेल cmasandeepgoel@gmail.com
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	श्री संदीप गोयल बोर्ड के साथ पंजीकृत पता: 410, प्रताप भवन, 5, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 बोर्ड के साथ पंजीकृत ईमेल arinitscirp@gmail.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	यहां एक अनुरोध ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है arinitscirp@gmail.com
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	19 अक्टूबर, 2019

हस्ता/-
संदीप गोयल
दिनांकः 19 अक्टूबर, 2019 रिजॉल्यूशन प्रोफेशनलः अरीनिट्स सैल्स प्राईवेट लिमिटेड
स्थानः नई दिल्ली पंजीकृत संख्याः IBBI/IPA-003/IP-N00073/2017-18/10583

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110050

निविदा आमंत्रण सूचना

एमटीएनएल, नई दिल्ली की ओर से निम्नलिखित निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं:

1. सं. एजीएम (आईटी-टीपी)/बिल प्रिंट/2019-20 एमटीएनएल, दिल्ली के पीएसटीएन और जीएसएम एलओबी के बिलों की प्रिंटिंग के लिए ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित हैं (अनुमानित लागत रु. 78,00,149/- लगभग)
2. सं. एजीएम (एमपीएल)/5 पेअर पीआईजेएफ केबल/2018-19/01 5 पेअर पीआईजेएफ केबल (यू/ए) की आपूर्ति के लिए दो भागों (भाग-क तकनीकी वाणिज्यिक और भाग-ख वित्तीय बोली) में ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित हैं (अनुमानित लागत रु. 19,58,000/-)

विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट http://www.eprocure.gov.in, http://eprocure.gov.in/eprocure/app, www.mtnldelhi.in और http://www.tenders.gov.in पर लॉग ऑन करें।

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड
(भारतीय रिजर्व बैंक की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी)
नोट मुद्रण नगर, मैसुरु - 570 003

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (खुली निविदा)

1. **एक्सप्रेस निविदा - बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु में उपहार आइटम्स की आपूर्ति,** - निविदा संख्या **080/MYS/MMD/2019-20** - अनुमानित मूल्य: **₹ 38.52 लाख** - उपरोक्त निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **04.11.2019** है।
2. **बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु में पर्सोनल कंप्यूटरों की आपूर्ति और स्थापना** - निविदा संख्या **081/MYS/MMD/2019-20**- अनुमानित मूल्य: **₹ 40.65 लाख** - उपरोक्त निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **20.11.2019** है।
3. **बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु में कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म क्लोथ की आपूर्ति,** - निविदा संख्या **082/MYS/MMD/2019-20**- अनुमानित मूल्य: **₹ 34.36 लाख** - उपरोक्त निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **20.11.2019** है।
4. **बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु में सीएसआर के तहत मेडिकल इक्विपमेंट की आपूर्ति, स्थापना और कमिशनींग** - निविदा संख्या **083/MYS/MMD/2019-20**- अनुमानित मूल्य: **₹ 93.87 लाख** - उपरोक्त निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **20.11.2019** है।
5. **बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु में युटिलिटी एस्टाब्लिशमेन्ट्स और मुख्य प्रेस भवन का (बाहरी) रि-पेन्टींग** - निविदा संख्या **084/MYS/CIVIL/2019-20**- अनुमानित मूल्य: ₹ 96.00 **लाख**। उपरोक्त निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **20.11.2019** है।

निविदा दस्तावेज और अन्य विवरण डाउनलोड करने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट **www.brbnmpl.co.in** पर जाएं। आगे जो भी विस्तार या संशोधन होगा उसे सिर्फ हमारी वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।

महाप्रबंधक

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड
(पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (CIN:L36911RJ1996PLC011381)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयू फाइनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन [अधिनियम 2002 (2002 का 54)]'' और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना **16 मई 2019 ऋण खाता संख्या: L9001060115306635** निर्गमित की जिसमें मांग करते हुए ऋणी **अचिन कुमार सिंघल (ऋणी/ बन्धककर्ता), समीर कुमार (सह-ऋणी/ बन्धककर्ता), श्रीमती स्नेह रानी (सह-ऋणी)** से नोटिस में वर्णित **रुपये 7377335/- (अक्षरे तहत्तर लाख सित्तर हजार तीन सौ पेंतीस मात्र)** की राशि इस नोटिस कि प्राप्ति कि दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बन्धककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बन्धककर्ता को तथा सामान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक **15 माह अक्टूबर वर्ष 2019** को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणी/बन्धककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार **रुपये 7377335/- (अक्षरे तहत्तर लाख सित्तर हजार तीन सौ पेंतीस मात्र)** की राशि **दिनांक 16 मई 2019** तक तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

अचिन कुमार सिंघल की सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर स्थित सम्पत्ति **ग्राउण्ड फ्लोर पर शॉप नं. 2 बिना छत के अधिकार, सम्पत्ति नं. 88, खसरा नं. 563/177, शंकर नगर, गांव गौंधली, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110051. क्षेत्रफल 10.66 वर्ग गज** पर स्थित है। जिसकी चारो सीमाएं :- पूर्व : प्लॉट का भाग, पश्चिम : प्लॉट का भाग, उत्तर : सड़क, दक्षिण : प्लॉट का भाग.

अचिन कुमार सिंघल एवं समीर कुमार की सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर स्थित सम्पत्ति **ग्राउण्ड फ्लोर पर शॉप नं. 5 बिना छत के अधिकार, सम्पत्ति नं. 88, खसरा नं. 563/177, शंकर नगर, गांव गौंधली, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110051. क्षेत्रफल 10.66 वर्ग गज** पर स्थित है। जिसकी चारो सीमाएं :- पूर्व : गली, पश्चिम : प्लॉट का भाग, उत्तर : सड़क, दक्षिण : प्लॉट का भाग.

समीर कुमार की सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर स्थित सम्पत्ति **तीसरा तल, छत के अधिकार सहित, सम्पत्ति नं. 88, खसरा नं. 563/177, शंकर नगर, गांव गौंधली, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110051. क्षेत्रफल 120 वर्ग गज** पर स्थित है। जिसकी चारो सीमाएं :- पूर्व : गली, पश्चिम : सम्पत्ति का भाग, उत्तर : मुख्य सड़क, दक्षिण : सम्पत्ति का भाग.

दिनांक: 15 अक्टूबर, 2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

तेल कंपनियों ने एअर इंडिया की ईंधन आपूर्ति रोकने का फैसला टाला

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (भाषा)।

एअर इंडिया के ईंधन बकाया को निपटाने के लिए नियमित भुगतान के वादे के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को उसकी ईंधन आपूर्ति रोकने का फैसला टाल दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। तीन सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने एअर इंडिया को भुगतान ना करने की स्थिति में 18 अक्तूबर से छह हवाई अड्डों पर उसे ईंधन आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी थी। इसकी वजह एअर इंडिया पर तीन कंपनियों का 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का ईंधन भुगतान बकाया होना है।

अधिकारियों ने कहा कि एअर इंडिया ने पत्र लिख कर उसकी ईंधन आपूर्ति ना रोकने का अनुरोध किया और नियमित भुगतान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ईंधन आपूर्ति रोकने के फैसले को टाल दिया गया है।

सरकार ने एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के विकल्प के लिए प्रतियोगिता शुरू की

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (भाषा)।

सरकार ने स्टार्टअप के लिए एकबार उपयोग वाले प्लास्टिक का विकल्प पेश करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें पहले विजेता को हरेक समस्या के समाधान पर तीन लाख रुपए मिलेंगे। दूसरे विजेता को दो लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआइआइटी) ने कहा-एक बार इस्तेमाल वाले प्लास्टिक को लेकर बड़ी चुनौती का लक्ष्य रखे जाने का मकसद नवोन्मेषकों और स्टार्टअप को इसके समाधान के लिए डिजाइन विकसित करने को प्रोत्साहित करना है। डीपीआइआइटी ने कहा कि इस चुनौती में सभी स्टार्टअप भाग ले सकते हैं।

मेक्सिको से प्रत्यर्पित 311 भारतीय स्वदेश लौटे

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (भाषा)।

अमेरिका में चोरी छिपे प्रवेश करने के लिए अवैध रूप से मेक्सिको पहुंचे 300 से अधिक भारतीय नागरिक वहां से प्रत्यर्पित होकर शुक्रवार की सुबह यहां पहुंचे। इसके साथ ही अमेरिका में बेहतर जीवन और नौकरी की आशा को लेकर वहां पहुंचे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अधिकारियों ने कहा कि चार्टर्ड विमान से एक महिला सहित 311 भारतीयों को वापस भेजा गया और उनके साथ मेक्सिको के 74 अधिकारी भी आए हैं।

अपने सपने को पूरा करने के लिए जंगलों में भटकने और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद वे लौट आए हैं। प्रत्यर्पित होकर लौटे जशनप्रीत सिंह ने कहा, 'हम सुबह पांच बजे पहुंचे और औपचारिकताएं पूरी करने में कई घंटे लग गए। हम दोपहर करीब एक बजे हवाई अड्डे से बाहर निकल सके।' प्रत्यर्पित होकर लौटने वालों में अधिकतर पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं।

मेक्सिको नेशनल माइग्रेशन इंस्टीट्यूट (आइएनएम) ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि भारतीय नागरिकों को तोलुका सिटी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बोइंग 747 विमान से नई दिल्ली भेजा गया। इन भारतीयों के पास स्थायी निवास की व्यवस्था नहीं थी।

लौटने वालों में 19 वर्षीय मनदीप सिंह भी है जिसने सेना प्रवेश परीक्षा में विफल रहने के बाद जून में ही पटियाला छोड़ दिया था।
स्कूल पास करने के बाद अमेरिका जाने के सपने के साथ घर छोड़ने वाले मनदीप ने कहा कि वह सात देशों से गुजरा। वह सबसे पहले इक्वेडोर पहुंचा और अंतिम बार मेक्सिको। उसने दावा किया कि उसने अपने एजंट को 20 लाख रुपए का भुगतान किया। अपने बुरे अनुभव बताते हुए मनदीप ने कहा कि वह नौ मई को भारत से रवाना हुआ और इक्वेडोर पहुंचा। उसने कहा, 'वहां से मैं कोलंबिया पहुंचा और फिर पनामा। हमने पनामा में सात दिन गुजारे जहां घने जंगलों और अन्य क्षेत्रों में भटकते रहे। निकारागुआ में हम तीन घंटे जंगल से गुजरे जहां कांटे ही कांटे थे। जंगलों से गुजरने के बाद पुलिस ने हमें पकड़ लिया और एक बस में होंडुरास भेज दिया।' मनदीप ने कहा कि पनामा के जंगलों से गुजरते हुए उसने कई लाशें देखीं जो संभवतः उसके जैसे लोगों की थी जो अमेरिका जाना चाहते थे। उसने कहा कि 12 सितंबर को वे मेक्सिको पहुंचे और भारत प्रत्यर्पित होने से पहले वहां करीब 34 दिन रहे।

उसने कहा, 'हम अमेरिका की सीमा से महज 800 किलोमीटर दूर थे जब मेक्सिको के अधिकारियों ने हमें पकड़ लिया और प्रत्यर्पित कर दिया। यात्रा भयावह थी और मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। जलंधर की रहने वाली एकमात्र प्रत्यर्पित महिला कमलजीत कौर (34) ने कहा कि पति और बेटे के साथ अमेरिका पहुंचने के लिए उसने 53 लाख रुपए खर्च कर दिए। तीस वर्षीय सुरेंद्र ने कहा कि यात्रा ज्यादा कठिन नहीं थी बल्कि शरणार्थी शिविर में रहना ज्यादा कठिन था। उन्होंने कहा कि शिविर में विभिन्न देशों के करीब छह हजार से सात हजार लोग थे। शिविर की हालत दयनीय थी। दिन में केवल एक बार पानी की आपूर्ति होती थी और चिकित्सा की पर्याप्त सुविधा नहीं थी। वे हर रोगी को एक ही दवा देते थे चाहे जो भी बीमारी हो। शिविर में काफी कम मात्रा में शाकाहारी भोजन दिया जाता था और मुख्यतः गोमांस परोसा जाता था।

बौद्ध स्तूप के अपमान के आरोप में भारतीय पर्यटक हिरासत में

थिम्पू, 18 अक्तूबर (भाषा)।

भूटान पुलिस ने एक स्तूप के कथित अपमान के लिए एक भारतीय पर्यटक को हिरासत में लिया है। शुक्रवार को मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है।

एक खबर के मुताबिक महाराष्ट्र का रहने वाला अभिजीत रतन हजारे भूटान की यात्रा कर रहे एक समूह का हिस्सा था। इसका नेतृत्व भूटानी नागरिक कर रहा था। एक समाचार संस्था द्वारा ट्वीटर पर साझा तस्वीरों और वीडियो में हजारे स्तूप की चोटी पर खड़ा हुआ है जबकि स्तूप की मरम्मत कर रहा दूसरा व्यक्ति जांबे उस पर पर बैठा हुआ दिख रहा है।

खबर के मुताबिक अपमान की यह घटना गुरुवार को हुई जब 15 मोटरसाइकिलों पर आए पर्यटक दोचुला में आराम कर रहे थे जबकि पर्यटकों के समूह का नेता मोटरसाइकिलों की पार्किंग की व्यवस्था का प्रयास कर रहा था।

वह इस घटना से अंजान था। पुलिस ने हजारे का पासपोर्ट लेकर शुक्रवार को उसे पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जांबे की तलाश जारी है।

भारत सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था : सीतारमण

वाशिंगटन, 18 अक्तूबर (भाषा)।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसे और तेजी से विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीतारमण ने गुरुवार को भारतीय संवाददाताओं के समूह से कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने भले ही भारत की विकास दर का अनुमान घटा दिया है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था 'अब भी सबसे तेजी से विकास कर रही' है। वह यहां आइएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने आई हैं।

सीतारमण ने कहा कि हालांकि आइएमएफ की ताजा रिपोर्ट में भारत और चीन दोनों की विकास दर 6.1 फीसद रहने का अनुमान जताया गया है, लेकिन वह निश्चित ही चीन के साथ तुलना नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, 'आइएमएफ ने (अपने हालिया अनुमान में) विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास दर कम कर दी है। इसने भारत के लिए विकास अनुमान कम कर दिया है। इसके बावजूद भारत अब भी सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ रहा है।' आइएमएफ ने मंगलवार को जारी अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य रपट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में 6.1 फीसद रहने का अनुमान जताया है हालांकि उसे उम्मीद है कि 2020 में इसमें सुधार होगा और तब देश की आर्थिक वृद्धि दर सात फीसद रह सकती है।

यह (2019 की दर) 2018 में भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 6.8 फीसद से भी कम है। सीतारमण ने कहा कि जो कुछ भी कहा जा रहा है, इसके बावजूद 'इस बात को नजरअंदाज नहीं' किया जा सकता है कि भारत वैश्विक परिदृश्य में अब भी 'सबसे तेजी से विकास' कर रहा है।

चीन की तीसरी तिमाही की वृद्धि दर 27 साल के सबसे निचले स्तर पर

बेजिंग, 18 अक्तूबर (एएफपी)।

चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 2019 की तीसरी तिमाही में करीब तीन दशक के निचले स्तर पर आ गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई-सितंबर में चीन की आर्थिक वृद्धि दर छह फीसद रही। इससे पिछली तिमाही अप्रैल-जून में चीन की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 6.2 फीसद थी।

चीन की वृद्धि दर में कमी की प्रमुख वजह अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध का जारी रहना और घरेलू मांग का नरम पड़ना है। यह वृद्धि दर 1992 के बाद चीन का सबसे खराब तिमाही आंकड़ा है। हालांकि यह सरकार के 2019 में आर्थिक वृद्धि दर 6 से 6.5 प्रतिशत रखने के लक्ष्य के दायरे में है। वर्ष 2018 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.6 फीसद थी।

ब्यूरो के प्रवक्ता माओ शेंगयांग ने कहा, 'राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर शुरुआती तीन तिमाहियों में स्थिरता देखी गई है।' उन्होंने कहा कि हालांकि हमें घरेलू और वैश्विक दोनों मोर्चों पर गंभीर आर्थिक हालातों के प्रति सजग रहना होगा।

कश्मीरी पंडितों ने घाटी की हकीकत बताई अमेरिकी सांसदों को

वाशिंगटन, 18 अक्तूबर (भाषा)।

दक्षिण एशिया में मानवाधिकारों की स्थिति पर अगले सप्ताह होने वाली कांग्रेस की सुनवाई के पहले अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने अमेरिकी सांसदों और उनके सहयोगियों को घाटी की हकीकत और पिछले कुछ दशकों से उनके अधिकारों के उल्लंघन के बारे में बताया।

भारतवंशी सांसद रो खन्ना, सांसद माइक थॉम्पसन, जो लोफग्रेन, मार्क डेसूलनीर और डोरिस मतसुई के साथ ही सदन की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष एलिअट इंगेल बुधवार को कैपिटोल हिल में कांग्रेस की सुनवाई में उपस्थित हुए।

महिला सांसद एन्ना इशू ने अपने शुभारंभ संबोधन में जोर दिया कि दुनिया में दो बड़े लोकतांत्रिक देशों भारत और अमेरिका को लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।

इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेडरेशन ने कश्मीरी ओवरसीज एसोसिएशन (केओए) और यूएस-इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (यूएसआइएनपीएसी) के साथ 'कश्मीर आगे का रास्ता' कार्यक्रम का आयोजन किया।

विदेश मामलों की सदन की समिति की एशिया प्रशांत और अप्रसार उपसमिति 22 अक्तूबर को कश्मीर और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में मानवाधिकार पर सुनवाई करने वाली है ।

केओए के अध्यक्ष शकुन मलिक ने कश्मीरी पंडितों की दशा और अनुच्छेद 370 तथा 35 ए की वजह से समाज के कमजोर तबकों, अल्पसंख्यकों, कश्मीरी महिलाओं के साथ हुए भेदभाव के बारे में चर्चा की। सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करते हुए इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने का निर्णय लिया था ।

कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले कैलिफोर्निया के जीवन जुत्शी ने कहा कि कश्मीर के लिए आगे का रास्ता यह सुनिश्चितत करना है कि कश्मीर में सभी धर्म के लोग शांति के साथ रह सकें। आयोजन के दौरान एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें कश्मीर में धीरे धीरे सामान्य होते हालात का वर्णन किया गया है ।

मस्जिद में हुए धमाके में 28 लोगों की मौत

जलालाबाद, 18 अक्तूबर (एएफपी)।

अफगानिस्तान में शुक्रवार को मस्जिद में नमाज के दौरान हुए धमाके में कम से 28 नमाजियों की मौत हो गई जबकि अन्य कई घायल हुए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। धमाका संयुक्त राष्ट्र के उस बयान के एक दिन बाद हुआ जिसमें कहा गया था कि देश में हिंसा अस्वीकार्य स्तर पर पहुंच गई है।

प्रांतीय राज्यपाल के प्रवक्ता ने बताया कि पूर्वी नंगरहार प्रांत के हस्का मीना जिले में धमाके की वजह से मस्जिद की छत ध्वस्त हो गई और इस घटना में कम से कम 55 लोग घायल हुए हैं। तत्काल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तालिबान और इस्लामिक स्टेट दोनों ही नंगरहार प्रांत में सक्रिय है।

ट्रंप ने की ऊर्जा मंत्री रिक पेरी के इस्तीफे की घोषणा

फोर्ट वर्थ, 18 अक्तूबर (एएफपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी ऊर्जा मंत्री रिक पेरी इस्तीफा दे रहे हैं। ट्रंप ने गुरुवार को कहा, 'रिक ने ऊर्जा मंत्री के तौर पर अच्छा काम किया है लेकिन तीन साल लंबा समय होता है। अब हमारे पास उनका विकल्प है।' उल्लेखनीय है कि पेरी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने ट्रंप के आदेश पर अमेरिका के राष्ट्रपति के निजी वकील रुडी गुइलियानी से यूक्रेन में कथित भ्रष्टाचार के बारे में बातचीत की थी। ट्रंप ने पेरी को हटाने की घोषणा इस साक्षात्कार के प्रकाशन के एक दिन बाद की।

ट्रंप पर 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति पर अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ जांच का दबाव बनाने को लेकर महाभियोग की जांच चल रही है। ट्रंप ने कहा कि पेरी ने कुछ महीनों पहले ही इस्तीफे की पेशकश की थी और इस वर्ष के अंत तक वह पद छोड़ देंगे।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 व 9 के अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं)/गारन्टर(ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **सांकेतिक/भौतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसी है और जो कुछ भी है" के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी** ऋणी(ओं)/गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 05.11.2019** को बेची जायेगी।
प्रत्येक सपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि को हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।
नीलामी प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बिना कारण बताये निरस्त/निलम्बित करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा। उपयुक्त मामलों में बैंक खुद सम्पत्ति खरीदने हेतु बोली लगाने को स्वतंत्र है।

क्रं. सं.	ऋणी एवं शाखा का नाम	मांग नोटिस की तिथि एवं बकाया राशि का विवरण	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	रिजर्व मूल्य / अर्नेस्ट मनी (EMD) / न्यूनतम बोली की वृद्धि	ईएमडी जमा के अंतिम तिथि	खाते का विवरण जिसमें ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफी जमा की जायेगी एवं आईएफएससी कोड	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1.	**शाखा : तिलक रोड, देहरादून** **ऋणी/बंधककर्ता: मैसर्स भूपेश कुमार शिक्षण एवम् विकास संस्थान, अध्यक्ष** श्री भूपेश कुमार पुत्र श्री ओम्ना नाथ, **पता 1:** ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल, मंडुवाला (कोठारी), सुधोवाला, वाया प्रेम नगर, देहरादून-248007, उत्तराखंड, **पता 2:** गुरुकुल ट्टोरियल एंड हॉस्टल्स, सेवा कलो, माजरा चौक, वेस्ट कैनाल रोड, देहरादून-248001, **पता 3:** रोड नं0 138, राजेंद्र नगर, पटना-800016, **पता 4:** अम्बारपुर पोस्ट तेलवाड़ा पी.एस. सिंधवाड़ा जिला दरभंगा (बिहार)	25.03.2019 रु0 6,89,27,699.73 + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.02.2019 से	भूमि व भवन सम्मलित खसरा न0 1053, माप 0.401 हेक्टेयर, 1056 माप 0.445 हेक्टेयर, 1057 माप 0.308 हेक्टेयर, 1967, माप 0.531 हेक्टेयर व 1968 माप 0.426 हेक्टेयर (नया खसरा न0 628, 629, 718ka 630, 631, 719 व 720), निहित स्कूल भवन, हॉस्टल कैम्पस, गार्ड रूम आदि, मौजा कसमवला डोंडा परगना पछवा दून, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून, विक्रय विलेख विधिवत पंजीकृत कार्यालय सब रजिस्ट्रार विकास नगर, जिला देहरादून, बुक न0 01, वॉल्यूम न0 633, पेज 129, एडीएफ बुक न0 01, वॉल्यूम 1376, पेज 257 से 272, क्रमांक संख्या 2917 दिनांकित 04.05.2010, सीमायें: उत्तर: अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति, पूर्व: रोड, पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति	सांकेतिक	रू0 1031.00 लाख / रू0 103.10 लाख / रू0 10.00 लाख	**04.11.2019** सायं 05:00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या 1087003171160 (आईएफएससी कोड: PUNB0108700)	**05.11.2019** सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

गारन्टर्स: 1. श्री उमेश दूबे पुत्र श्री महावीर दूबे, पता: ग्राम मधोपुर पोस्ट जकौली पी.एस. बहेड़ा दरभंगा (बिहार) -800016, **2. श्री ललित कुमार** पुत्र श्री ठाकुर लाल, पता: ग्राम मधोपुर पोस्ट जकौली पी.एस. बहेड़ा दरभंगा (बिहार) 800016

ऋणी(ओं) एवं गारंटर(ओं) प्रत्याभूति-दाता को सूचित किया जाता है कि सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अन्तर्गत 15 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जायें।

ई-नीलामी के लिये नियम व शर्तें : विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी के लिये आप वेब साईट **www.pnbindia.biz, www.pnbindia.in, www.tenders.gov.in** पर लॉगिन कर सकते हैं या नियम व शर्तों की प्रतिलिपि हमारे कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।
ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चा सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चा सहित वसूल की जायेगी।

दिनांक- 18.10.2019 स्थान - देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड
CIN-L51909DL1990PLC041701
पंजी. कार्यालयः 1/22, दूसरातल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
Website: www.oscar-global.net
Email: oscar@oscar-global.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन ऊपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 30 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।
उक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.oscarglobal.com तथा बीएसई लि. की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड के लिये
हस्ता.
(पवन चढ़ा)
पूर्ण कालिक निदेशक एवं सीएफओ
DIN: 00415795
स्थानः नोएडा
तिथिः 18.10.2019

रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 20 कि.मी. मथुरा रोड, पो. ओ. अमर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
दूरभाषः +91 (129) 4288888, फैक्सः +91 (129) 4288822-23
ई-मेलः info@raunaqintl.com वेबसाइटः www.raunaqinternational.com
सीआईएनः L51909HR1965PLC034315

कम्पनी सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 ("एलओडीआर अधिनियम") के अधिनियम 47(1)(अ) के साथ पठित अधिनियम 29 के प्रावधानों के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि एलओडीआर अधिनियम के अधिनियम 33 के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के एकल एवं समेकित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा स्वीकृति हेतु आयोजित की जाएगी।

कृते **रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड**
हस्ता/-
संचित कंवर
संयुक्त प्रबंध निदेशक
स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 18.10.2019

भारत गीयर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 20 कि.मी. मथुरा रोड, पो. ओ. अमर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
दूरभाषः +91 (129) 4288888, फैक्सः +91 (129) 4288822-23, वेबसाइटः www.bharatgears.com
ई-मेलः info@bglindia.com, सीआईएनः L29130HR1971PLC034365

कम्पनी सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 ("एलओडीआर अधिनियम") के अधिनियम 47(1)(अ) के साथ पठित अधिनियम 29 के प्रावधानों के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि एलओडीआर अधिनियम के अधिनियम 33 के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक गुरूवार, 14 नवम्बर, 2019 को 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा स्वीकृति हेतु आयोजित की जाएगी।

कृते **भारत गीयर्स लिमिटेड**
हस्ता/-
प्रशांत खत्री
प्रमुख (विधि) एवं कम्पनी सचिव
स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 18.10.2019

HGI FINANCE & LEASING LIMITED
Regd. Office: 1512A, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019
Phone No.: (011) 26215136, 40167008, E-Mail: hgigroup@yahoo.co.in, CIN: L74899DL1992PLC050909

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given to the Members that the Company has completed the dispatch of postal ballot notice Under Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, along with postal ballot form and self addressed pre paid postage envelope on 18th October, 2019 through courier to the members whose names appear in the register of members as on Friday, 11th October, 2019 ("Cut-off date") in relation to resolution for seeking approval of the shareholders for the proposed voluntary delisting of the equity shares of the company from the Calcutta Stock Exchange Limited in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 including the (Amendment) Regulations, 2019 and applicable law ("the proposed resolution") by postal ballot including e-voting by electronic means.
As required by Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited to provide e-voting facility to the members of the Company.
The Voting through Postal Ballot, including E-voting would commence on 20th October, 2019. The Notice and Postal Ballot Form is also available on the website of the company viz., **www.hgifinance.com** or on the website of NSDL viz., **www.evoting.nsdl.com**.
The Board of Directors of the Company has Appointed MR. RAHUL JAIN, Practicing Chartered Accountant as "SCRUTINIZER" for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner. The members are requested to note that the physical Postal Ballot form duly completed and signed should be reached to the Scrutinizer on or before Monday, 18th November 2019 by 5:00 P.M.
The Voting facility shall be available from Sunday, 20th October, 2019 from 9:00 A.M. to Monday, 18th November, 2019 till 05:00 P.M. All Postal Ballot Forms/ electronic votes received after the said date will be treated as reply from such member has not been received. In case a member votes through E-Voting facility as well as send his vote through physical vote, the vote cast through E-voting shall only be considered by the Scrutinizer.
The result of the Postal Ballot shall be announced on Tuesday, 19th November, 2019 at the registered office of the company. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be available on the Company's website viz., **www.hgifinance.com** and shall also be communicated to Calcutta Stock Exchange Limited where the shares of the company are listed. For and query regarding the voting by Postal Ballot including E-voting, please sent an e-mail at: **hgigroup@yahoo.co.in**

By Order of the Board
For HGI Finance & Leasing Limited
Sd/-
S. K. Rajgarhia
Director
DIN: 00516851
Place : New Delhi
Date : 18.10.2019

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
रंगमंडल
(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था)

पहला सत्याग्रही
लेखकः रविन्द्र त्रिपाठी
निर्देशनः प्रो. सुरेश शर्मा
18, 19 एवं 20 अक्टूबर, 2019 सायं 6.30 बजे
अतिरिक्त प्रदर्शन 19 एवं 20 अक्टूबर 2019 सायं 3.30 बजे
सम्मुख सभागार
बहावलपुर हाउस, भगवानदास रोड,
नई दिल्ली-110001

टिकट (रु.50/-) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रंगमंडल, बहावलपुर हाउस, भगवानदास रोड, नई दिल्ली से दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 से सभी कार्य दिवसों में प्रातः 11 से 1 बजे तथा दोपहर 2 से 4 बजे तथा उपलब्ध होने पर एक घंटा पूर्व प्रेक्षागृह से प्राप्त किए जा सकते हैं। 8 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश निषेध है।

पूछताछः 011-23383420, 23031105

davp09130/11/0036/1920

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra एक परिवार एक बैंक
एस एल बी सी, महाराष्ट्र :
संयोजक - बैंक ऑफ महाराष्ट्र
प्रधान कार्यालय : लोकमंगल, 1501,
शिवाजीनगर, पुणे 411005.

सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सम्मानीय ग्राहकों और सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं के लिए पूर्व निर्धारित तीन टाइम-सेट के अनुसार **शुक्रवार, 01/11/2019** से एकसमान बैंकिंग समय का कार्यान्वयन किया जाना है। जिलावार, बैंक शाखावार ब्यौरे हमारे बैंक की वेबसाइट <<**https://www.bankofmaharashtra.in /miscellaneous** >> पर उपलब्ध है। कृपया परिवर्तन को नोट करें।

संयोजक, एस एल बी सी, महाराष्ट्र

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एसआईईएल लिमिटेड, 5वां तल, कीर्ति महल, 19 राजेंद्रा प्लेस, नई दिल्ली और मैसर्स डीएलएफ कामर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड, डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001 के मध्य हुआ मूल शेयर क्रय समझौता गुम/लापता/कंपनी के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है जिसके लिये अधोहस्ताक्षरी ने पुलिस थाना: अपराध शाखा, दिल्ली में एलआर न. 1743484 दिनांक 17.10.2019 के तहत गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है।

कोई भी व्यक्ति, जिसे उपर्युक्त मूल दस्तावेज प्राप्त होता है, से अनुरोध है कि इसका दुरुपयोग/नष्ट न करें बल्कि अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें अथवा व्यक्तिगत तौर पर इसे अधोहस्ताक्षरी को डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमि., डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को लौटाएं।

कृते **डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड**
हस्ता/-
(मनीष कुमार)
अधिकृत हस्ताक्षरी
मोबाइल न. 98181-55127
ई-मेल आईडी: **kumar-manish@dlf.in**
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 18.10.2019

punjab national bank
शाखा कार्यालय: एनएसआईसी बिल्डिंग, ओखला इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, नई दिल्ली- 110020

नियम 8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, पंजाब नैशनल बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में **एक डिमाण्ड नोटिस दिनांक 01.09.2018 को ऋणी मैसर्स एस. एस. के. एन्टरप्राईजेज प्रोप- श्री सोमवीर सिंह, डब्ल्यू जेड - 144ए, संत ग्रह, तिलक नगर, नई दिल्ली- 110018 को नोटिस में उल्लेखित राशि रु. 1,24,23,510.60 (अक्षरे रुपये एक करोड़ चौबीस लाख तेइस हजार पॉच सौ दस एवं साठ पैसे मात्र)** दिनांक 30.09.2017 तक व अनुबन्ध की दर से भविष्य का लागु ब्याज का भुगतान एवं साथ में आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि का भुगतान 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना-पत्र की दिनांक/प्राप्ति दिनाक से लौटाने के लिये निर्गमित किया।
ऋणी के राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी एवं जन सामान्य को एतद द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य **दिनांक 14 अक्टूबर 2019** को ग्रहण कर लिया है।
ऋणी एवं जमानती को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा संपति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपति के साथ कोई व्यवहार रु. **1,24,23,510.60 (अक्षरे एक करोड़ चौबीस लाख तेइस हजार पॉच सौ दस एवं साठ पैसे मात्र) दिनांक 30.09.2017** तक व अनुबन्ध की दर से भविष्य का लागु ब्याज का भुगतान एवं साथ में आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि के भुगतान के लिये **पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय- एनएसआईसी बिल्डिंग, ओखला इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, नई दिल्ली-110020** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

भूमि व भवन जो श्री सोमवीर सिंह के नाम से खेवट नं. 167, खतौनी नं. 195, खसरा नं. 159/3/1 (नया खेवट नं. 175, खतौनी नं. 205) 3-के-7एम का 214/335 वां हिस्सा अर्थात् 2के-2.8एम, भिवानी रोहतक रोड एसएच-709 एवं कलानौर बाईपास पॉईन्ट, पावर हाऊस के सामने, मौजा जिन्दरन कला, तहसील- कलानौर, जिला - रोहतक (हरियाणा) में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 1294 वर्गगज है।

दिनांकः 14.10.2019, स्थानः कलानौर, जिला- रोहतक प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक

BOI बैंक ऑफ इंडिया Bank of India
अशोक विहार शाखा, सी-2/21, फेज-II, अशोक विहार, दिल्ली-110052

परिशिष्ट - IV (नियम - 8(1) सांकेतिक कब्जा सूचना
अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(4) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार **मैसर्स कुकू टायर्स** को मांग सूचना दिनांकित 08.07.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **35,67,573.02 (रुपये पैंतीस लाख पैंसठ हजार पाँच सौ तिहत्तर और पैसे दो मात्र) दिनांक 07.07.2019 तक भविष्य का ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **18.10.2019** को लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, कृष्णा नगर शाखा, दिल्ली के प्रभार वास्ते रु. **35,67,573.02** और भविष्य का ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं/गारंटर्स का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि व्यवसायिक सम्पत्ति प्लॉट भूमि नं. ए डब्ल्यू-411, ब्लॉक नं. ए डब्ल्यू, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के ले-आउट प्लान के अंतर्गत, गाँव समयपुर बादली जिला नई दिल्ली-110042 में स्थित, क्षेत्रफल 55.00 वर्ग मी.
(सभी अधिकारों के साथ - साथ पट्टे पर अधिकार, आकलन और मूल्यांकन के साथ सदा के लिए अधिकार)
चौहदी : उत्तर में -रोड, दक्षिण में - सर्विस लेन, पूरब में - सम्पत्ति नं. 412, पश्चिम में - सम्पत्ति नं. 410

दिनांक : 18-10-2019, स्थान : नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया**

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजी. कार्यालय : जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग
नई दिल्ली-110 001 दूरभाष. 011-23313177
(CIN: L74899DL1956GOI002674)

बोर्ड बैठक करने का नोटिस

सेबी (सुचिबद्धता और प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसरण में, आप को सूचित किया जाता है कि अन्य बातों के साथ साथ 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही तथा अर्धवार्षिक अलेखापरीक्षित वित्तीय लेखा परिणामों (समेकित और असमेकित) तथा कार्यसूची के अन्य मुद्दों पर विचार करने, अनुमोदन देने और रिकार्ड में लेने हेतु दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 8 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जाएगी।
यह नोटिस कम्पनी की वेबसाइट **www.stclimited.co.in** और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

(दीपक सी एस)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
दिनांक: अक्टूबर 17, 2019

अंतिम टैस्ट में भी जोरदार भिड़ंत की उम्मीद

टैस्ट चैंपियनशिप के कारण दांव पर लगे हैं अहम 40 अंक

मैच का समय
सुबह 9:30 से

रांची, 18 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय टीम शनिवार से शुरू होने वाले तीसरे और अंतिम टैस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत के साथ शृंखला में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। भारत पहले ही शृंखला जीत चुका है जिससे यह मैच औपचारिक लग रहा है। लेकिन विश्व टैस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही टैस्ट शृंखला के कारण अहम 40 अंक दांव पर लगे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम भी इस अंक के लिए अंतिम मैच में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेगी।

भारत ने पहले दो टैस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका पर हर विभाग में अपना दबदबा बनाया। उसने विशाखापत्तनम में 203 रन से जीत दर्ज की और फिर पुणे टैस्ट को पारी और 137 रन से जीतकर फ्रीडम ट्रॉफी फिर से हासिल की। विश्व चैंपियनशिप में भारत के अभी चार मैचों में 200 अंक हैं और उसने अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड और श्रीलंका पर 140 अंकों की बड़ी बढ़त बना रखी है। कोहली पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अंतिम टैस्ट मैच में भी काफी कुछ दांव पर लगा है और टीम किसी भी तरह से ढिलायी नहीं बरतेगी।

भारतीय गेंदबाजी और बल्लेबाजी मजबूत

अंतिम टैस्ट मैच से पूर्व भारतीय टीम में बल्लेबाजी या गेंदबाजी में कोई खास कमजोरी नजर नहीं आती है। भारतीय शीर्ष क्रम ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा ने लंबे प्रारूप में सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। उन्होंने पहले टैस्ट मैच में पहली बार पारी का आगाज करते हुए दोनों पारियों में शतक लगाए। मुंबई के इस बल्लेबाज के साथी मयंक अग्रवाल ने विशाखापत्तनम में दोहरा शतक लगाया तो पुणे में भी वह सैकड़ा जमाने में सफल रहे। पुणे में हालांकि कोहली ने 254 रन की जादुई पारी खेली जो उनके करिअर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। रोहित पुणे में नहीं चल पाए थे और वह इसकी भरपाई यहां करना चाहेंगे।

तीसरे टैस्ट की पूर्व संध्या पर अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय स्पिनर आर अश्विन और मुख्य कोच रवि शास्त्री।

कुलदीप बाहर, स्थानीय स्पिनर नदीम टीम में

बायें हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम को घरेलू सर्किट में शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला जिन्हें चाइनामैन कुलदीप यादव के कंधे की चोट के कारण बाहर होने से भारतीय टैस्ट टीम में शामिल किया गया। नदीम झारखंड और भारत ए के लिए कई बार शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। झारखंड के लिए लगातार सत्र में 50 से ज्यादा विकेट हासिल कर चुके हैं। 30 साल के इस स्पिनर ने 110 प्रथम श्रेणी मैचों में 424 विकेट चटकाए हैं जिसमें 19 बार वह पांच विकेट जबकि पांच बार 10 विकेट हासिल कर चुके हैं।

स्पिनरों के अनुकूल रांची की पीच

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान डुप्लेसिस पहले ही कह चुके हैं कि रांची की पिच स्पिनरों के अनुकूल होगी और ऐसे में कुलदीप यादव के रूप में तीसरा स्पिनर भी भारतीय एकादश में जगह बना सकता है। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने विशाखापत्तनम में कुछ दम दिखाया था लेकिन पुणे में वे नाकाम रहे थे। केवल पुछल्ले बल्लेबाजों ने ही भारतीय गेंदबाजों को कुछ परेशान किया। डुप्लेसिस ने ऐसे में अनुभवी बल्लेबाजों से जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करने के लिए कहा है।

मेरे पंत के बीच अच्छी समझ : साहा

रांची, 18 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय टैस्ट टीम में जगह बनाने को लेकर भले ही ऋद्धिमान साहा और ऋषभ पंत के बीच तगड़ी प्रतिस्पर्धा है लेकिन इन दोनों विकेटकीपरों के बीच रिश्ते प्रभावित नहीं हुए हैं। कंधे में चोट के कारण साहा लगभग 20 महीने तक राष्ट्रीय टीम से बाहर रहे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी मौजूदा शृंखला में वापसी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। साहा ने पुणे में खेले गए दूसरे टैस्ट में कुछ कमाल के कैच लपके।

साहा छह दिन के बाद अपना 35वां जन्मदिन मनाएंगे। टीम के अभ्यास सत्र के दौरान उनको कई बार पंत की मदद करते देखा गया। शृंखला के तीसरे और आखिरी टैस्ट की पूर्व संध्या पर जब उनसे पूछा गया कि क्या वह पंत के मेंटोर की भूमिका निभा रहे हैं तो उन्होंने कहा, 'नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस वैसी ही चर्चा करते हैं जैसे विकेटकीपर आपस में करते हैं। श्रीधर (क्षेत्ररक्षक कोच), पंत और मैं मिलकर फैसला करते हैं कि किस तरह के विकेट पर कैसी कीपिंग करनी है।

साहा ने कहा कि उनके बीच तालमेल अच्छा है जो एक साथ काम करने को आसान बनाता है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा एक-दूसरे की विकेटकीपिंग को देखते हैं। हम अपने अभ्यास सत्र में कड़ी मेहनत करते हैं और हमारे बीच अच्छी समझ और समन्वय है। हम हमेशा एक-दूसरे की गलतियों को बताने की कोशिश करते हैं। यह अब तक अच्छा चल रहा है।

टॉस जीतने के लिए किसी को भी मैदान पर भेजने को तैयार डुप्लेसिस

रांची, 18 अक्तूबर (भाषा)।

एशिया में लगातार नौ मैचों में टॉस गंवाने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसिस अब सिक्के की उछाल में अनुकूल परिणाम के लिए किसी अन्य को भी मैदान पर भेजने को तैयार हैं। दक्षिण अफ्रीका भारतीय परिस्थितियों में जूझता रहा है और पहले दो टैस्ट मैचों में टॉस नहीं जीतने से उसके लिए चीजें और मुश्किल हो गई। भारत ने विशाखापत्तनम और पुणे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 500 से अधिक रन बनाए।

डुप्लेसिस ने कहा कि हम वास्तव में चाहते हैं कि हम इस टीम से अपनी शर्तों पर मुकाबला करें। पहले टैस्ट मैच में कुछ चरणों में हमने ऐसा किया। इसलिए उम्मीद है कि हम टॉस से इसकी शुरुआत करेंगे। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि संभवतः हम बदलाव करेंगे.... शनिवार को टॉस के लिए किसी अन्य को भेजकर, क्योंकि मेरा रिकार्ड अभी तक इसमें (टॉस जीतने) अच्छा नहीं रहा है।

निकहत की मांग पर रिजीजू ने कहा

देश के हित में फैसला करने के लिए कहूंगा

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (भाषा)।

खेल मंत्री किरन रिजीजू ने मुक्केबाज निकहत जरीन और एमसी मैरी कॉम के बीच चल रहे मामले में स्पष्ट किया कि वह केवल महासंघ को देश और खिलाड़ियों के हित में सर्वश्रेष्ठ फैसला लेने के लिए ही कह सकते हैं। निकहत ने गुरुवार को रिजीजू को पत्र लिखकर चीन में अगले साल होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर के लिए टीम चयन से पहले मैरी कॉम के खिलाफ ट्रायल मुकाबला आयोजित करने की मांग की थी।

इससे पहले भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआइ) ने कहा था कि मैरी कॉम के विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वह उन्हें चुनने का इरादा रखता है। इसके बाद ही जरीन ने यह पत्र लिखा। रिजीजू ने जरीन के पत्र के जवाब में कहा कि मैं निश्चित तौर पर मुक्केबाजी महासंघ को देश, खेल और खिलाड़ियों के सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला करने के लिए कहूंगा।

मंत्री को हालांकि खेल संघों द्वारा खिलाड़ियों के चयन में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि खेल संघ ओलंपिक चार्टर के अनुसार स्वायत्त हैं। मैरी कॉम ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह बीएफआइ के फैसले के अनुसार चलेगी। बीएफआइ ने पहले कहा था कि विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक विजेता मुक्केबाजों का ही ओलंपिक क्वालीफायर के लिए सीधे चयन होगा।

अभ्यास

जापान के बेपू में शुक्रवार को प्रशिक्षण के दौरान सूमो पहलवान

एशियाई चैंपियनशिप में मुक्केबाजों ने जीते 21 पदक

जनसत्ता संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर।

भारतीय मुक्केबाजों ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के फुजैराह में आयोजित एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने छह स्वर्ण, नौ रजत के साथ कुल 21 पदक हासिल किए।

टूर्नामेंट में 26 देशों ने भाग लिया था जिनमें भारत कुल पदकों के मामले में शीर्ष पर रहा। हालांकि भारत तालिका में उज्बेकिस्तान (20 पदक) के बाद दूसरे स्थान पर रहा जिसने आठ स्वर्ण जीते।

टूर्नामेंट में 26 देशों ने भाग लिया था जिनमें भारत कुल पदकों के मामले में शीर्ष पर रहा।

भारत तालिका में उज्बेकिस्तान (20 पदक) के बाद दूसरे स्थान पर रहा जिसने आठ स्वर्ण जीते।

पुरुषों में विश्वनाथ सुरेश (46 किग्रा) और विश्वामित्र चोंगथम (48 किग्रा) ने स्वर्ण जीते।

भारतीय पुरुष टीम ने दो स्वर्ण, तीन रजत और इतने ही कांस्य पदक जीते जबकि महिला टीम ने गुरुवार शाम समाप्त हुए टूर्नामेंट में चार स्वर्ण, छह रजत और तीन कांस्य पदक हासिल किए। पुरुषों में विश्वनाथ सुरेश (46 किग्रा) और विश्वामित्र चोंगथम (48 किग्रा) ने स्वर्ण जीते।

राष्ट्रीय चैंपियन कल्पना (46 किग्रा), प्रीती दहिया (60 किग्रा), तशबीर कौर संधू (80 किग्रा) और अल्फिया तरन्नुम पठान (80 किग्रा से अधिक) ने महिलाओं के वर्ग में स्वर्ण जीते।

योगेश कागड़ा (63 किग्रा), जयदीप रावत (66 किग्रा) और राहुल (70 किग्रा) ने पुरुषों के वर्ग में जबकि तमन्ना (48 किग्रा), तन्नू (52 किग्रा), नेहा (54 किग्रा), खुशी (63 किग्रा), शारवरी कल्यांकर (70 किग्रा) और खुशी (75 किग्रा) ने महिलाओं के वर्ग में रजत पदक अपने नाम किए।

महिलाओं के वर्ग में रिंकू (50 किग्रा), अंबेश्वरी देवी (57 किग्रा) और माही लामा (66 किग्रा) जबकि विजय सिंह (50 किग्रा), विक्टर सिंह शेखोम (52 किग्रा) और वंशज (60 किग्रा) ने पुरुषों के वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। टूर्नामेंट में 26 देशों के 293 (170 पुरुष और 69 महिला) मुक्केबाजों ने भाग लिया था।

फाइनल से पहले भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटेन से ड्रॉ खेला

हॉकी

जोहोर बाहरू (मलेशिया), 18 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम और ब्रिटेन ने शुक्रवार को यहां नौंवे सुल्तान जोहोर कप के अंतिम राउंड रोबिन मैच में 3-3 से ड्रॉ खेला। पहले क्वार्टर में भारत ने कब्जा बनाए रखा और ज्यादातर हमलों में आगे रहे लेकिन ब्रिटेन के डिफेंस में सेंध नहीं लग सका। दूसरे क्वार्टर में भी भारत ने कोशिश जारी रखी जिसमें गुरसाहिबजीत सिंह का शॉट नाकाम रहा।

ब्रिटेन को 27वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए पहला मौका मिला और इयोन वाल की ड्रैगफ्लिक से टीम ने पहला गोल कर दिया। ब्रिटेन ने फिर 23वें मिनट में एंड्रयू मैककोनेल के गोल से बढ़त दोगुनी कर दी और ब्रेक तक स्कोर 2-0 रहा। शिलानंद लकड़ा ने इस अंतर को कम किया और फिर मंदीप मोर ने 51वें मिनट में स्कोर 2-2 से बराबर किया।

ब्रिटेन को पता था कि उन्हें फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए महज ड्रॉ की जरूरत है। सर्कल के पास दिलप्रीत को गिराए जाने के बाद भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिस पर शारदानंद तिवारी ने भारत को बढ़त दिला दी। हालांकि मैथ्यू रेनशॉ ने 59वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से स्कोर 3-3 से बराबर कर सुनिश्चित किया कि दोनों टीमें शनिवार को एक दूसरे से फाइनल खेलें।

महिला टीम के लिए सहयोगी स्टाफ के चयन पर विवाद | **बीसीसीआइ** | इडुल्जी और रंगास्वामी ने नियुक्ति पर उठाए सवाल

पुरुष टीम के साथ भी क्या आप ऐसा ही करेंगे?

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (भाषा)।

सीओए सदस्य डायना इडुल्जी और बीसीसीआइ की शीर्ष परिषद की नई सदस्य शांता रंगास्वामी ने महिला राष्ट्रीय टीम के लिए सहयोगी स्टाफ की 'असंवैधानिक' नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बोर्ड के सीईओ राहुल जौहरी को पत्र लिखकर अपनी बात रखी है। जीएम (क्रिकेट परिचालन) सबा करीम महिला क्रिकेट का कार्यभार संभालते हैं। इन नियुक्तियों के लिए वह संदेह के घेरे में हैं।

शांता रंगास्वामी

हेमलता काला की अगुआई वाले महिला चयन पैनल ने एक दिन पहले सीईओ को लिखकर दावा किया कि उन्हें सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया से दूर रखा गया था।

इसके एक दिन बाद पूर्व भारतीय कप्तान इडुल्जी और रंगास्वामी ने राष्ट्रीय महिला टीम के साथ इस तरह के रवैये की आलोचना की।

हेमलता काला की अगुआई वाले महिला चयन पैनल ने एक दिन पहले सीईओ को लिखकर दावा किया कि उन्हें सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया से दूर रखा गया था। इसके एक दिन बाद पूर्व भारतीय कप्तान इडुल्जी और रंगास्वामी ने राष्ट्रीय महिला टीम के साथ इस तरह के रवैये की आलोचना की। बीसीसीआइ संविधान के अनुसार चयनकर्ता ही पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीम के सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति करते हैं। हाल में पुरुष टीम के सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया गया था। इडुल्जी ने पत्र में लिखा, 'मैं महिला चयनकर्ताओं द्वारा आपको लिखे गए ईमेल में लिखी बातें पढ़कर हैरान हूं कि वीडियो विश्लेषक के चयन के लिए गलत प्रक्रिया का पालन किया गया।'

उन्होंने लिखा, 'यह और भी चिंता की बात है कि पुष्कर सावंत वेस्ट इंडीज के लिए फ्लाइट भी बुक करा चुके हैं जिन्हें सबा करीम और एनसीए इस पद पर चाहते थे। यह पूरी प्रक्रिया ही आंखों में धूल झोंकने वाली लगती है। चयनकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें महिला टीम के गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच की नियुक्ति के लिए भी विश्वास में नहीं लिया गया था। उन्हें सिर्फ वीडियो विश्लेषक की भूमिका के लिए साक्षात्कार कराने के लिए कहा गया जिसके लिए प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हुई। इडुल्जी और रंगास्वामी ने दावा किया कि वीडियो विश्लेषक की भूमिका के लिए भी नियमों का उल्लंघन किया गया।

इडुल्जी ने कहा कि मुझे शांता रंगास्वामी से भी ईमेल मिला है जिन्हें बीसीसीआइ की शीर्ष परिषद का संदस्य नामित किया गया है। इसे आपको और चयनकर्ताओं को भी भेजा गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये चीजें जानबूझकर की गई हैं ताकि शीर्ष पर बैठे लोग अपने व्यक्तियों को गलत तरीके से इन पदों पर बिठा लें। यह बहुत ही गंभीर आरोप है। उन्होंने लिखा, 'यह राष्ट्रीय भारतीय टीम है जो यात्रा कर रही है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मुझे हैरानी है कि क्या आप पुरुष टीम के साथ भी ऐसा ही करोगे?'

सरफराज टैस्ट और टी-20 कप्तान पद से बर्खास्त

कराची, 18 अक्तूबर (भाषा)।

श्रीलंका के खिलाफ घरेलू शृंखला गंवाने के बाद पाकिस्तान ने शुक्रवार को सरफराज अहमद को टैस्ट और टी-20 कप्तान पद से बर्खास्त कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आधिकारिक बयान में कहा कि अनुभवी बल्लेबाज अजहर अली आस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टैस्ट मैचों में टैस्ट टीम की अगुआई करेंगे जबकि बाबर आजम नवंबर में होने वाले इस दौरे में टी-20 टीम का जिम्मा संभालेंगे।

सरफराज पिछले दो वर्षों से तीनों प्रारूपों में कप्तान थे। उनकी अगुआई में पाकिस्तान ने 2017 में आइसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। टैस्ट और वनडे में उनकी अगुआई में पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे गिरी जबकि श्रीलंका के खिलाफ हाल में टी-20 शृंखला में उसने सभी मैच गंवाए।

खबर कोना

एफआइएच हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर्स के लिए चुनी गई पुरुष और महिला टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल।

मैरी कॉम की अकादमी में गुडईयर के सहयोग से नया रिंग

इंफल, 18 अक्तूबर (भाषा)।

छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम की यहां स्थित मुक्केबाजी अकादमी में टायर निर्माता कंपनी गुडईयर इंडिया की मदद से नया रिंग और कुछ अन्य आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है। इस रिंग का औपचारिक उद्घाटन मैरी कॉम और उनके पति ओनलर कोम ने किया जो कि अकादमी के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। इसके अलावा कंपनी ने अकादमी में भोजन कक्ष और रसोईघर के पहले चरण के निर्माण में भी मदद की। छत्तीस वर्षीय मैरी कॉम ने हाल में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था जो उनका इस प्रतियोगिता में रेकार्ड आठवां पदक है। मैरी कॉम राज्यसभा सांसद भी हैं।

लेग स्पिनर नहीं उतारने पर बांग्लादेश के दो कोच बर्खास्त

ढाका, 18 अक्तूबर (एएफपी)।

अदद लेग स्पिनरों की खोज में लगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय क्रिकेट लीग (एनसीएल) में लेग स्पिन गेंदबाजों को अंतिम एकादश में शामिल नहीं करने पर प्रथम श्रेणी स्तर के दो कोच को बर्खास्त कर दिया। बांग्लादेश को अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए अदद लेग स्पिनर की तलाश है। यही नहीं बल्लेबाजों को घरेलू मैचों में लेग स्पिन खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिलता और यही वजह है कि हाल में अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने बांग्लादेश की इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने शुक्रवार को पुष्टि की कि निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण दो कोच को बर्खास्त कर दिया गया है। ढाका की टीम में लेग स्पिनर जुबैर हुसैन और खुलना की टीम में रिशाद हुसैन को हाल में खेले गए प्रथम श्रेणी मैचों के लिए अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया गया था।

टी-10 में टीम अबुधाबी के कोच होंगे ट्रेवर बेलिस

अबुधाबी, 18 अक्तूबर (भाषा)।

विश्व कप विजेता कोच ट्रेवर बेलिस 15 नवंबर से शुरू होने वाले टी-10 टूर्नामेंट में टीम अबुधाबी के कोच होंगे जबकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली उसकी अगुआई करेंगे। खिलाड़ियों के वार्षिक ड्राफ्ट के अनुसार आठ टीमों में 110 खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें श्रीलंका के लेसिथ मलिंगा, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर कीरेन पोलार्ड और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर शामिल हैं। टीम अबुधाबी टूर्नामेंट की आठवीं टीम है जिसके आइकन खिलाड़ी मोईन अली हैं। इसके अलावा श्रीलंका के निरोशन डिकवेला, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन और आमिर भी टीम का हिस्सा हैं। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी मौजूदा चैंपियन नॉर्दर्न वॉरियर्स के आइकन खिलाड़ी होंगे।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 335, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।